आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान



वर्ष-37

अंक 141



# पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली



अंक-141 ( जुलाई-दिसंबर-2019 )

# सलाहकार समिति

वरुण सिंधु कुल कौमुदी महानिदेशक

विकास कुमार अरोड़ा महानिरीक्षक (वि. पु. प्र.)

शशि कान्त उपाध्याय उप महानिरीक्षक (वि. पु. प्र.)

संपादन : विजय कुमार संपादन सहयोग : सतीश चन्द्र डबराल

# पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो राष्ट्रीय राजमार्ग - 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

# पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय

#### पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत 'पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो' द्वारा हर वर्ष पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से सम्बन्धित विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इन विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष मूल रूप से हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों की प्रविष्टियों में से समिति की सिफारिश के आधार पर 5 पुस्तकों को तीस-तीस हज़ार रुपयों के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत 'पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो' द्वारा अपनी तरफ से दो विषय (एक विषय सामान्य वर्ग के लिए एवं एक विषय महिलाओं के लिए आरक्षित) देकर पुस्तकें लिखने के लिए रूपरेखाएँ आमंत्रित की जाती हैं जिसके लिए चालीस-चालीस हज़ार रुपयों के दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। रूपरेखाएँ 8 से 10 पृष्ठों की होनी चाहिए जिसमें लिखी जाने वाली पुस्तक में दी जाने वाली सामग्री का सार हो। सामान्यत: हर वर्ष रूपरेखाएँ भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है। वर्ष 2019-2020 के लिए प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है।

# 'अपराध विज्ञान' तथा 'पुलिस विज्ञान' में डॉक्टरेट कार्य हेतु फेलोशिप

'अपराध विज्ञान' तथा 'पुलिस विज्ञान' में डॉक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 10 फेलोशिप्स के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले दो वर्ष के लिए पच्चीस हज़ार रुपये तथा तीसरे वर्ष से अट्ठाइस हज़ार रुपये प्रदान किए जाएँगे। विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के अनुसंधान अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

# पुलिस एवं कारागार सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएँ

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय पुलिस एवं कारागार से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली से संपर्क करें अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in देखें।

# संपादकीय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस विज्ञान पत्रिका के माध्यम से पुलिसिंग एवं सुधारात्मक प्रशासन के ऊपर संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ लेखकों एवं पुलिस व जेल प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लिखे गए लेखों को प्रकाशित कर फिल्ड में कार्यरत पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को उनके व्यवसायिक महत्व के विषयों पर उचित पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ताकि समसामयिक एवं शोध लेखों के द्वारा वे एक निष्पक्ष एवं अद्यतन दृष्टिकोण बना सकें जिससे कि उनके अपने प्रति दिन के कार्यों के निष्पादन में विशेषज्ञता तथा निपुणता हासिल हो सके। वर्तमान युग को सूचना के युग के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सूचनाएं बहुत ही जल्दी पुरानी व अनुपयोगी हो जाती हैं। अतः हमें अपने आप को अद्यतन रखने की आवश्यकता है। पुलिस विज्ञान का हमेशा यह उद्देश्य रहा है कि पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों को उनके कार्य से संबंधित अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ एवं शोधनिष्ठ ज्ञान उपलब्ध कराया जा सके।

'पुलिस विज्ञान' पत्रिका का अंक 141 (जुलाई-दिसंबर 2019) पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका के इस अंक में मानवाधिकार संगठन एवं पुलिस, कश्मीर समस्या : चुनौतियाँ एवं समाधान अनुच्छेद 370 के संदर्भ में, पुलिस प्रशिक्षण और नेतृत्व, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग : उन्मादी भीड़ की सहज प्रवृत्ति या अपराध, कानून व्यवस्था न्यायिक दृष्टिकोण, अपराध के समसामयिक स्वरूप तथा पुलिस की कार्य-प्रणाली एवं भयमुक्त समाज विषयों से सम्बन्धित लेख दिए गए हैं। नि:संदेह इन लेखों के पठन से पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रिका में सम्मिलित लेख पाठकों को अच्छे लगेंगे और उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। 'पुलिस विज्ञान' पत्रिका के आगामी अंक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

# लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि 'पुलिस विज्ञान' पत्रिका में प्रकाशन के लिए पुलिस से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और लगभग आठ से दस पृष्ठों का हो। यदि लेख से सम्बन्धित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को 'पुलिस विज्ञान' पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल vijay@bprd.nic.in अथवा satishdabral13@gmail.com पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए समुचित पारिश्रमिक भी दिया जाता है।

यदि आपने पुलिस से संबंधी किसी विषय पर हिंदी में कोई उपयोगी पुस्तक लिखी है तो आप इसकी पांडुलिपि भी भेज सकते हैं और यदि ऐसी कोई उपयोगी पुस्तक लिखना चाहते हैं तो आप ऐसी पुस्तक की आठ से दस पृष्ठों की रूपरेखा लिखकर भी भेज सकते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा ऐसी पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यदि आपने पुलिस से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के किसी अच्छे लेख को हिंदी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों के लिए समुचित मानदेय दिया जाता है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

> संपादक पुलिस विज्ञान एन. एच.-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037

विषय सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
पुलिस प्रशिक्षण और नेतृत्व	डॉ. प्रशांत चौबे	1
कश्मीर समस्या : चुनौतियाँ एवं समाधान - अनुच्छेद 370 के संदर्भ में	डॉ. अर्चना शर्मा	9
मानवाधिकार संगठन एवं पुलिस	श्री राजीव कुमार	19
संगठित अपराध	श्री ए.पी. बंगवाल	27
मॉब लिंचिंग : उन्मादी भीड़ की सहज प्रवृत्ति या अपराध	डॉ. जोरावर सिंह राणावत	35
कानून व्यवस्थाः न्यायिक दृष्टिकोण	श्री आशीष श्रीवास्तव	40
अपराध के समसामयिक स्वरूप	श्री कमल सिंह	57
पुलिस की कार्य-प्रणाली एवं भयमुक्त समाज	प्रो. ए.एल. श्रीवास्तव	65

'पुलिस विज्ञान' पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

## समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ेड. ख़ान, नई दिल्ली, श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी, लखनऊ, प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली, प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर (म.प्र.) प्रो. स्नेहलता टण्डन. नई दिल्ली, प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू, डॉ. शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ, डॉ. अरविन्द तिवारी, मुम्बई, डॉ. उपनीत लल्ली, चण्डीगढ़, श्री वी.वी. सरदाना, फ़रीदाबाद, श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : जे.के ऑफ़सेट ग्राफ़िक्स प्रा.लि., बी-278, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फ़ेज़-1, नई दिल्ली-110 020

## पुलिस प्रशिक्षण और नेतृत्व

**डॉ. प्रशांत चौबे** अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इंदौर, भोपाल

किसी भी संगठन की व्यावसायिक दक्षता की नींव प्रशिक्षण पर आधारित होती है। यहां यह आवश्यक होता है कि प्रशिक्षण अर्थपूर्ण व्यवसाय से पूर्णतः संबद्ध तथा सामयिक परिवर्तनों को समाहित करने वाला हो। प्रशिक्षण वास्तव में साधारण व्यक्ति को संगठन के कार्यकारी व्यक्ति के रूप में परिणत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। उदाहरणार्थ. पुलिस विभाग में शामिल होने वाला व्यक्ति प्रारम्भिक स्तर पर आम आदमी के रूप में संगठन में शामिल होता है, लेकिन प्रशिक्षण के उपरांत वह अपने हाव-भाव, चाल-ढाल व बर्ताव से परिवर्तित रूप में प्रशिक्षण केन्द्र से निकलता है। प्रशिक्षण संगठन की कार्य संस्कृति कार्य के तरीके, तकनीकी एवं नियम विनियम, कानून आदि की शिक्षा को समाहित करता है। किसी भी संगठन की सफलता एवं सदस्यों की दक्षता तथा कार्य संस्कृति एवं अभिप्रेरण के स्तर से संगठन के प्रशिक्षण के स्तर को आंका जा सकता है। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में जहां पुलिस का अत्यधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र है वहीं अपने विस्तार में पुलिस संगठन को पुलिस बल, पुलिस सेवा एवं पुलिस विभाग को त्रिस्तरीय भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। पुलिस बल वर्दी, अनुशासन एवं सुरक्षा व्यवस्था के रूप में, पुलिस सेवा, जनता की विभिन्न आकस्मिकता, आपदा,दुर्घटना की स्थिति में सेवा के रूप में एवं पुलिस विभाग विभिन्न जांच, विवेचना, दस्तावेजु, रिकार्ड संधारण, आदि के रूप में पुलिस से अपेक्षाएँ की जाती हैं। उक्त सभी अपेक्षाओं के प्रति आम जनता शत-प्रतिशत एवं



तत्काल निष्पादन की चाहत रखती है। विविध रूपों में बहुमुखी गुणवत्ता एवं पारंगतता के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण मानकों एवं विषयों की रूपरेखा अपेक्षित है। पुलिस के कर्तव्य न केवल विविध बहुमुखी बल्कि जटिल हैं तथा पुलिस कार्य आधिक्य एवं मानव संसाधनों की अल्पता के कारकों से प्रभावित है। ऐसे में, पुलिस नेतृत्व के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से स्थापित होती है।

प्रशिक्षण सिर्फ नाम या विश्वास न होकर कौशल उन्नयन की सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जोकि संभवतः लक्ष्य प्राप्ति की सबसे आसान एवं कम खुर्च वाली प्रक्रिया है। पुलिस संगठन के लक्ष्य एवं अनुशासन की स्थापना में भी प्रशिक्षण आधारभूत भूमिका निभाता है। संगठन के व्यक्तियों की अभिवृत्ति एवं बर्ताव संबंधी परिवर्तन तथा उन्हें समय के साथ सार्थक बनाए रखने की दिशा में भी प्रशिक्षण एकमात्र विकल्प प्रमाणित होता है, खासकर पुलिस जैसे जन सेवा संबंधी संगठन में प्रशिक्षण की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशिक्षण के लाभ न केवल संगठन को होते हैं बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करता है तथा सह-अस्तित्व एवं आपसी आवश्यकता की पूर्ति की धारणा प्रशिक्षण के माध्यम से स्थापित होती है। इस संबंध में संगठन की ओर से भी सतत प्रयास अपेक्षित होते हैं।

- व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं को नियुक्ति के समय ही पहचान कर चिह्नित करना।
- व्यक्ति की योग्यताओं का समय-समय पर मूल्यांकन तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान।
- संगठन के लक्ष्यों के संबंध में समयबद्ध निर्धारण एवं मूल्यांकन।
- विधिक एवं अन्य मानकों के संबंध में निर्धारण प्रस्तुत करना।
- अभिक्रियाएँ प्रस्तुत करना, जिससे कि संगठन के व्यक्ति आवश्यक सूचना प्राप्त करने में सक्षम हों।

प्रशिक्षण वास्तव में साधन है जो कि अपनी प्रक्रिया में कभी पूर्ण नहीं होता। संगठन को इस तथ्य को पूर्ण रूप में समाहित करना चाहिए तथा प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं में इस आधारभूत कारक को विचार में लिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की प्रक्रिया में प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षार्थी के रूप में मानव संसाधन तथा आर्थिक संसाधन का व्ययन होता है। अतः प्रशिक्षण की योजना में सजगता पूर्वक कार्य योजना का निर्धारण करते हुए संसाधनों को महत्ता प्रदान की जानी चाहिए। यह सही है कि प्रशिक्षण संगठन एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की युक्तिसंगत पद्धति है, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि प्रशिक्षण संसाधनों की कमी एवं आधारभूत संरचना की अल्पता तथा अनुपयुक्त संगठन तंत्र का विकल्प नहीं है। यदि प्रशिक्षण की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से तैयार नहीं की जाए तथा अनुपयुक्त रूप में प्रारंभ की जाए, साथ ही प्रशिक्षण अभिक्रियाओं एवं संगठन के लक्ष्यों उद्देश्यों के बीच आवश्यक सह संबंधों का अभाव हो तो सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। संगठन में सभी स्तरों पर निष्पादन एवं उसके मानकों में गिरावट की स्थिति प्रकाश में आती हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में अक्षमता एवं असंतोष की भावना तथा संसाधनों के व्यर्थ व्ययन की स्थिति निर्मित होती है तथा व्यय, लाभ विश्लेषण तथा प्रशिक्षण मूल्यांकन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण सतत् प्रक्रिया है जिसमें कि निम्नलिखित तत्वों का समावेश होना चाहिए-

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान
- प्रशिक्षण संसाधन एवं विषयों का निर्धारण
- योजना एवं प्रशिक्षण प्रारूप का निर्धारण
- प्रशिक्षण प्रक्रिया की कार्य रूप में परिणति
- परिणामों की समीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन

इस प्रकार प्रशिक्षण के निर्धारक तत्वों पर गंभीर विचार-विमर्श, विभिन्न मत आमंत्रित कर तत्वगत निर्धारण सुनिश्चित कर, पूर्व अनुभवों के कारकों को समाहित कर, परिवेश एवं सामयिक प्रभावी कारकों की समीक्षा कर प्रशिक्षण की रूप-रेखा का निर्धारण किया जाना वांछनीय है।

प्रशिक्षण को आवश्यकता को पहचान एवं निर्धारण के पूर्व यह निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है कि संगठन को व्यक्तिगत स्तर पर किस प्रकार के कार्य निष्पादन की अपेक्षा है तथा व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताएँ कार्य के परिप्रेक्ष्य में किस स्तर की हैं। इस प्रकार दोनों तथ्यों पर सम्यक् विचार करके वास्तव में किस प्रकार का प्रशिक्षण अपेक्षित है, के संबंध में निर्धारण सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति तैयार किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर ही कौशल एवं ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा वह व्यक्ति ही होता है जिसमें प्रशिक्षण के तत्व आत्मसात् होकर संगठन के अनुशासन की स्थापना एवं विभिन्न सुधार प्रशिक्षण के माध्यम से किए जाते हैं। कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अभिवृत्ति का व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण का ध्येय होता है। अतः प्रशिक्षण आवश्यकताओं के निर्धारण के पूर्व व्यक्तिगत नाम, सूची तैयार कर उपलब्ध एवं आवश्यक कौशल पर विचार किया जाना सार्थक परिणाम प्रस्तुत कर सकता है। सामान्यत: प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यकता का निर्धारण समूह वर्ग अथवा रैंक के सामूहिक आधार पर किया जाता है। जबकि वृहद् रूप में इस प्रकार प्रशिक्षण आवश्यकताएँ निर्धारित कर व्यक्तिगत रूप में भी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण आवश्यकताओं के निर्धारण के संबंध में संगठन की जानकारी. कार्य का विवरण तथा प्रकृति, कार्य विशेषज्ञता, कार्य मूल्यांकन एवं उसको प्रक्रिया. स्टाफ के व्यक्तिगत निष्पादन का मूल्याँकन, व्यक्ति के पुराने रिकार्ड यथा प्रशिक्षण अनुभव, विशेष योग्यताओं की जानकारी आदि का विश्लेषण विस्तार से करके इस दिशा में सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण की योजना एवं प्रशिक्षण आवश्यकता के संबंध में संगठन के स्तर एवं व्यक्तिगत स्तर पर निर्धारण सुनिश्चित करके उत्कृष्ट स्थिति निर्धारित की जा सकती है। संगठन के स्तर पर कर्मचारियों के अभिलेख, संगठन उपलब्ध मानव संसाधन संबंधी आंकड़े, निवर्तमान प्रशिक्षण गतिविधियाँ तथा मूल्यांकन की पद्धति को समाहित करते हुए तथा संगठन में मानव संसाधन के विकास की योजनाएँ किस प्रकार की हैं, पर पूर्ण विचार करते हुए इस प्रकार के निर्धारण सार्थक हो सकते हैं। संगठन के स्तर पर निष्पादन की समस्याओं को भी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के निर्धारण के पूर्व प्रकाश में लाना अपेक्षित होता है। संगठन में जन

अनुपस्थिति, विधिक अवरोध, मीडिया संबंधी धारणाएँ, बाह्य स्वरूप में कमियाँ, योजना एवं उद्देश्यों के संबंध में सूचनाओं का अभाव, नवीन सुविधाओं के उपयोग में विफलता, वैज्ञानिक तकनीकों एवं साधनों के उपयोग में विफलता, कार्य के प्रति रुचि का अभाव एवं नवाचार आदि की सूची विधिवत् तैयार करके समाहित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया एवं अपेक्षा कार्य संतुष्टि के स्तर वर्तमान कौशल उपलब्धि एवं आवश्यकताएँ, कार्य विश्लेषण तथा अपेक्षित कौशल एवं उपलब्ध कौशल के बीच अंतर या कमियों का निर्धारण व्यक्तिगत स्तर पर किया जाना चाहिए। कर्मचारी के व्यक्तिगत स्तर का निर्धारण सीधे अवलोकन के द्वारा या कार्य के संबंध में प्रश्न स्वयं कर्मचारी से अथवा उसके वरिष्ठ अधिकारी से अथवा उसके कार्य से प्रत्यक्षत: प्रभावित किसी व्यक्ति से विभिन्न प्रश्नोत्तर के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। विभिन्न सर्वे एवं विश्लेषण भी व्यक्तिगत स्तर के निर्धारण में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रशिक्षण आवश्यकताओं के निर्धारण के मुख्य आधार किसके लिए एवं क्या प्रशिक्षण, के आधार पर निर्धारित करने के साथ त्वरितता के स्तर पर भी विचार एवं निर्धारण अपेक्षित होता है। कार्य के लक्ष्य की प्राथमिकता के अनुरूप प्रशिक्षण के स्वरूप की प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए। साथ ही नियम, विनियम, परिवेश, उद्देश्य आदि के निकट भविष्य में संभावित परिवर्तन को भी निर्धारण में समाहित किया जाना चाहिए। निकट भविष्य में परिवर्तन की संभावना के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन से जुड़ी हुई अभिक्रियाओं को विलंम्बित किया जा सकता है। किसी भी संगठन के समस्त प्रशिक्षण आवश्यकताओं को एक ही समय में निर्धारित एवं समाहित करना संभव नहीं होता है क्योंकि जीवन विविधामुखी तथा विभिन्न कारकों के सतत् परिवर्तन पर आधारित होता

शिकायतें, विलंब संबंधी कारक, अत्यधिक

है। प्रशिक्षण के निर्धारण में प्राथमिकता पर विचार करते हुए उपलब्ध संसाधनों तथा कार्य के दौरान प्रत्यक्ष होने वाली समस्याओं के संबंध में निंदात्मक शैलियों को स्थापित करके उनके परिप्रेक्ष्य में संगठन के निष्पादन की समीक्षा की जानी चाहिए।

#### शिक्षण एवं प्रशिक्षण

शिक्षण एवं प्रशिक्षण, दोनों के ही माध्यम से ज्ञान एवं सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है, लेकिन शिक्षण की प्रकृति जहां सामान्य होती है वहीं प्रशिक्षण विशेष प्रकृति का होता है, शिक्षण का संबंध जहाँ व्यक्ति के आधारभूत ज्ञान तथा अकादमिक उपलब्धियों से होता है वहीं प्रशिक्षण का सीधा संबंध व्यवसाय या कार्य संबंधी आवश्यकताओं से होता है। प्रशिक्षण में कौशल, ज्ञान एवं अनुशासन का सम्मिलित संप्रेषण करते हुए व्यक्ति की अभिवृत्तियों के विकास की अपेक्षा की जाती है तथा व्यक्ति की कार्य संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रयास प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। पुलिस कार्य भी एक जानकारी एवं व्यावसायिक अपेक्षाओं से परिपूर्ण होता है जहां पुलिस कर्मी से व्यावसायिक दक्षता की अपेक्षा की जाती है जोकि प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव होता है। प्रशिक्षण व्यक्ति को उसके कार्य एवं व्यवहार के प्रति जागरूकता तथा लक्ष्यों के प्रति सचेत बनाने का कार्य करता है ताकि वह अपने कार्य को पूर्ण योग्यता से संपादित कर सके। पुलिस संगठन में शामिल होने वाले विभिन्न स्तरों के व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक परिवेश से आते हैं तथा प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस विभाग की कार्य संस्कृति एवं कार्यों को आत्मसात् करते हैं। यह सर्वथा आवश्यक नहीं है कि अच्छी शैक्षणिक योग्यता वाला व्यक्ति पुलिस अथवा किसी भी संगठन में अपेक्षाकृत श्रेष्ठ कार्य निष्पादित करेगा अपितु ऐसे कई उदाहरण प्रकाश में आए हैं

जहां विभाग में एक साथ पदार्पण एवं प्रशिक्षण करने वाले पृथक-पृथक शैक्षणिक योग्यताओं के दो व्यक्तियों के मध्य अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति से अधिक अच्छा कार्य निष्पादन अपेक्षाकृत कम शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत कम शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यहां संगठन में शैक्षणिक योग्यता से अधिक महत्व संगठन की कार्य संस्कृति, कार्य प्रकृति एवं कार्य स्वरूप को प्राप्त होता है जिससे कि व्यक्ति का संगठन में निष्पादन निर्धारित होता है एवं उक्त कौशल के विकास में प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है।

# पुलिस में नवीन पद्धतियों के माध्यम से तैयारी एवं जागरूकता संबंधी कारक

- सर्वविदित है कि पुलिस संगठन के कार्य लक्ष्य विविधामुखी होते हैं। यहां तक कि औसत पुलिस थाना स्तर पर विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ एवं कार्य किए जाते हैं एवं अपेक्षित होते हैं। कार्य की विविधता एवं अभिक्रियाओं के प्रसार का स्तर अत्यधिक वृहद् होता है।
- पुलिस कार्य जनता के परिवेश में होने के कारण प्रत्येक कार्य बहुमुखी आयाम समाहित करता है तथा परिष्कृत जनतंत्रीय मानव संबंधों की अपेक्षा पुलिस से की जाती है। ये कार्य यांत्रिक प्रकृति के नहीं होते तथा अधिकांश पुनरावृत्ति के रूप में पुलिस के समक्ष होते हैं। ऐसे में अपेक्षा एवं अभ्यास का विरोधाभास कार्य को जटिलता प्रदान करता है। अत: सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हो जाते हैं।
- विभिन्न न्यायालयीन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस प्रक्रिया एवं प्रशासकीय नीति निर्धारण तकनीक एवं अन्य परिवर्तन सतत् क्रियाशील

रहते हैं। ऐसे में, पुलिस संगठन की कार्य प्रणाली निर्धारित सही दिशा में अग्रसर हो, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तथा पुलिस को विभिन्न अनुकूलन के साथ तालमेल एवं सार्थक प्रक्रिया का निर्धारण करना होता है।

- तीव्रगति से परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य तकनीकी एवं सतत् प्रवाहमान नए विचारों के मध्य यह आवश्यक है कि संगठन एवं व्यक्ति विशेष इन परिवर्तनों से तालमेल स्थापित कर उपयुक्त परिवर्तनों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करें तथा अपनी दक्षताओं का विकास करें एवं नकारात्मक परिवर्तन, जो संगठन के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करते हैं, से उभरने की रणनीति पर सतत् प्रयास किए जाएँ।
- संगठन के स्तर पर परिवर्तनों को आत्मसात किए जाने की स्थिति में व्यक्तिगत एवं नेतृत्व के स्तर पर इस प्रकार के अनुकूलन के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम अपेक्षित एवं आवश्यक होते हैं।
- किसी भी संगठन में संबद्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर विकास के अवसर प्रदान किया जाना न केवल अपेक्षित होता है बल्कि यह संगठन की महती आवश्यकता भी होती है। अत: पुलिस संगठन को अपनी सीमाओं में इस प्रकार के अवसर निर्धारित करने होंगे।
- सतत् प्रशिक्षण, संगठन में अवसरों के विस्तार के व्यक्तिगत स्तर का निर्धारण करता है। साथ ही, संगठन के द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी इसके माध्यम से वृद्धि होती है जो संगठन के प्रभाव में भी वृद्धि करता है। इस प्रकार के गुणवत्ता सुधार व्यक्ति को संतुष्टि एवं उपलब्धि की भावना से प्रेरित करते है।

- साधारणत: यह धारणा विद्यमान पाई जाती है कि यदि किसी एक व्यक्ति को विजय प्राप्त करनी है तो दूसरे किसी व्यक्ति को पराजय प्राप्त करनी होगी, लेकिन सतत् प्रशिक्षण की प्रक्रिया में कोई पराजित नहीं होता तथा व्यक्ति, संगठन एवं संगठन से सेवा प्राप्त करने वाला समाज सभी लाभान्वित होते हैं।
- पुलिस संगठन में प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को कम तनाव में अधिक दक्षता से अपने लक्ष्य एवं कार्य पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं तथा उनके कौशल में उन्नयन निर्धारित करते हैं तथा पुलिस कर्मी की अभिवृत्ति में सुधार का प्रसार इसके माध्यम से होता है।
- पुलिस संगठन में सेना या बल के लक्षणों का प्रभाव आधिक्य में देखा जाता है जबकि पुलिस सेवा एवं आपराधिक न्याय कानून का प्रस्तुतकर्ता विभाग होता है। इन रूपों में पुलिस कर्मियों से व्यवहार कुशलता, बुद्धिमत्ता एवं योग्यता के स्तर की अपेक्षा की जाती है। इस दिशा में विभिन्न देशों ने प्रयास प्रारंभ कर पुलिस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की अपेक्षा के स्तर में वृद्धि की है।
- जैसा कि पुलिस संगठन बेहतर योग्य व्यक्ति चाहता है तब संगठन के स्तर पर भी समान रूप से अपेक्षित होता है कि लोगों की शिक्षा, कौशल एवं गुणवत्ता के प्रदर्शन के पूर्ण अवसर उन्हें पुलिस संगठन में प्रदान किए जाएँ तथा इनके विस्तार के संबंध में भी अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित हों। विभिन्न राष्ट्रों में पुलिस संगठनों ने विश्व विद्यालयों के साथ साझेदारी का विकास किया है जिससे कि संगठन के कर्मचारियों को ज्ञान एवं कौशल के उन्नयन का विशेष अवसर प्राप्त हो सके। इनमें पुलिस से सम्बन्धित विषयों

पर डिग्री एवं डिप्लोमा कार्यक्रम में समाहित होने का अवसर पुलिस कर्मियों को प्रदान किया जा रहा है। यह कार्यक्रम समक्ष उपस्थिति एवं दूरस्थ शिक्षा विधियों के माध्यम से शिक्षण करते हैं। प्रशासन प्रबंधन, मानव संसाधन, विधि विज्ञान एवं उसके प्रयोग, दण्ड विज्ञान, अपराध विज्ञान एवं कानून तथा इससे सम्बन्धित विषयों को इसमें समाहित किया जाता है। यह अत्यधिक श्रेयस्कर प्रक्रिया है जो कि कर्मचारियों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रति अभिप्रेरण जाग्रत करती है तथा डिग्री डिप्लोमा के माध्यम से भविष्य की संभावनाएँ व्याप्त होती हैं जो कि संगठन एवं कर्मचारी, दोनों स्तरों पर लाभप्रद स्थिति निर्धारित होती है।

- इसी प्रकार कई देश एवं राज्यों में पुलिस संगठन के कर्मचारियों को शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जोकि शैक्षणिक परिवेश के उन्नयन में महत्वपूर्ण है।
- पुलिस संगठन में अब न केवल आधुनिक कारकों को निर्धारित करना बल्कि सभी संगठन सदस्यों के मध्य स्व-जागरूकता का विकास करना एवं आधुनिकता संबंधी अनुकूलन के प्रति सहज एवं प्रभावी प्रतिक्रिया का विकास भी अपेक्षित है।

#### सतत् प्रशिक्षण एवं महत्व

जैसा कि कहा जाता है कि 'ज्ञान ही शक्ति होती है' की कहावत न केवल भूतकाल में बल्कि वर्तमान काल में भी उतनी ही सार्थक प्रतीत होती है। खासकर पुलिस जैसे कार्यों की दृष्टि से ज्ञान एवं कौशल की सार्थकता और अधिक बढ़ जाती है। पुलिस का कार्य-विस्तार अत्यधिक होने से यह कई विषयों को अपने आप में समाहित करता है। मानव व्यवहार, मानव मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, लोक प्रशासन, संविधान कानून, विधि, विज्ञान, दण्ड विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान आदि ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र का संबंध कहीं-न-कहीं पुलिस कार्यों से स्थापित हो जाता है।

सामान्यत: पुलिस थानों में पुलिस कर्मचारी नियमित कार्य निष्पादन तो करता है, लेकिन उसके पीछे निर्धारित विधि उसके प्रावधान एवं उसकी सीमाओं के बारे में अनभिज्ञ होता है। वर्तमान परिवेश में कार्य-कारण एवं प्रावधानों के प्राधिकरण की वस्तु स्थिति के प्रस्तुतीकरण का अभाव पुलिस की गिरती हुई छवि का मुख्य कारण है। उदाहरणार्थ, यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान होने एवं सम्मन शुल्क वसूल कर विधिवत् रसीद प्रदान किए जाने की स्थिति में भी चेकिंग करने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा वाहन मालिक को उसके द्वारा किए गए उल्लंघन विधिक प्रावधान सम्मन शुल्क एवं वैकल्पिक प्रावधानों की जानकारी नहीं दी जाती है तथा व्यक्ति का वाहन रोककर चैकिंग के उपरांत उसे सम्मन शुल्क राशि के बारे बताया जाता है। यहां विधिवत् कार्रवाई एवं सम्मन शुल्क वसूली के उपरांत वाहन मालिक कहीं-न-कहीं भ्रष्टाचार की शंका से ग्रसित होकर या तो प्रतिरोध करता है अन्यथा शिकायत दर्ज कराता है। इनमें से कुछ भी नहीं होने पर वह अपने मन में पुलिस के प्रति नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। यहां यदि चैकिंगकर्ता द्वारा न्यूनतम समय में उसे प्रावधान, उल्लंघन, सम्मन शुल्क एवं वैकल्पिक स्थिति, जिसमें कि वह प्रकरण का न्यायालयीन निराकरण भी करा सकता है की विधिवत जानकारी यदि दी जाए तो निश्चित ही न केवल वह स्वेच्छा से चालान भरेगा, अपितु भविष्य में त्रुटि सुधार के प्रयास एवं पुलिस की पारदर्शी छवि के प्रति आश्वस्त होगा।

# पुलिस प्रशिक्षण एवं नेतृत्व प्रशिक्षण

पुलिस के विभिन्न रैंक स्तर, भारतीय पुलिस सेवा से लेकर आरक्षक तक किसी-न-किसी रूप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका का निर्वहन करते हैं। वरिष्ठ स्तर पर योजना निर्माण, नीति निर्धारण एवं अपने अधीनस्थ बल को नेतृत्व प्रदान किया जाता है तो मध्यम स्तर पर थाना क्षेत्र एवं अधीनस्थ स्टाफ के नेतृत्व का स्वरूप थाना प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक स्तर में निहित होता है वहीं आरक्षक प्रधान आरक्षक स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी बीट या क्षेत्र में पुलिस एवं शासन के प्रतिनिधि की भूमिका का निर्वहन करते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में संगठन के पक्ष को प्रस्तुत कर नेतृत्वकर्ता का स्थान प्राप्त करते हैं। पुलिस बल सेवा एवं विभाग के स्वरूपों में विभिन्न नेतृत्वकर्ता के उत्तरदायित्वों का प्रस्तुतीकरण करती है, लेकिन पुलिस प्रशिक्षण में विभिन्न स्तर के अधिकारियों को नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किया जाता है। पुलिस के मध्यम स्तर के नेतृत्व यथा उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक के प्रशिक्षण में नेतृत्व कौशल के प्रशिक्षण को अत्यधिक अल्प स्थान प्राप्त है। उप पुलिस अधीक्षक स्तर पर कुल प्रशिक्षण का मात्र 07 प्रतिशत केन्द्रित होना सामान्यत: पाया गया है जोकि अत्यधिक अल्प है। इसी प्रकार उप निरीक्षक स्तर पर भी नेतृत्व कौशल सम्बन्धित प्रशिक्षण को 05 से 07 प्रतिशत समय ही प्रदान किया जाता है। परिणामतः विभिन्न वांछनीय कौशल का अभाव पुलिस नेतृत्व में सामान्य रूप से परिलक्षित प्रतीत होता है। पुलिस संचार पर यदि प्रकाश डाला जाए तो सामान्यतः किसी भी संदेश का यदि वह लिखित रूप में नहीं है तो प्रेषण पर ग्राहता का प्रतिशत लगभग 35 प्रतिशत तक सीमित है। इसी प्रकार विभिन्न विरोधाभासों एवं संघर्ष की स्थितियों के निराकरण की दक्षता का स्तर भी संतुष्टिजनक

प्रतिक्रियाओं के स्तर के निर्धारण के संबंध में त्रुटियों के प्रकरण लगातार प्रकाश में आते हैं, जहां पुलिस यथोचित कार्रवाई करने के उपरांत भी असंतुष्टि, आक्षेप तथा आरोपों का शिकार भी होती है। पुलिस विभाग में तनाव कारक एवं तनाव का स्तर उच्च स्तर को प्राप्त करता है, लेकिन तनाव नियंत्रण संबंधी दक्षता एवं प्रबंधन उपयुक्त रूप में नहीं होने का परिणाम पुलिस विभाग में कर्मचारियों में तनावजन्य बीमारियों के आधिक्य के रूप में प्रकट होता है। पुलिस संगठन के विभिन्न इकाई स्तर पर टीम भावना का अभाव पाया जाता है। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में थाना प्रभारी या उप पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों को एक टीम के रूप में व्यवस्थित करने में सफल नहीं हो पाते परिणामत: संगठित कार्य निष्पादन के प्रयास एवं परिणाम प्राप्ति में विभिन्न अवरोध प्रत्यक्ष होते हैं। पुलिस विभाग में रैंक अवनति की स्थिति वर्तमान परिवेश में प्रसार प्राप्त कर रही है। इससे आशय यह है कि पूर्व में जिस कार्य को आरक्षक के स्तर पर कर लिया जाता था आज वह कार्य प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप-निरीक्षक के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से निष्पादित हो पा रहा है। जहां थाना प्रभारी या उप निरीक्षक प्रभावी होते थे वहाँ उप पुलिस अधीक्षक भी प्रभावी निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार रैंक एवं पदक्रम के उच्च स्तर की अपेक्षा जनता एवं समाज द्वारा व्यक्त की जा रही है जोकि कहीं-न-कहीं नेतृत्व की अक्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नेतृत्वकर्ता के रूप में पुलिस फोर्स में अभिप्रेरण एवं आत्मविश्वास जाग्रत करने में पुलिस अधिकारी किसी-न-किसी रूप में अपेक्षित व्यवहार प्रदर्शन में नाकाम रहे हैं। इस प्रकार अन्य कई उदाहरण हैं जहां नेतृत्व की प्रभावी भूमिका का निर्वहन नहीं होना एवं संगठन पर दुष्प्रभाव प्रकाश में आए हैं। पुलिस अनुशासन अब शैक्षिक न होकर

नहीं हैं। मानव व्यवहार एवं उसकी विभिन्न

दण्ड के भय एवं त्रुटियों के प्रति सुरक्षात्मक उपाय के रूप में स्थान ग्रहण कर रहा है। उत्तरदायित्व ग्रहण करने की अपेक्षा उत्तरदायित्व से बचने एवं सुरक्षात्मक पुलिसिंग के प्रचलन का मूल कारण कहीं-न-कहीं नेतृत्व संबंधी अल्पता में निहित पुलिस के प्रशिक्षण प्रबंधन एवं नीति निर्धारकों को विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व कौशल, के विकास को पुलिस प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने पर गंभीर विचार करना होगा। पुलिस प्रशिक्षण में उप पुलिस अधीक्षक स्तर पर संचार कौशल अशाब्दिक संचार टीम निर्माण, टीम प्रबंधन, मानव व्यवहार, आत्म निरीक्षण, असहमति का निवारण, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक दक्षता, समय प्रबंधन आदि को स्थान प्रदान करना अपेक्षित है। उप पुलिस अधीक्षक के सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस प्रकार की अभिक्रियाओं को न्यूनतम 15 प्रतिशत समाहित एवं निर्धारित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उप निरीक्षक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी 10 से 15 प्रतिशत स्थान न्यूनतम नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

भारतीय पुलिस सेवा स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण में 15 से 20 प्रतिशत भाग नेतृत्व प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। नेतृत्व अभिरुचियों के उन्नयन के लिए नेतृत्व अभिरुचियो के संबंध में मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक विषय के रूप में नेतृत्व संबंधी अभियोग्यताओं को निर्धारित किया जाना श्रेष्ठ हो सकता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, पुलिस के दक्षता प्रवर्धन में प्रशिक्षण के साथ नियुक्ति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। अत: पुलिस की नियुक्ति प्रक्रिया में भी नेतृत्व संबंधी परीक्षण एवं इससे संबंधी अभिरुचि मूल्यांकन को स्थान प्रदान किया जाना अच्छे पुलिस नेतृत्व के निर्माण के लिए सार्थक हो सकता है। पुलिस नेतृत्व के विकास एवं विभिन्न रैंक स्तरों पर नेतृत्व कौशल के उन्नयन प्रयास पुलिस संगठन के मूलभूत एवं नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं। बदलते परिवेश में पुलिस संगठन के सदस्यों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन अत्यधिक आवश्यक है। यह परिवर्तन नेतृत्व कौशल के विकास के आधार पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 



कश्मीर दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने हरिसिंह को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, लेकिन हरिसिंह उनकी बात मानने को तैयार नहीं हए। उधर, पाकिस्तान के आलाकमानों ने भी हरिसिंह को अपने साथ मिलाने के लिए प्रलोभन दिए, लेकिन उन्होंने इन्हें भी नकार दिया और यहीं से असली मुसीबत शुरु हुई। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ-वेस्ट फ्रण्टियर प्रोविंस से विद्रोह शुरु कर दिया हथियारों से लैस कबीलाइयों ने बारामूला तक अपनी पैठ बना ली। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हरिसिंह ने श्रीनगर छोड़ने से पूर्व भारत के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथा भारत सरकार से गुहार की कि वह सेना भेजे एवं नरसंहार को रोके। कश्मीर विलय की संधि सबसे ज्यादा उलझे विवादों में से एक मानी जाती है। जम्मू-कश्मीर भारत पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण सम्बन्धों और सियासी चौसर का केन्द्र बना रहा। आधिकारिक तौर पर भारत के गृह मंत्रालय से 26 अक्टूबर 1947 को सचिव वी.पी.मेनन वहाँ गए और विलय के काग्ज़ात पर महाराजा हरिसिंह से हस्ताक्षर करवा लिए, इसके साथ कश्मीर पर भारत का औपचारिक, व्यावहारिक और आधिकारिक कब्ज़ा हो गया, लेकिन विलय की कुछ औपचारिकताएँ अधूरी रह गई थीं और कश्मीर के साथ भारत के सम्बन्ध उलझते चले गए। इसकी बडी़ वजह थी, कश्मीर में जनमत संग्रह का वादा. जिसकी पेशकश लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। अंतत: हरिसिंह के निर्णय

#### कश्मीर समस्या : चुनौतियाँ एवं समाधान - अनुच्छेद 370 के संदर्भ में डॉ. अर्चना शर्मा <sup>उपप्राचार्या,</sup> वेदान्ता स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय,

रींगस (सीकर) राजस्थान

15 अगस्त 1947 के दिन भारत की स्वतंत्रता के साथ जम्मू-कश्मीर भी स्वतंत्र हो गया। जब देश आजाद हुआ तब भारत में 552 से भी ज्यादा रियासतें थीं। सभी रियासतों ने भारत में विलय की घोषणा कर दी। पहले जम्मू-कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने विलय से इन्कार कर दिया, पर बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता अधिनियम के हिसाब से यह सम्बन्धित रियासतों के शासकों पर निर्भर था कि वे किस देश का हिस्सा बनें। संविधान के भाग 21 में भारतीय संघ के 25 में से 11 राज्यों के लिए संघ में अनुच्छेद 369 से 378 और अनुच्छेद 392 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। इनमें जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैण्ड, असम, मणिपुर, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल है लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अधीन विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया जो भारत और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच हुए समझौते का परिणाम है।

# इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और धारा 370 का ऐतिहासिक विकास

जम्मू-कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरिसिंह थे। सन् 1947 में महाराजा हरिसिंह और गवर्नर जनरल माउंटबेटन के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत् कश्मीर भारत संघ में मिलाया गया भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन पुलिस विज्ञान के बाद भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को कबीलाइयों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया, किन्तु पाकिस्तानी सेना ने इस राज्य पर आक्रमण किया तो महाराजा हरिसिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए 26 अक्टूबर 1947 को एक अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर हुए इसमें न तो कोई शर्त शामिल थी और न ही रियासत के लिए विशेष दर्जे जैसी कोई मांग की गई थी इस वैधानिक दस्तावेज़ के तहत् समूचा जम्मू-कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग बन गया और संविधान की प्रथम सूची में भारत संघ के राज्यों में जम्मू-कश्मीर का नाम शामिल हो गया, पर जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति भारतीय संघ के अन्य राज्यों से भिन्न थी।

कश्मीर का अधूरा विलय, जनमत संग्रह का वायदा और संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचा विवाद 27 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के साथ ही गवर्नर जनरल ने महाराजा हरिसिंह को पत्र लिखकर कहा कि मेरी सरकार की इच्छा है कि कश्मीर की धरती से आक्रमणकारियों को मुक्त कराने के बाद रियासत के भारत में विलय के बारे में जनता की राय ली जाए। जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान था, पर अलग संविधान भी अखण्ड भारत का ही पक्षधर है। भारत संघ में विलय का महत्वपूर्ण दस्तावेज्, जिसकी प्रस्तावना में कहा गया है-हम जम्मू-कश्मीर के लोग 26 अक्टूबर 1947 को राज्य के भारत संघ में विलय के अनुसरण में संघ के साथ राज्य के सम्बन्धों को पुनः परिभाषित करते हुए संकल्प लेते हैं कि राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और बना रहेगा। राज्य के संविधान की इसी भावना के बल पर भारत विश्व के सामने जम्मू-कश्मीर पर अपना वैधानिक अधिकार जताता

है। जम्मू-कश्मीर संविधान सभा का यह दस्तावेज़ ही भारत संघ में विलय का जनमत संग्रह है। यद्यपि भारत में जूनागढ़ के विलय करने के बाद जनमत संग्रह कराया। सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाने के लिए 1947 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसे वहाँ की जनता ने अस्वीकार कर दिया। फिर 16 मई 1975 को सिक्किम भारत संघ में मिला, त्रिपुरा का अक्टूबर 1949 में भारत संघ में विलय बिना जनमत संग्रह के किया गया सन् 1956 तक पार्ट-सी राज्य बनने के बाद केन्द्र शासित क्षेत्र बना, फिर सन् 1972 में पूर्ण राज्य बन पाया, परन्तु जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियाँ भिन्न थी। पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर इसे हड़पना चाहता था, पर कट्टर हिंदू होने के कारण हरिसिंह पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे।

माउंटबेटन की सलाह पर प्रधानमंत्री नेहरू यह मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले गए। शासन प्रमुख के तौर पर अंग्रेज गवर्नर जनरल का यह वायदा भविष्य के लिए भी भारत के लिए गले की हड्डी बन गया भारतीय सेना की सख्त कार्रवाई से कबीलाई सेना धीरे-धीरे पीछे हटने लगी और आखिरकार भाग निकली। हालांकि इसी बीच मुज़्फ़्फ़राबाद का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया जब भारत-पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर के मामले पर विवाद और बढा़ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू इसे सुरक्षा परिषद् (संयुक्त राष्ट्र संघ) ले गए और इसे विवादित क्षेत्र घोषित करा दिया व इस पर जनमत सर्वेक्षण कराए जाने की बात कही। यह भी शर्त रखी कि पाकिस्तान पी.ओ.के. से सेना हटाए और भारत अपनी सेना को इस क्षेत्र से कम करे, लेकिन दोनों, में से किसी भी देश ने न तो सेना हटाई और न कम की। कश्मीर के शेख अब्दुल्ला ने भारत के साथ अपनी स्थिति मज़बूत कर ली। ऐसे हालात में अनुच्छेद 370

और 35ए से कश्मीर को विशेष दर्जा मिला।

गया इस समझौते के बाद 1954 का विवादित कानून अनुच्छेद 35ए जोडा़ गया यह आदेश संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ था। डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर राज्य को विशेष अधिकार देने के लिए अनुच्छेद 35ए पारित किया, जिसे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक फ्रॉड माना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान में कोई धारा जोड़ने या नया कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसके तहत् राज्य सरकार को यह अधिकार था कि वह आज़ादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किसी तरह की सहूलियत दे या न दे। इस आर्टिकल को प्रधानमंत्री नेहरू ने न तो कैबिनेट से पास कराया और न ही इसका संविधान में कोई उल्लेख था। संविधान में इसे बाद मे जोड़ दिया गया, जो राज्य के राजनेताओं को मनमानी करने का हथियार देता था। इस अनुच्छेद के बाद ही जम्मू-कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। इसे बदला या फिर हटाया जा सकता था। अनुच्छेद 370 (3) में प्रावधान था कि इसे बदलने के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को सहमति चाहिए, परन्तु 26 जनवरी 1957 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया। उसका उत्तराधिकारी जम्मू-कश्मीर विधानसभा को माना गया, पर वर्तमान में विधानसभा नहीं है तो देश की संसद ही इसकी उत्तराधिकारी होगी। इस धारा के खण्ड (3) में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 को कभी भी खत्म कर सकता है। अब संविधान सभा नहीं है तो ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। अत: सब संविधान के दायरे में किया गया है, जिसे न्यायालय

यह अनसुलझा, जटिल मुद्दा बन गया, जब 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, पर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 17 अक्टूबर 1949 को ऐसी घटना घटी, जिसने जम्मू-कश्मीर का इतिहास बदल दिया संविधान सभा में गोपाला स्वामी आयंगर ने धारा 306ए का प्रारूप पेश किया। बाद में यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 बन गया। आयंगर ने संसद में कहा कि हम जम्मू-कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते है क्योंकि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है और इस राज्य के साथ अनेक ऐसी समस्याएँ हैं कि आधे लोग इधर फँसे हैं तो आधे उधर। अभी वहाँ की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर में पूरा संविधान लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। अंतत: अस्थायी तौर पर इसके लिए धारा 370 को लागू करना होगा। जब हालात सामान्य हो जाएँगे तो इस धारा को हटा लिया जाएगा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है। 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यह दलील ख़ारिज कर दी कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है और इसे जारी रखना धोखा होगा। इस धारा के फेज पर लिखा हुआ है, टेम्परेरी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू एण्ड कश्मीर इसके तहत् जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले। सन् 1951 में राज्य को अलग से संविधान सभा बुलाने की अनुमति दी गई। सितम्बर-अक्टूबर 1951 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का निर्वाचन राज्य के भविष्य के संविधान निर्माण के लिए तथा भारत के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए किया गया। सन् 1952 में दिल्ली समझौता नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ। इस समझौते में भारत की नागरिकता को जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए भी खोल दिया में चुनौती नहीं दी जा सकती। धारा 370 भारत की संसद द्वारा बनाई गई है और वही इसे हटा सकती है। इस धारा को जम्मू-कश्मीर की विधानसभा या वहाँ का महाराजा लेकर नहीं आए यह धारा इसलिए लाई गई थी, क्योंकि तब वहाँ युद्ध जैसे हालात थे और पी.ओ.के. की जनता पलायन करके इधर आ रही थी। ऐसे में नेहरू ने भारत के सम्पूर्ण संविधान को लागू करना उचित नहीं समझा और शेख अब्दुल्ला की बात मानी।

प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रबन्ध के तौर पर करार दिया था। समझौते के मुताबिक, भारत सरकार ने वादा किया कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के अंतरिम संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारण नहीं कर लेती तब तक भारत का संविधान राज्य के बारे में अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है। 27 नवम्बर 1963 को अनुच्छेद 370 को खुत्म करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, उससे नेहरू व पटेल के रिश्तों में खटास आने लगी क्योंकि पटेल इस अनुच्छेद को लागू रखने के खिलाफ थे, पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कश्मीर विलय के समय वहाँ मुख्यमंत्री के बजाय अक्टूबर 1947 से 30 मार्च 1965 तक प्रधानमंत्री और राज्यपाल के बजाय 1952-1965 तक सदर-ए-रियासत यानी राष्ट्रपति का पद गठित किया गया। महाराजा हरिसिंह के पुत्र कर्णसिंह इस पद पर रहे। कर्णसिंह 30 मार्च 1965 को कश्मीर के पहले राज्यपाल बने। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनवाया। 27 नवम्बर 1963 को इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में नेहरू ने संसद में कहा कि यह अनुच्छेद घिसते-घिसते घिस जाएगा पर ऐसा हुआ नही। गुलजारी लाल नंदा (पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री) ने

4 दिसम्बर 1964 को लोकसभा में कहा था कि अनुच्छेद 370 को चाहे रखें या हटा दें, लेकिन यह अपना असर दिखा चुका है। डा. अम्बेडकर ने भी इस नियम को देश की एकता और अखण्डता के लिए ख़तरा बताते हुए इसे मंजूरी देने से इन्कार कर दिया था।

#### 1954 में दिया गया विशेष राज्य का दर्जा-

14 मई 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के आदेश से अनुच्छेद 35ए संविधान में जोड़ा गया, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह भारतीय संविधान में विशेष उपबन्ध भाग 21 में है। जम्मू-कश्मीर राज्य अपने अलग संविधान द्वारा निर्देशित है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए।

- सन् 1956 में जम्मू-कश्मीर के संविधान में स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया 35ए के तहत् जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी पारिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता था। संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वही है, जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक हो या उससे पहले 10 साल से राज्य में रह रहा हो।
- भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है, उसमें अपशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार को सौपी गई हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य इसका अपवाद था।
- इसी अनुच्छेद के कारण जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान था और इसका प्रशासन भी इसी के अनुरूप चलाया जाता था ना कि भारत के सविधान के अनुसार।

- भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामलें में सिर्फ तीन क्षेत्रों रक्षा, संचार और विदेश मामलों के लिए कानून बना सकती है इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार की धारा 371 के खण्ड (1) के तहत् राज्य सरकार की भी मंजूरी चाहिए थी।
- इस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति संघ सूची और राज्य सूची के उन विषयों तक ही संसद के पास थी, जिनको जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार के साथ परामर्श करके उन विषयों में शामिल किया गया था अर्थात् संसद राज्य की सहमति के बिना इन पर कानून नहीं बना सकती थी।
- संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था थी। अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने पर राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर राज्य में एक सीमा तक, राज्य की सहमति से ही लागू करने का अधिकार था। अनुच्छेद 356 के उपबंध में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती थी क्योकि ऐसा करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी। भारत में आंतरिक गड़बड़ियों के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा भी दिया जाता था तो इसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर पर नहीं पडता था। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत् देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था।
- भारत के नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में बसने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, न ही उन्हें चल या अचल सम्पति प्राप्त करने

का अधिकार था। 1976 का शहरी भूमि कानून राज्य पर लागू नहीं होता था। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे।

- इस राज्य में सरकारी नौकरियों में सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों का ही चयन होता था तथा राज्य की छात्रवृत्तियाँ भी यहाँ के स्थानीय नागरिकों को ही मिल सकती थीं।
- राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सम्बन्धित उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे।
- कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में व्यापारिक संस्थान नहीं खोल सकता था।
- राज्य सरकार किसी भी कानून को अपने हिसाब से बदलती थी तो उसे न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
- जम्मू-कश्मीर के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी।
- जम्मू-कश्मीर की कोई महिला किसी अन्य राज्य के नागरिक से शादी करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती। उसे उस राज्य से मिलने वाले सभी विशेषाधिकार वापस ले लिए जाते। साथ ही, उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते थे। लेकिन यदि वह किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पडता था।
- भारत के किसी अन्य राज्य के नागरिक जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं बन सकते थे। इसी कारण वे वहाँ वोट नहीं डाल सकते थे।

इस कानून की आड़ में राज्य सरकार ने देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में मुसलमानों को तो जम्मू-कश्मीर की नागरिकता दे दी, लेकिन हिन्दू और सिक्खों को इससे वंचित रखा गया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में विवाह करके बसने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू-कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35ए की आड़ में भेदभाव करती थी। यदि कोई मुसलमान किसी बाहरी लड़की से विवाह कर लेता तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती, लेकिन यदि कोई हिन्दू ऐसा करता तो उसे वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता था। 1988 तक राज्य में स्थिति शांत रही, लेकिन 1990 में कश्मीर घाटी में हिन्दुओं का कृत्लेआम करने के बाद राज्य में कट्टरपंथी और राजनीतिज्ञों ने इस क्षेत्र को विवादित और अशांत बना दिया इसीलिए 35ए और धारा 370 को हटाए बिना कश्मीर में शांति कायम नहीं की जा सकती थी।

# विशेष संवैधानिक दर्जे का ह्नास पहले से जारी था-

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से समय-समय पर संविधान के अनुच्छेदों में अनेक संशोधन किए गए। जम्मू-कश्मीर के संविधान में राज्य के लिए अलग चुनाव आयोग का प्रावधान था, लेकिन वहाँ भी चुनाव 'भारतीय निर्वाचन आयोग' की देखरेख में ही होता है। अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में किए गए संशोधन राष्ट्रपति आदेश के द्वारा ही जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू किए गए। राष्ट्रपति ने संविधान संशोधन आदेश 1954 जारी करके संविधान के अनेक उपबंधों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू किया और समय-समय पर इसमें संशोधन भी किए।

सन् 1972 में भारत-पाक युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टों ने हस्ताक्षर किए। सन् 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस संधि में दोनों देशों की सेनाएँ जिस स्थिति में थीं, उसे ही वास्तविक रेखा मान लिया गया भारत ने आश्वासन दिया कि भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी विवाद हैं, उनका समाधान आपसी बातचीत से ही किया जाएगा, पर पाक ने अनेक बार कश्मीर विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। 1999 में कारगिल युद्ध में पाक सेना के जान-बूझकर घुसपैठ करने के कारण भारत को यह युद्ध लड़ना पडा।

## जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन

26 मार्च 1977 से 9 जुलाई 1977 तक 6 मार्च 1986 से 7 नवम्बर 1986 तक 19 जनवरी 1990 से 9 अक्टूबर 1996 तक 18 अक्टूबर 2002 से 2 नवम्बर 2002 तक 11 जुलाई 2008 से 5 जनवरी 2009 तक 9 जनवरी 2015 से 1 मार्च 2015 तक 8 जनवरी 2016 से 4 अप्रैल 2016 तक 19 जून 2018 से अब तक

पुलिस विज्ञान

जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति अनुच्छेद 370 से पूर्व और बाद

पहले विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था	अब सभी राज्यों की भांति 5 वर्ष का कार्यकाल होगा।	
	अब देश का हर नागरिक वहाँ सम्पत्ति खरीद सकता है और किसी भी नागरिक को नौकरी मिल सकेगी।	
पहले दोहरी नागरिकता थी।	अब एकल नागरिकता होगी।	
पहले एक राज्यपाल होता था।	अब अलग-अलग उप-राज्यपाल होंगे। लद्दाख में अलग से उप-राज्यपाल होगा।	
पहले केन्द्र के बनाए कानून राज्य में लागू नहीं होते थे तथा आर.टी.आई., सी.ए.जी., आर.टी.ई., मनीलॉड्रिंग जैसे कानून लागू नहीं होते थे।	भारतीय दण्ड संहिता लागू होगी। अब इनके साथ भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी लागू होगा।	
पहले यदि कश्मीर की महिला दूसरे राज्य में शादी कर लेती तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती थी।	अब दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद भी वह जम्मू-कश्मीर की नागरिक बनी रहेगी।	
अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के लिए 4 बड़े फैसले लिए गए हैं -		
<ul> <li>अनुच्छेद 370 को पूरी तरह हटाया नहीं गया है। असल में यह तीन भागों में बँटा हुआ है। अनुच्छेद 370 (1) अभी भी कायम है जबकि अनुच्छेद 370 (2)(3) को हटाया गया है।</li> </ul>		
• अनुच्छेद 370 के खत्म होते ही 35ए (खण्ड 1 को छोडकर) स्वत: ही समाप्त हो गए हैं।		
• जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को भी अलग किया गया है। दोनों जगहों के उपराज्यपाल अलग-अलग होंगे।		
<ul> <li>जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब, दोनों को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।</li> </ul>		

के युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे में रह गया था, वह भारत का है। भारतीय संसद ने इसे वापस लाने के लिए भी विधेयक पास कर रखा है। भविष्य में वह भी भारतीय संघ का हिस्सा बन सकता है।

सन् 1952 से लेकर जब-जब नए-नए राज्य बनाए गए हैं या किसी राज्य की सीमाओं को बदला गया है तो राज्य विधानसभाओं के विचार-विमर्श के बिना नहीं बदला गया। कश्मीर में एकतरफा युद्ध विराम नेहरू जी ने ही किया, जबकि 1948 में भारतीय सेना विजय पथ पर बढ़ती हुई पाकिस्तानी कबीलों के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुकी थी, पर एकतरफा युद्ध विराम द्वारा सेना को आगे बढ़ने से रोका गया और इस मामले को यू.एन. में ले जाया गया वोट बैंक की राजनीति के चलते 72 साल तक इस पर निर्णय नहीं हो सका।

सन् 1947 से लेकर अब तक जो हुआ, उसे भूलकर राष्ट्रहित में एक नया रास्ता खोजना होगा। अब जम्मू-कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई है, जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, अम्बेडकर और अटल जी का था, अब साकार हुआ है। कश्मीर में 72 सालों की हिंसा में राष्ट्र ने अपनों को खोया है। 1989 से लेकर आज तक 42 हज़ार लोग मारे गए हैं। कारगिल युद्ध से लेकर आज तक हज़ारों जवान शहीद हुए हैं। जाने-माने पत्रकार राहुल पंडित की किताब 'अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स' एक ख़ौफ़नाक दास्तान को बयान करती है। आख़िर अनुच्छेद 370 को हटाना क्यों जरूरी हो गया था। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की वकालत करते हुए केन्द्र सरकार ने यह तर्क दिया कि इससे राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद की भावना बढ़ी है। जम्मू-कश्मीर के विशेषाधिकार अलगाववादियों की पुलिस विज्ञान

# अनुच्छेद 370 की समाप्ति एवं जम्मू-कश्मीर के सुधरते हालात -

17वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 तथा 35ए से कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को हटाने का मुद्दा रखा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और अखण्ड भारत की एकता के प्रतीक सरदार पटेल जिस जम्मू-कश्मीर रियासत का भारत में विलय का काम अधूरा छोड़ गए थे, उसे 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 की विभिन्न धाराओं को निरस्त कर पूरा कर दिया। संविधान की धारा के तहत् जम्मू-कश्मीर के विखण्डन की प्रकिया शुरु कर दी। इसके साथ जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें समाप्त कर जम्मू-कश्मीर के भारत संघ में पूर्ण विलय की प्रकिया शुरु हो गई है। जनसंघ के निर्माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 23 जून 1953 में अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाने के लिए, एक प्रधान-एक विधान-एक निशान, अभियान में अपने प्राण आहूत किए थे। अब पिछले 70 वर्षो से चले आ रहे दोगलेपन के वातावरण की विदाई हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने वक्तव्य में कहा कि आतंकवाद का मूल ही अनुच्छेद 370 था, इसकी आड़ में चंद लोगों ने लाखों लोगों को गरीबी का जीवन जीने को मजबूर कर रखा था। अनुच्छेद 370 खत्म होते ही जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में आमूल-चूल बदलाव आयेगें। अब पूरे देश का एक ही विधान है। कश्मीर में भी तिरंगा ही लहराएगा। पहले कश्मीर का अलग विधान एवं अलग झण्डा था। अब कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तरह उन्हीं अधिकारों का हकदार होगा, जैसे दूसरे राज्य हैं, न विशेष प्रावधान न कोई भेदभाव। पाक अधिकृत कश्मीर का जो भाग 1947

1965 से पहले वाली स्थिति की मांग कर रहे थे। 2004 से 2019 तक भारत सरकार ने 2.77 हज़ार करोड़ रुपये राज्य सरकार को विकास के लिए दिए, पर कश्मीर में भ्रष्टाचार के कारण केवल कुछ परिवार ही सुविधाएँ भोग रहे थे, आमजन परेशानियाँ झेलने को मजबूर था। बेरोज़गारी का आलम यह था कि लोग चंद रुपयो के लालच में आतंकवादियों का साथ दे रहे थे और भारत के ख़िलाफ़ नारेबाजी किया करते थे, पर अलग संविधान होने के कारण कानून व्यवस्था बनाने में परेशानी थी। आजादी के 70 वर्ष बाद भी आज जम्मू-कश्मीर शिक्षा, रोज़गार, उद्योग, पर्यटन और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में पिछडा़ हुआ है। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता है। अत: यह कानून विकास विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी है। इस अनुच्छेद का फायदा केवल चंद राजनैतिक परिवारों ने ही उठाया है। पर्यटन उद्योग के विकास की कश्मीर में अच्छी संभावनाएँ हैं, जिसे 370 अनुच्छेद ने अब तक पनपने नहीं दिया है। कश्मीर के अंदर 1989 से लेकर 2019 तक रक्तपात के चलते घाटी के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कश्मीर के अल्पसंख्यक पंडित बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के डर से 1990 के बाद से कश्मीर से पलायन कर गए। जब-जब जम्मू-कश्मीर से 370 को हटाने की मांग होती थी तो कश्मीरी नेता और स्थानीय निवासी इसका विरोध करते आए हैं।

अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्प्रभावी किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में ख़ून की एक बूंद भी नहीं गिरी है। कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है, यही सत्ता का प्रतीक भी है। जम्मू-कश्मीर के नेताओं के हाथों से अब यह शक्ति छिन गई है। अब दिल्ली

वजह से छिने गए। सन् 1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया ने कहा था कि जब तक अनुच्छेद 370 है, तब तक कश्मीर का युवा भारत की आत्मा से नहीं जुड़ सकता है। पाकिस्तान ने इसका गुलत फ़ायदा उठाया और युवाओं के मन में देश के प्रति नाराज़गी पैदा की। आज कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के साथ न तो कोई मुस्लिम राष्ट्र खड़े है और न ही महाशक्तियाँ, विशेषतौर पर उसका परम् मित्र चीन भी इस मामले में दूरी बना चुका है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के मुद्दे पर पाकिस्तान को झटका तब लगा जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने इसे द्विपक्षीय मसला बता दिया। पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है ताकि भारत में कुछ-न-कुछ गड़बड़ी करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर विश्व को यह दर्शा सके कि इस फैसले से कश्मीरियों में जबर्दस्त रोष है।

यदि जम्मू-कश्मीर को कटट्रपंथियों के भरोसे छोड़ दिया जाये तो युवा वर्ग ऐसे ही भटकता रहेगा। युवाओं को भड़काने वाले राजनीतिक नेताओं के बेटे-बेटियाँ विदेशों में पढ़ते हैं और उन्होंने कश्मीर से पैसा कमाकर विदेशों में अपनी सम्पत्तियाँ बना रखी हैं। वे युवा वर्ग को मूर्ख बनाकर लोकतंत्र को कमजोर बना रहे है। अब भारत सरकार को बार-बार राज्यपाल शासन नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि केन्द्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होने से हुर्रियत जैसे कश्मीरी नेता, जो खाते तो भारत की थे, लेकिन उनकी वफादारी पाकिस्तान के साथ थी। लोग आतंकवादियों को बचाने के लिए कवच की तरह सुरक्षा बलों के आगे विरोधी प्रवृत्ति अपना रहे थे। जिन युवाओं के हाथों में कलम या कम्प्यूटर होना चाहिए था, उनके हाथों में पत्थर आ गए थे। तभी इतने विशेषाधिकार होने के बावजूद कश्मीरी नेता

सख़्ती से निपटे और सभी वर्गो का सहयोग ले। सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर वहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करे तो कश्मीर के हालात जल्दी सामान्य हो सकते हैं। विशेष दर्जा वापस लेने का विरोध करने वाले दलों के साथ यदि सरकार निरन्तर सम्पर्क बनाए रखे तभी उनका विश्वास हासिल कर सकती है।

'धरती का स्वर्ग' माना जाने वाला जम्मू-कश्मीर हिन्दू, मुस्लिम और बौद्ध संस्कृति का संगम है। मुस्लिम आबादी की बहुलता होते हुए भी जम्मू में हिन्दू और लद्दाख में बौद्ध संस्कृति का मिला-जुला असर दिखाई देता है। केसर का सबसे बड़ा निर्यातक, फूलों की घाटी के रूप में विख्यात देशी-विदेशी पर्यटकों का केन्द्र माना जाता है। 1980 के दशक तक फ़िल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर मशहूर था, पर 90 के दशक में हिंसा के कारण इसमें कमी आई है। फुर्नीचर बनाने के उद्योग के लिए उम्दा किस्म की लकड़ी के लिए कश्मीर मशहूर है। इस प्रकार के उद्योगों के पुनः पनपने से कश्मीर का विकास होगा और रोज़गार की अच्छी संभावनाएँ विकसित हो सकती हैं। अब तेजी से विकास करने के लिए शांति व्यवस्था की ज़रूरत है। सरकार पर्यटन एवं निर्माण उद्योग को बढा़वा देकर कश्मीर का विकास करेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

की तरह कश्मीरी रियासत के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार पर दिल्ली से नियुक्त उपराज्यपाल की हुकूमत चलेगी। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी हो जाने से अब फौज और पुलिस की स्थिति मजबूत होगी, उनका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। केन्द्र शासित प्रदेश बन जाने से कानून व्यवस्था भी केन्द्र सरकार के हाथों में आ जाएगी। राज्य पुलिस खुफिया सूचनाओं का प्रत्यक्ष स्त्रोत होती थी, पर केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल के आ जाने से सेना और केन्द्र शासित पुलिस को खुफ़िया जानकारियों का पता लग पायेगा। अलगाववाद. आतंकवाद या पाकिस्तानी समर्थित नेता विधानसभा में चुनकर आ भी जाएँ तो पुलिस अपना काम करने को स्वतंत्र होगी। पुलिस ही नहीं बल्कि सैनिक और अर्द्वसैनिक बल भी मज़बूत होंगे। कश्मीर में राजनीतिक दलों की ऐसी हरकतों की वजह से सेना और अर्द्वसैनिक बलों का मनोबल निरंतर गिरता जा रहा था, जो उम्मीद है पुनः विकसित होगा। पी. डी.पी. नेता महबूबा मुफ़्ती ने मुख्यमंत्री रहते हुए सेना के कई जवानों पर कानूनी कार्रवाई की, जो अनुचित थी। जम्मू-कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कश्मीर के हालात सामान्य हैं या नहीं, इस संबंध में दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। सरकार को चाहिए कि वह कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए आतंकवादी व अलगाववादियों के साथ

# मानवाधिकार संगठन एवं पुलिस

**श्री राजीव कुमार** वरिष्ठ प्रबंधक-राजभाषा बेंक आफ इंडिया, मुंबई

रहे पुलिस सदैव सजग, करे मानवाधिकारों का सम्मान। तभी बढ़ेगा आपसी सौहार्द, एवं राष्ट्र चढ़ेगा नए सोपान॥'

#### प्रस्तावना

जब से यह दुनिया बनी है, मानव के संघर्ष की कहानी भी तब से ही आरंभ हो गई थी, जो कि आज तक जारी है। हमारे देश में काफी लंबे समय तक विदेशी शासकों का शासन रहा है। सबसे पहले आक्रमणकारी सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि आक्रमणकारी सिकन्दर से पहले भी फारस इत्यादि देशों के कुछ व्यापारियों ने हमारे देश को लूटा तो अवश्य, पर वे यहां शासन नहीं कर पाए सिकन्दर के बाद, मुगलों ने भी हमारे देश को पहले तो लूटा और उसके बाद यहां की बँटी हुई रियासतों का लाभ उठाकर उन्होंने यहां पर अपना शासन जमा लिया 1600 ई. के बाद अंग्रेजों ने सोने की चिडिया समझे जाने वाले हमारे देश में कारोबार करने के बहाने प्रवेश किया और धीरे-धीरे उन्होंने 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया अंग्रेजों ने भारतीयों पर काफी जुल्म किए और लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक यहां राज किया तथा हमें अपनी दासता का गुलाम बनाकर रखा। अंग्रेजों ने यहां पर राजतंत्र स्थापित किया था और वह जिसको चाहते. थे उसको सजा दे सकते थे और जिसको चाहते उसको छोड़ सकते थे। राजतंत्र में राजा ही सब कुछ होता है, वहाँ पर कानून की कोई जगह नहीं होती है। दुनिया में आज भी बहुत से देशों में राजतंत्र है, जैसे



कि दक्षिणी कोरिया, जिसके वर्तमान में शासक किम जोन उन हैं। हालांकि, अधिकांश देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध (1914 से लेकर 1918 तक) तथा द्वितीय विश्व युद्ध (1939 से 1945 तक) में दुनिया में काफी जवानों सहित लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन दोनों विश्व युद्धों ने दुनिया के विकास को काफी प्रभावित किया

#### विश्व परिदृश्य में मानवाधिकार संगठन

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और पूरी दुनिया को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस जनरल एसेंबली ने 1948 में 10 दिसम्बर को 'यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स' को पास किया और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को 'अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया इसी क्रम में, 10 दिसम्बर को ही यूनाइटेड नेशंस प्राइज एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने 1952 को 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस' के महत्व को समझते हुए इस संबंध में एक डाक टिकट जारी किया था। इसके महत्व को समझते हुए 2,00,000 प्रतियाँ एडवांस में ही बुक हो गई थीं। दुनिया में मानवाधिकारों यथा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार. बाल विवाह के विरुद्ध अधिकार, भ्रष्टाचार रोकने, औरतों के खिलाफ

छेड़छाड़, हत्या व बलात्कार जैसे अपराधों के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, पीने के शुद्ध पानी का अधिकार, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु का अधिकार, गरीबों एवं दबे कुचले लोगों को अधिकार प्रदान करना, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक इत्यादि सभी प्रकार के अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है और विश्व में जहां कहीं भी, किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, यह संस्था उसका पूरा विरोध करती है। यह संस्था आज इतने बड़े स्तर पर फैल चुकी है कि उसकी बात को कोई अनदेखा नहीं कर सकता है।

#### भारत में मानवाधिकार संगठन की पहल

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा एवं संप्रदाय के लोग एक साथ मिल-जुलकर रहते हैं। यही विविधता हमारे देश की एकता मानी जाती है जिसके विषय में प्रथम प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक 'यूनिटी इन डाइवर्सिटी' में विस्तारपूर्वक लिखा था। विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में विभाजित हमारे देश में अनेक विविधताएँ हैं। यही विविधता ही हमारे देश को पूरे विश्व में अन्य देशों से अलग करती है। यही हमारी अनेकता में एकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने भी कहा था कि हमारे देश की ताकत उसकी भाषाएँ, सभ्यता, संस्कृति एवं विविधता ही है। यहां लगभग हर राज्य या क्षेत्र विशेष की अपनी अलग भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, रहन-सहन इत्यादि हैं।

इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे देश में सन् 1993 में संसद द्वारा कानून बनाकर 12 अक्टूबर, 1993 को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (एनएचआरसी) का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद से ही इसे इतना शक्तिशाली बनाया गया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर भी एन.एच.आर.सी. मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

#### मानवाधिकार संगठन के कर्तव्य

'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का यह उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार. समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इत्यादि का लाभ मिले। साथ ही, 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' बाल विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पत्ति खरीदने का अधिकार, नशीली दवाओं के सेवन, अपहरण, हत्या, लूटपाट, महिलाओं व बच्चियों से बलात्कार इत्यादि के विरुद्ध लड़ने का अधिकार सुनिश्चित करता है। लोगों की सुरक्षा जाति, धर्म, रूप, रंग, स्थान इत्यादि देखकर नहीं की जाती है। संविधान बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को ये सभी अधिकार प्रदान करता है और 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' इसको प्रभावी रूप से लागू करने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है।

#### संवेदनशील होने की आवश्यकता

हमें मानवाधिकारों के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहना चाहिए। कुछ समय पूर्व आगरा शहर में एक लड़के की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों की मौत भी चिंता का विषय रहा है। इस प्रकार के मामलों में मानवाधिकार संगठनों सहित देश का 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' स्वयं संज्ञान लेकर इसकी उचित जांच-पड़ताल करवाता है। इस विषय में आयोग दोषी पुलिस कर्मियों को न्यायालय द्वारा सज़ा भी दिलवाता है। यह भी सत्य है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन पुलिस कर्मियों द्वारा ही किया जाता है। हालांकि अन्य विभागों, उनके अधिकारियों, दबंगों इत्यादि द्वारा भी शोषितों, उपेक्षितों, लाचारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जब जम्मू-कश्मीर में कुछ पत्थरबाज हमारे देश के फौजियों पर पत्थर बरसाते हैं, फौजियों को घायल कर देते हैं और फौजियों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में कुछ पत्थरबाज घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं तो वहाँ भी अनेक मानवाधिकार संगठन पहुंच जाते हैं जो यह महसूस नहीं करते हैं कि वास्तव में, दोषी फौजी नहीं हैं अपितु पत्थरबाज हैं जोकि सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं अथवा अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग को स्वयं तटस्थ रहकर अपना निर्णय लेना चाहिए और स्वयं पहल करते हुए पत्थरबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा करनी चाहिए ताकि देश में एक स्पष्ट संदेश जाए कि गलत चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा।

इसके साथ ही, अधिकारों के अतिक्रमण रोकने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए भी मानवाधिकारों की पहल की गई है। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के अधिकारों की रक्षा की जाए, किन्तु मनुष्यों को इसके लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी निर्वहन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पैदल जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार कर रहा है तो गाड़ी चालकों का दायित्व है कि वे जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार कर रहे पैदल यात्री को पहले सड़क पार करने दें और उस समय अपनी गाड़ी को रोक दें। समाज में कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है क्योंकि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने और समाज में सरसता की भावना पैदा करने के लिए यह अनिवार्य है।

#### तटस्थता एवं निष्पक्षता की आवश्यकता

हमारे देश में विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं, संप्रदायों इत्यादि के कारण अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हमारे देश में मानवाधिकारों का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से किया जाए और गलत कार्य करने वालों, दोषियों, अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि मानवाधिकार संगठनों के महत्व को हर इंसान समझ सके और गलत तरह के प्रदर्शनों. हिंसात्मक गतिविधियों इत्यादि के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। आज हमारे देश में सबसे अधिक अत्याचार बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों पर ही हो रहे हैं जोकि किसी-न-किसी रूप में लाचार होते हैं। आज हमें अपने अधिकारों के साथ ही अपने उत्तरदायित्वों का भी बोध होना चाहिए क्योंकि हमें अपने अधिकार तो याद रहते हैं, किन्तु कर्तव्य के नाम पर हम टाल-मटोल कर जाते हैं जोकि उचित नहीं है। 'राष्टीय मानवाधिकार आयोग' सहित सभी मानवाधिकार संगठनों को तटस्थ होकर कार्य करना चाहिए।

मानवाधिकार संगठनों का महत्व : मानवाधिकार के तहत आम लोगों को बेहतर एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने संबंधी अधिकार शामिल होते हैं। मानवाधिकार के तहत किसी व्यक्ति के आत्म -सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की जाती है। मनुष्यों के मौलिक अधिकारों एवं जीवन स्तर को उच्च बनाने हेतु अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है। आज मानव ही नहीं अपितु पशुओं एवं जीव-जंतुओं इत्यादि की सुरक्षा एवं उनकी स्वतंत्रता के लिए भी अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं जोकि समय-समय पर विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को भी विशेष पहल करनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया में सभी को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु और पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके। आज मानवाधिकार संगठनों की महत्ता और भी बढ़ गई है क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, दमन या कोई गलत कार्य होता है तो यह हमारे समाज के लिए धब्बा है, जैसे किसी महिला को नग्न कर पूरे गांव या किसी कस्बे में घुमाया जाना, किसी पुरुष का मुँह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे शहर में चक्कर कटवाना इत्यादि। मानवाधिकार संगठनों को सजा़ देने का अधिकार नहीं है, किंतु ये संगठन दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करवाते हैं तथा सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाकर सजा़ दिलवाते हैं।

आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, अन्य अर्ध-सरकारी एवं गैर-सरकारी मानवाधिकार संगठनों के त्वरित गतिशील होने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि हमारा मानना है कि अपराधियों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और निर्दोष को किसी भी प्रकार से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जिस दिन यह पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा कि किसी निर्दोष को झूठे वाद इत्यादि में नहीं फँसाया गया है और दोषी को सज़ा दिलवाई गई है तो वास्तव में, उस दिन हम सही अर्थों में मानवाधिकार दिवस को मनाने के सच्चे हकदार होंगे तथा मानवाधिकार संगठनों की स्थापना का महत्व सिद्ध हो पाएगा।

#### पुलिस बल का गठन

'सभी मानवाधिकारों का, रखेंगे हम पूरा ध्यान, निभाएँ अपने दायित्व, मिले हमें भी सम्मान॥

देश के भीतर संपूर्ण रूप से कानून व्यवस्था

एवं भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित राज्यों/क्षेत्रों में पुलिस बल का गठन किया गया है। प्राचीन समय में भी हमारे देश में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र हुआ करता था। राजा-महाराजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से अपने राज्य/क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। आचार्य चाणक्य (कौटिल्य) ने भी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से गुप्तचर की व्यवस्था कर रखी थी जो कि आंतरिक एवं बाह्य, दोनों प्रकार की सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान किया करते थे।

आधुनिक युग में पुलिस बल का गठन ब्रिटेन में सन् 1829 में रॉबर्ट पील के माध्यम से किया गया था। शुरु में तो इसका काफी विरोध हुआ, किंतु शीघ्र ही पुलिस बल ने मैट्रोपोलिटिन पुलिस के रूप में अपनी वह भूमिका बनाई कि लोग आज भी ब्रिटेन पुलिस को विश्व के सबसे सम्मानीय पुलिस बलों में से मानते हैं। अमेरिका, कनाडा आदि के अलावा कुछ ही देशों की पुलिस को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे देश में सन् 1857 में सेना में हुए विद्रोह, जिसमें हमारे वीर सेनानी, मंगल पाण्डे ने मेरठ छावनी. उत्तर प्रदेश से ब्रिटिश सेना अधिकारियों के विरुद्ध बिगुल फूंका था, जिसका असर इतना अधिक हुआ था कि एक बार तो अंग्रेजों को भी लगने लगा था कि उन्हें अब भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, किन्तु अंग्रेजों की 'फूट डालो, राज करो' की नीति कामयाब हुई और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया गया इसके बाद अंग्रेजों ने 1861 में 'भारतीय पुलिस अधिनियम' के माध्यम से भारत में पुलिस व्यवस्था लागू की, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय जनता पर जुल्म ढाना और उनके अधिकारों का हनन करना था। अंग्रेजी हुकूमत पुलिस विज्ञान

की पुलिस ने भारतीयों पर अनेक जुर्म ढहाए और स्वतंत्रता सेनानियों सहित सभी लोगों को पशु के समान समझकर उनका पूर्ण शोषण व दोहन किया भारत में पुलिस की स्थापना लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। हालांकि इसका उद्देश्य आम जनता का कल्याण व समाज-सुधार नहीं था अपितु उनका शोषण व उन पर अत्याचार करना था।

### आजादी के बाद की पुलिस

हमारे देश को अंग्रेजों की दासता से 15 अगस्त. 1947 को आजादी मिली। हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश की मौजूदा पुलिस अंग्रेजों की ही देन रही है। आजादी के 72 वर्ष बाद भी हमारे पास अपना पुलिस अधिनियम नहीं है। आज भी हम सन् 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 'भारतीय पुलिस अधिनियम' के अनुसार ही अपना कार्य कर रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत में पुलिस का अर्थ था, आम जनता का शोषण। भारत तो आजाद हुआ, किन्तु पुलिस की सोच आज भी गुलाम है। पुलिस की सोच में अंग्रेजी हुकूमत का रोब आज भी दिखाई पड़ता है। आज भी पुलिस कर्मी जनता से सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। हालांकि सभी पुलिस कर्मी एक जैसे भी नहीं होते हैं, किन्तु हांडी में रखे चावलों में से कुछ चावलों को देखकर पता लग जाता है कि चावल पक चुके हैं अथवा नहीं। इसलिए पुलिस की मानसिकता में आमूल-चूल परिवर्तन की नितांत जरूरत है।

#### पुलिस सोच में परिवर्तन की आवश्यकता

हमारे देश में पुलिस की मानसिकता आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था पर आधारित है। पुलिस कर्मियों की मानसिकता में कुछ विशेष गुणों यथा सहनशीलता, शालीनता, धैर्य, क्रोध न करना, विनम्रता, सरलता, लालच न करना, भ्रष्टाचार रोकना आदि को विकसित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। अंग्रेजों ने तो पुलिस बल की स्थापना भारतीयों पर शासन करने और उनका दमन करने के उद्देश्य से की थी। हालांकि आजादी के बाद सब कुछ बदल गया है, किन्तु आज भी जो नहीं बदली है, वह है पुलिस की मानसिकता। पुलिस की मानसिकता को बदलना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जब हमारे देश में पुलिस की मानसिकता समाज से जुड़ जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति पुलिस कर्मी से बात करने में झिझकेगा नहीं अपितु पुलिस को अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, जिससे जनता व पुलिस के मध्य आपसी सहयोग एवं विश्वास बढ़ेगा। यह सहयोग व विश्वास ही समाज से अपराध हटाने में सहायक सिद्ध होगा।

## पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्य

पुलिस विभाग द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था आदि को सुव्यवस्थित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पुलिस अपराधियों को पकड़ने, उन्हें अदालत में पेश करने, देश एवं राज्य में कानून व्यवस्था को लागू करवाने, चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों के सेवन (गांजा, भांग, अफीम, धतूरा, चरस आदि), बलात्कार, हत्या, बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों पर होने वाले अपराधों, दंगों, सांप्रदायिक झगड़ों को रोकने, अपराधों के दोषियों को पकड़ने, व उन्हें सजा दिलवाने का कार्य करती है। कानून व्य्वस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस सभी नागरिकों का समान रूप से सम्मान करे। पुलिस दोषी को पकड़ने व दोष सिद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों यथा सी.सी.टी.वी. कैमरों, फोन कॉल डिटेल्स,

फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर आदि तथा बाल, त्वचा, होंठ, खून एवं वीर्य इत्यादि के नमूनों के माध्यम से उनकी जांच करवा कर उसमें दोष सिद्ध होने पर सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है और न्यायालय द्वारा उन्हें सज़ा दिलवाती है।

# आधुनिकीकरण की ज़रूरत

अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, 'भारतीय पुलिस अधिनियम 1861' के स्थान पर अब एक नए अधिनियम की नितांत आवश्यकता है। साथ ही. पुलिस की वर्दी, हथियारों इत्यादि में आधुनिकीकरण को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि बिना आधुनिकीकरण के पुलिस की मानसिकता में बदलाव किया जाना कठिन है। विदेशों में स्थापित पुलिस ने अपनी मानसिकता को जनता के बीच रहकर उसे अपनत्व की भावना से देखते हुए, आपसी सहयोग करते हुए, सकारात्मक बनाया है और इस कारण वहाँ लोग पुलिस से अपनी व्यथा बताने में संकोच नहीं करते हैं। पुलिस भी सक्रियता से वहाँ के नागरिकों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देती है और तुरंत कार्रवाई भी करती है। भारत में पुलिस कर्मियों की संख्या दुनिया के अनेक देशों की तुलना में काफी कम है। हमारे देश में प्रति 10,000 नागरिकों पर लगभग 14 पुलिस कर्मी आते हैं। इनमें भी बहुत से पुलिस कर्मी नेताओं की सुरक्षा, वी.आई. पी. ड्यूटी, दंगों के दौरान शांति बनाए रखने, इत्यादि कार्य करते रहते हैं। कुछ पुलिस कर्मी जेलों में बंद कैदियों को अदालत में पेश करने. उन्हें लाने व ले जाने में लगे रहते हैं, कुछ बीमार कैदियों की सुरक्षा में विभिन्न अस्पतालों में लगे रहते हैं। इसके साथ ही, हमारे देश में विभिन्न त्योहारों, सम्मेलनों, समारोहों, यातायात को सुचारु बनाने, विभिन्न बोर्डों एवं प्रतियोगिताओं संबंधी परीक्षाएँ कराने, चुनाव ड्यूटी

आदि में संलग्न रहते हैं। अतः सर्वप्रथम हमारे देश में पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ ही, पुलिस में उत्तम गुणवत्ता की वर्दी, जूते सहित अत्याधुनिक हथियारों यथा बंदूक, पिस्तौल, रायफल इत्यादि की भी आवश्यकता है। अपराधियों को पता रहता है कि पुलिस के पास जो हथियार यथा राइफल्स, बंदूक, पिस्तौल आदि हैं, वे काफी पुराने हो चुके हैं तथा इनमें से तो ज्यादातर फायर भी नहीं कर पाते हैं। पुलिस का आधुनिकीकरण कहीं-न-कहीं पुलिस बल का मनोबल बढा़ता है तथा अपराधियों के हौसलों को पस्त करता है क्योंकि देखा गया है कि जब से पुलिस पैट्रोलिंग में यथा डायल 100 जैसी पहलों के कारण नई जीप/बोलेरो/टवेरा आदि वाहन प्रदान किए गए हैं, जिनमें जीपीआरएस तथा आन–लाइन शिकायत दर्ज करने आदि की सुविधा उपलब्ध रहती है, तब से पुलिस का मनोबल काफी बढा है। इसके साथ ही, हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि केवल लम्बे और तगड़े लोग ही पुलिस में भर्ती किए जाएँ जबकि विश्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पुलिस बल की औसत लम्बाई लगभग 5 फीट है। बुद्धिमत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि पुलिस बल में कुशाग्र एवं बुद्धिमान लोगों, टेक्नोसेवी युवाओं, विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण, चतुर लोगों की भर्ती की जानी चाहिए। साथ ही, लंबाई के पैमाने को वैकल्पिक बना दिया जाना चाहिए क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था, ''बुद्धि हमेशा बल पर राज करती आई है।"

#### सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करना

आज हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अनेक मानवाधिकार संगठन सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर कार्यरत हैं। नागरिकों एवं पुलिस विज्ञान

पुलिस कर्मियों के मध्य परस्पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। पुलिस कस्टडी में किसी निर्दोष की हुई मौत, किसी दबंग द्वारा किसी दलित या कमजोर व्यक्ति का शोषण, किसी महिला को नग्न करके घुमाना, किसी मनुष्य का मुंह काला करके गधे पर बैठाकर चक्कर कटवाना, किसी आदमी को गंजा करवाना आदि वास्तव में मानवाधिकार के उल्लंघन हैं। इसलिए हमारे पुलिस प्रमुखों ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत नहीं होनी चाहिए, यदि वह प्राकृतिक नहीं है तो। यदि ऐसा होता है तो कानून के अनुसार सम्बन्धित एवं संलिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भी मामले सामने आते रहते हैं कि पुलिस विभिन्न निर्दोष लोगों की एनकाउंटर में हत्या कर देती है। हालांकि ऐसे पुलिस कर्मी बाद में अपराधी सिद्ध होते हैं। मानवाधिकार में जीवन की स्वतंत्रता. धर्म की स्वतंत्रता. शिक्षा की स्वतंत्रता. समानता का अधिकार इत्यादि मूलभूत अधिकारों के अतिरिक्त हत्या के आरोपी को दोष सिद्ध करवाना, डकैती, चोरी, लूटपाट, बलात्कार इत्यादि के दोषी लोगों को पकड़ना ताकि कानून का शासन स्थापित किया जा सके। इन सबके बावजूद मानवाधिकारों के उल्लंघन पर 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (एन.एच.आर.सी.) इन्हें गंभीरता से लेता है। विभिन्न प्रकार के अपराधों में पुलिस को अलग-अलग तरीके से जांच-पड़ताल करनी पड़ती है। कई मामले ऐसे भी प्रकाश में आए हैं कि पुलिस कस्टडी में व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसमें प्रथम दृष्टया पुलिस को ही दोषी माना जाता है। हालांकि कभी-कभी पुलिस की बर्बरता के विपरीत कस्टडी में रखे गए व्यक्ति की मौत का कारण कोई गंभीर बीमारी या हार्ट अटैक इत्यादि भी होता है।

पुलिस को अपने विभिन्न कर्तव्यों का निष्पादन करते समय हमेशा अपनी छवि को बेहतर बनाने का पुलिस विज्ञान प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही, पुलिस को सभी प्रकार के मानवाधिकारों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण विश्व में भारत के बढ़ते हुए कद का सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा यहां तक कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को भी ध्यान रखना चाहिए जिससे भारत एक श्रेष्ठ गणतंत्र के रूप में स्थापित हो सके। हालांकि भारत अच्छा प्रयास कर रहा है तथापि इसे और अधिक सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय पुलिस की छवि विश्व में अच्छी बने और सकारात्मकता के साथ हमारा देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके।

#### सकारात्मक सोच विकसित करना

जीवन के किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक सोच का अत्यंत महत्व है। पुलिस एवं नागरिक, दोनों को अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में सार रूप में हृदय की अभिव्यिक्ति को नीचे दी गई कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है :-

#### पुलिस एवं नागरिक

- हम स्वतंत्र भारत की पुलिस, राष्ट्र की सच्ची सेवा करेंगे।
- नागरिकों के सम्मान के साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे।
- बूढ़ों, बच्चों, महिलाओं को, नहीं असहाय छोड़ेंगे हम।
- हर संभव सहायता करके, उनके मान की रक्षा करेंगे।
- हम स्वतंत्र भारत की पुलिस, राष्ट्र की सच्ची सेवा करेंगे।
- चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि अब बिलकुल नहीं हम होने देंगे।
- अगर मिले पूर्ण नागरिक सहयोग, तो अपराध

25

को जड़ से मिटा देंगे।।

- होगी अपनी सोच, पुलिस को भी बदलनी, तभी नागरिक उनसे बेझिझक वार्तालाप करेंगे।
- अगर अपनाए पुलिस विनम्रता और शालीनता, नागरिक भी तो पुलिस का पूर्ण सहयोग करेंगे।।
- हम स्वतंत्र भारत की पुलिस, राष्ट्र की सच्ची सेवा करेंगे।

निष्कर्ष :- आज पुलिस के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं। पुलिस कार्मिकों को आंतरिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन-रात ड्यूटी देनी पड़ती है। उन्हें विभिन्न अपराधों को रोकते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है जोकि अत्यंत कठिन कार्य हैं। इसके साथ ही, हमारे देश में किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन न होने पाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि कुछ मामलों में तो पुलिस स्वयं ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करती नज़र आती है, जैसे थाने में बंद व्यक्ति से थर्ड डिग्री का प्रयोग करना, झूठे केस में फँसाकर एनकाउंटर इत्यादि करना। इससे पुलिस की छवि तो खराब होती ही है, साथ ही मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन होता है जिससे हमारे देश की बदनामी होती है।

अत: हमें एक आदर्श पुलिस की स्थापना के लिए वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करना चाहिए ताकि हमारे देश की पुलिस, जो आज भी अंग्रेजों की परिपाटी पर चलती नजर आती है, की मानसिकता एवं सोच में बदलाव लाया जा सके। साथ ही, नया भारतीय पुलिस अधिनियम भी बनाया जाना चाहिए। पुलिस को नागरिकों का विश्वास जीतना चाहिए, जिससे लोग पुलिस को समाज का ही अभिन्न अंग समझें। वे पुलिस से अपनी समस्या बताने में झिझके नहीं अपितु अपना अधिकार समझें कि पुलिस सदैव उनकी सहायता के लिए बनी है। वैसे, समय के साथ और बढ़ते सोशल मीडिया के प्रयोग के कारण भारत के पुलिस कर्मियों के व्यवहार में भी अवश्य परिवर्तन हुआ है, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं हो पाया है जितना हम अन्य देशों की पुलिस के व्यवहार में सुनते हैं। हालांकि, अब पुलिस कर्मी जल्दी से किसी आम नागरिक के साथ हाथापाई करने, थप्पड़ मारने इत्यादि कृत्य करने से पहले कई बार सोचता है। कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस काफी अच्छी प्रतिष्ठा बना रही है, किंतु जब तक संपूर्ण भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों इत्यादि की पुलिस अच्छा आचरण नहीं करेगी तब तक पुलिस की छवि बेहतर नहीं हो सकती है। ऐसे तो ज्यादातर राज्यों की पुलिस के अपने कुछ नारे भी हैं, जैसे - आपकी सेवा में संदैव तत्पर इत्यादि। पुलिस को मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए जिससे मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। अंत में. चलते-चलते बस यही कहेंगे कि

नागरिक रखें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का ध्यान। बढ़े आपसी सहयोग, करे पुलिस बेहतर छवि निर्माण॥



की कमी है, बदलती हुई परिस्थितियों व परिवर्तनों का लाभ उठाकर संगठित अपराध खूब फलते-फूलते हैं। संसार-भर के बाजारों में जहां पूंजी का स्वच्छंद विनिमय होता है, वहाँ पूंजी के स्वतंत्र विनिमय का लाभ उठाने से आपराधिक संस्थानों को रोकने के लिए विधि बाध्यकरण तथा सूचना के एकत्रीकरण का जाल स्थापित किया जाना आवश्यक है।

संगठित अपराध समूह बड़े पैमाने पर सोना, हीरे आदि की तस्करी, वाहन चोरी, आर्थिक अपराध, हथियारों की तस्करी, हवाला तथा नशीले पदार्थों का व्यापार आदि करके राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को घोर क्षति पहुंचाते हैं। इनकी गुप्त कार्य प्रणाली के कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि बाध्यकरण संस्थाओं के समक्ष इनके अस्तित्व की पहचान की विकट समस्या है। चूंकि संगठित अपराध अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्य परिभाषा, इनके प्रतिकार के लिए क्या प्रयत्न किए जाएँ, को निर्धारित करने के

## संगठित अपराध की परिभाषाएँ

#### संयुक्त राष्ट्र संघ एसेंबली कंवेशन द्वारा

"संगठित अपराध समूह का अर्थ है – तीन या अधिक व्यक्तियों का लंबे समय से विद्यमान संरचित वह समूह, जो कंवेशन द्वारा चिह्नित एक या अनेक अपराध करने के उद्देश्य से सामंजस्य में कार्य करता है।"

# संगठित अपराध

श्री ए.पी. बंगवाल उप निरीक्षक, दिल्ली पुलिस

शीघ्र-से-शीघ्र अवैधानिक तरीकों से अधिक-से -अधिक धन तथा संपत्ति प्राप्त या संचय करने की ललक से प्रेरित संगठित व्यक्तियों के समुह द्वारा किए गए अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। संगठित अपराध के विषय पर हाल में हुई गोष्ठियों से यह स्पष्ट होता है कि संगठित अपराध एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है, जो किसी एक विशेष देश की सीमा तक सीमित नहीं है। एक देश में घटित होने वाली आपराधिक गतिविधियाँ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अन्य राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को, वहाँ की सरकार की नीतियों व विधि बाध्यकरण को चुनौतियाँ पैदा करके प्रभावित करती हैं। यह स्थिति पहले की अपेक्षा अब अधिक मुखर है, और सतत् नियोजित तथा परिष्कृत होकर वैश्विक स्तर पर लगातार अनेक राष्ट्रों में हस्तक्षेप कर उनकी प्रभुसत्ता को प्रभावित कर रही है।

#### संगठित अपराध का विश्व व्यापी जाल

एक तरफ तकनीकी विकास तथा संचार के तंत्रजाल के भूमण्डलीकरण का लाभ उठाकर संगठित अपराधों की प्रकृति दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही है तथा दूसरी तरफ अपराधी समूह अपने देश एवं विदेश में कार्यरत जातीय समूहों को एकत्रित कर उन्हें एक सूत्र में पिरोने में संलग्न हैं। संगठित अपराध में वंशानुगत संबंधों वाले व्यक्तियों का समूह अपने या अन्य देशों में दो वंशानुगत संबंधों वाले व्यक्तियों के समूह से संबंध स्थापित करते हैं। छोटे और कमजोर उभरते प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में जहाँ साधनों

#### इंटरपोल द्वारा

"कोई भी निकाय (कॉर्पोरेट) गठन वाला समूह, जो भ्रष्टाचार व दहशत पर पनपता है और जिसके प्राथमिक उद्देश्य अवैधानिक कार्यों द्वारा धन प्राप्त करना हों।"

#### आलबानेज द्वारा

"संगठित अपराध एक सतत् आपराधिक उद्यम है, जो जनता में अत्यधिक मांग वाले अवैधानिक कार्यों द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए कार्य करता है, और शक्ति प्रयोग, दहशत और लोक सेवकों को भ्रष्ट करके अपना अस्तित्व लगातार बनाए रखता है।"

# भारत में संगठित अपराध की उत्पत्ति एवं इतिहास

मानव समाज के उत्थान में सुरक्षा व हमला करने के लिए समूह के गठन की आवश्यकता से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से मनुष्य ने समाज व समूह के गठन की कला का विकास किया होगा. जो आज के संगठित अपराध के घिनौने व परिष्कृत स्वरूप में समस्त संसार के लिए खतरा बन गई है। आधुनिक सुव्यवस्थित और अनुशासित समूह के सदस्यों द्वारा की गई सतत् आपराधिक गतिविधियों की सामान्य धारणा के विपरीत संगठित अपराध भारत में कोई नई घटना नहीं है, अपितु भारत में संगठित अपराधों का एक लंबा इतिहास है। जमींदारी तथा जागीरदारी के समय में लठैतों की फौज गरीब व असहाय किसानों से लगान वसूली तथा उनकी जमीन हथियाने के लिए प्रयोग की जाती थी। लुटेरों व डकैतों के गिरोह सदियों से भारत के हर भाग में सक्रिय रहे हैं। सन् 1669 में मुंबई के तत्कालीन गवर्नर 'औनगीयर' ने स्थानीय भंडारी युवकों की टोली का गठन, नाविकों को लूटने वाले गिरोह का प्रतिरोध करने के लिए किया था। 19वीं सदी में मध्य भारत व ग्रांट ट्रक रोड पर सुनियोजित अवैधानिक गतिविधियों का व्यापक प्रकोप था, जिनमें हथियारबंद ठगों के गिरोह राहगीरों व तीर्थयात्रियों का विश्वास प्राप्त करके लूट-पाट व हत्या करते थे। समस्या इतनी भयंकर थी कि तत्कालीन सरकार ने सन् 1835 में ठगी व डकैती विभाग की स्थापना की और ठगी को समाप्त करने के लिए, विलियम स्लीमैन को नियुक्त किया।

सर परसीवल ग्रीफिथ्स ने अपनी पुस्तक 'टू गार्ड माई पीपल 1971' में ठगों के गिरोहों का विस्तृत वर्णन किया है। भारत में संगठित अपराध का लिखित उल्लेख सर्वप्रथम 14वीं सदी में जिया बनी द्वारा लिखित 'तारीख-ए-फिरोजशाही या सुलतान जलालुउद्दीन खिलजी का इतिहास' में किया गया है।

बर्नी के अनुसार, सुलतान में अनेक गुण थे, पर वह अपराधियों के प्रति बहुत नर्म व दयालु व्यवहार करता था। चोरों व लुटेरों को सुधरने की प्रतिज्ञा करने पर वह उन्हें मुक्त कर देता था। जब कुछ ठग सुलतान के सामने पेश किए गए तो उसने ठगों को नाव में बिठाकर लखनऊ के पास छोड़ देने का आदेश दिया ताकि ठग लखनऊ के पास रहेंगे और दिल्ली सुरक्षित रहेगी।

#### भारतीय परिपेक्ष्य में संगठित अपराध

भारत में पुरातन काल से आपराधिक गिरोह संगठन कार्यरत हैं। इनकी संख्या, कार्य प्रणाली तथा कार्यक्षेत्र के विषय में प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं। हज़ारों की तादाद में संगठित गिरोह देहात में कार्यरत हैं इनका गठन व नेतृत्व प्रणाली विदेशी स्तर की नहीं है, फिर भी भारत में संगठित गिरोहों का प्रमुख उद्देश्य अन्य देशों के गिरोहों की तरह आर्थिक लाभ प्राप्त करना है जो आज के राजनैतिक परिवेश में

आसान शक्ति स्रोत है। संगठित अपराध देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भयंकरतम हैं। 60 के दशक के प्रारंभ में वर्घराजन मुदालियार का गिरोह सर्वप्रथम ज्ञात हुआ। अवैध शराब का व्यापार, सोने की तस्करी, जुआखाने, धन ऐंठना तथा धन लेकर हत्या करना उसकी प्रमुख आपराधिक गतिविधियाँ थीं। उसके कुछ समय बाद ही तीन और गिरोह -(1) हाजी मस्तान (सोने की तस्करी), (2) यूसुफ पटेल (सोने की तस्करी), (3) करीम लाला (नशीले पदार्थों की तस्करी) उभरे। मुंबई शहर को भारत में वर्तमान संगठित अपराध का जन्म तथा कार्य स्थल कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'नशाबंदी' लागू किए जाने के कारण चोरी छिपे शराब बनाने व बेचने का काम झोंपड़पट्टी की गलियों व मोहल्लों में बड़े पैमाने पर पनपने लगा, जिसने न केवल आवारा किस्म के युवकों को आकर्षित किया बल्कि. अपराध सिंडीकेट जैसे दलों को भी बढा़वा दिया। झोंपड़-पट्टी में असामाजिक तत्वों के जन्म और विकास की सब सुविधाएँ, वांछित तत्व तथा वातावरण होता है जहां वे खूब फलते-फूलते हैं। समान विचारधारा के ये असामाजिक तत्व संगठित होकर नशीले पदार्थों से संबंधित अपराध. शहरों में सार्वजनिक व सरकारी भूमि व संपत्ति पर कब्जा, शराब बनाना व बेचना तथा वेश्यावृत्ति इत्यादि अपराध करने लगते हैं। कुछ समय के उपरांत ये असामाजिक तत्व अपनी इच्छानुसार सुनियोजित तरीके से जहां भी जैसे भी हिंसा व आंतक फैलाने लगते हैं। महाराष्ट्र सरकार को सबसे पहले इस समस्या का सामना करना पडा़ जहाँ असामाजिक तत्व सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध निर्माण करके ऊंचे दामों में बेच रहे थे। झोंपड़-पट्टी के दादाओं से निबटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सन् 1981 में 'महाराष्ट्र प्रीवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टीविज ऑफ स्लमड्वैलर्स, बूटलैगार्स, ड्रग ऑफेण्डर्स एण्ड डेंजरस पर्सन्स एक्ट पारित किया नशीले पदार्थ एवं शराब बनाना और स्वयं या एजेंटों द्वारा बेचना इधर-उधर लाना, ले जाना, नशेबाजी आदि का बुरा प्रभाव आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे समाज को खतरा पैदा होता है। नशीले पदार्थों व शराब बेचना अथाह धन प्राप्ति का साधन है. जिससे सामाजिक व्यवस्था को मजबूर होने के लिए बाध्य किया जा सकता है. जिसका सीधा असर सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। ये असामाजिक तत्व संगठित होकर हत्याएँ, आगजनी, लूट-पाट, धन ऐंठना आदि गंभीर अपराध करने लगते हैं और आतंक, हिंसा व गुंडागर्दी द्वारा सामाजिक शांति व व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देते हैं। अवैध शराब का व्यापार करने वाले ये छोटे गिरोह कुछ ही समय में शक्तिशाली अपराध सिंडीकेट बन गए। आपराधिक गतिविधियाँ जो मुंबई में अवैध शराब के धंधे से शुरु हुई, वे आज अन्य गंभीर अपराधों का सुव्यवस्थित जाल सारे देश में बुन चुके हैं। ये संचार की उच्च तकनीक, कीमती वाहन तथा उच्च श्रेणी के हथियारों का प्रयोग करते हैं।

#### संगठित अपराध के प्रकार एवं स्तर

अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर सी.एस.सी.ए.पी. स्टडीग्रुप ने क्षेत्रीय महत्व के निम्नलिखित अपराधों को संगठित अपराध के रूप में चिन्हित किया है-

- हथियारों की विशेषकर छोटे हथियारों की तस्करी,
- 2. प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार फैलाना।
- 3. मुद्रा, तथा दस्तावेजों का कूटकरण।
- संविदा हत्या, आगजनी तथा बंम विस्फोट जैसे हिंसा संबंधी अपराध।
- एम्फैटाइंस तथा एक्सटैसी जैसे अन्य नशीले पदार्थों का उत्पादन और अवैध व्यापार।

7. सुरक्षा गिरोह एवं धन उद्दीपन संबंधी अपराध।

वातावरण संबंधी अपराध।

- दूरसंचार संबंधित जालसाजी एवं चोरियाँ, पैट्रोल व्यवसाय संबंधित जालसाजी तथा क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, इश्योरेंस और वीजा संबंधित जालसाजी।
- 9. अवैध जुआ।

6.

- शरणार्थी पहलू के साथ अवैध अप्रवास संबंधित अपराध।
- कॉपी राइट अतिक्रमण एवं बौद्धिक संपत्ति संबंधित अपराध।
- अंतर्राष्ट्रीय निकाय तथा श्वेत पोश अपराधिक गतिविधियाँ।
- 13. समुद्री चोरी तथा डकैती, चार्टर पार्टी जालसाजी, कार्गो विचलन तथा फैंटसशिप, जहाजरानी संबंधित अपराध, जहाजरानी चोरी एवं रेडियोधर्मिता संबंधित कचरा फेंकना।
- 14. धन प्रक्षालन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध द्वारा व्यवसाय, संगठित अपराध द्वारा व्यवसाय में धन निवेश संबंधित अपराध।
- क्षेत्रीय संगठित अपराध समूह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एवं व्यवस्थित आपराधिक गतिविधियाँ।
- 16. बाल यौन शोषण के अपराध।
- 17. वेश्यावृत्ति-अवैध अप्रवास, दासिता तथा स्वास्थ्य संबंधित अपराध।
- 18. कच्चे माल, पुराकालीन कला वस्तुएँ, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, शराब, सिगरेट, गहने, रत्न, सोना तथा रेडियोधर्मिता वाले पदार्थों की तस्करी।

- तकनीकी अपराध, जैसे मोबाईल का अवैध प्रयोग, साइबर अपराध, वर्तमान इंटरनेट द्वारा अवमानना आदि।
- 20. इंटरनेट पर चोरी।

वर्तमान परिवेश में कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा या बडा़ अपराध संगठित अपराध की परिधि में कब और कैसे प्रवेश कर जाएगा, इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। सामाजिक स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि आज अपराध करना सामाजिक अवगुण या घिनौना कार्य न होकर एक स्वाभिमान व हर स्वप्न को साकार करने का माध्यम बन गया है। प्रजातंत्र का प्रमुख दोष यह है कि भ्रष्टाचार ने सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है जिससे भ्रष्टाचार का स्तर व्यक्ति के सामाजिक स्तर व उन्नति का द्योतक बन गया है। वर्तमान प्रजातांत्रिक स्थिति ने सामाजिक मूल्यों का किस स्तर तक ह्रास किया है, इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है। कर्मठ समाज सेवक या अच्छे चरित्र का व्यक्ति किसी निर्वाचन में किसी माफिया के विरुद्ध चुनाव नहीं जीत पाता है। शायद ही कोई राजनेता ऐसा हो जिसका चरित्र अनुकरण करने के योग्य हो। राजनीति ने एक ऐसे व्यवसाय का रूप ले लिया है. जिसको करने के लिए किसी ज्ञान या अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप किसी चापलूस राजनेता की चापलूसी करके किसी राजनैतिक दल के अध्यक्ष को किस सीमा तक रिझा पाने या उसे धन देने का अवसर पाने में सफल हो पाते हैं। यही एकमात्र कुंजी है, राजनीति में प्रवेश व सफलता के लिए इस कुंजी को प्राप्त करने के लिए आपको यह भूलना आवश्यक है कि आत्मसम्मान, नैतिक मूल्य या चारित्रिक गुण जैसे कुछ विशेषण मनुष्यता केशृंगार हैं। राजनीति और अपराध जगत का चोली-दामन का साथ व संबंध है। आज दोनों

एक-दूसरे के अपरिहार्य पूरक हो गए हैं। पुलिस विज्ञान

संगठित अपराध का उन्मूलन तथा अवरोधन यदि असंभव नहीं है तो अति दुष्कर अवश्य है, क्योंकि इसका भ्रष्टाचार अति शक्तिशाली, अति स्वादिष्ट और प्रत्येक की प्रिय वस्तु है। कभी-कभी तो यह जीवन की अनिवार्यता बन जाता है। इसकी जड़ें समाज में इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि समाज ने इसे स्वीकार कर जीवन का अंग बना लिया है। संगठित अपराध समूह ही अक्सर राजनीतिज्ञों व राजनैतिक दलों का उनके कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक धन का प्रावधान करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें इन राजनैतिक दलों व राजनीतिज्ञों से सुरक्षा व सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार संगठित अपराध आधुनिक राजनीति की एक अनिवार्यता है, विशेषकर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों के लिए।

जनहित : यह वह शब्द है, जिसने भ्रष्टाचार की फसल के लिए उर्वरक की भूमिका निभाई है। यह वह अभेद्य सुरक्षा कवच है जो सत्ता संभ्रांत वर्ग के हर गुनाह को छुपाने व सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह वर्तमान युग व व्यवस्था की वह 'गंगा' है जो 'सत्ता संभ्रांत' वर्ग, के हर पाप का मोचन कर उसे शुद्ध, निर्मल व जन उपयोगी का रूप प्रदान कर देती है। दुष्ट को सदाचारी, अन्यायी को न्यायी, अधर्म को धर्म और अवैध को वैध बना देती है। यह इतनी असीम है कि इसे परिभाषा में नहीं बांधा जा सका है। 'सत्ता संभ्रांत' अपने किसी भी हित को जनहित के मूल मंत्र से सुरक्षित व पवित्र कर सकता है।

प्रभुसत्ता : प्रभुसत्ता का आकार इतना विस्तृत है कि इसे किसी परिभाषा में समेट पाना संभव नहीं है। हर वह कार्य, जहां 'आम इच्छा' का अंश विद्यमान है, जहां जनहित के तत्व उपस्थित हैं वहाँ प्रभुसत्ता विद्यमान होती है। जनहित के कार्यान्वयन के

#### भ्रष्टाचार व संगठित अपराध उन्मूलन के उपाय

भ्रष्टाचार की भूमि पर ही संगठित अपराध की फसल उगती है। भ्रष्टाचार के मूल में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कारण निहित हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इन कारणों को समाप्त करना होगा। शासन व प्रशासन की उपनिवेशवादी प्रणाली को समाप्त कर स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को फिर से परिभाषित करना होगा। वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था वास्तव में व्यक्तिवाद, सामंतवाद व वंशवाद की छद्म प्रतिकृति मात्र है, जिसमें एक समूह विशेष को प्रभुसत्ता का उपभोग व समस्त सुविधाएँ प्राप्त हैं। जो 'सत्ता संभ्रांत' के नाम से पहचाना जा सकता है। आम नागरिक को मताधिकार के भयंकर नशे द्वारा भ्रमित कर छला जा रहा है। आम नागरिक कल भी प्रजा थे और आज भी प्रजा हैं. जो 'सत्ता संभ्रांत' समूह द्वारा शासित और शोषित है। राजनीति व सत्ता में उच्च पद की सीढ़ी के द्वारा 'सत्ता संभ्रांत समूह' में प्रवेश किया जाता है। इसलिए राजनीति एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो गई है। राजनैतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार का मूल 'सत्ता संभ्रांत समूह' की सदस्यता प्राप्त करने के साधन व उससे प्राप्त असीम लाभ और शक्ति स्रोत हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो एक सामान्य व्यक्ति, वह चाहे कितना ही शक्तिशाली या प्रबुद्ध हो, के लिए संभव नहीं है, यह तो जनक्रांति द्वारा ही संभव है। किंतु इस अनिवार्यता का सतत् अध्ययन व विश्लेषण इस संभावना को जीवंत रखेगा और जनक्रांति का उद्गम स्रोत बनकर वह उर्जा प्रदान करेगा जो इस 'आमूल-चूल परिवर्तन के लिए आवश्यक है। आज फिर किसी करमचंद गांधी द्वारा जनजाग्रति के उद्घोष की आवश्यकता है। उस जननायक के आगमन की प्रतीक्षा है।'

लिए आवश्यक उर्जा का दूसरा नाम 'प्रभुसत्ता' है। उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों में छुपी लुप्त प्रभुसत्ता की स्थिति जनता में निहित है, के परम सत्य को व्यापकता प्रदान करनी होगी। प्रत्येक नागरिक के अपने अंदर छुपे 'प्रभुसत्ता' के अंश को पहचान कर कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति संवेदनशील, जागरूक व उत्तरदायी करना होगा। दास प्रवृत्ति व व्यवस्था से मुक्त होकर मानव को स्वतंत्र 'किंतु जनहित' के लिए चिंतन व कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा।

'भ्रष्टाचार और संगठित अपराध' के उन्मूलन के उपायों के विश्लेषण की आधारभूमि यही दो शब्दों-जनहित व प्रभुसत्ता हैं। इन्हीं शब्दों की पृष्ठभूमि की छाया में इन बुराइयों के उल्मूलन के उपाय खोजने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावित उपायों का सीधा लक्ष्य भ्रष्टाचार है। दोनों प्रकार के व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, आधार पर आघात कर उनके उन्मूलन की परिकल्पना की गई है।

#### (1) उत्तरदायित्व के प्रावधान का उपाय

दोनों प्रकार के भ्रष्टाचार के विश्लेषणात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदायित्व व उन्मुक्तता व सुरक्षा के प्रावधान भ्रष्टाचार को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। लोक सेवकों को प्राप्त सुरक्षा, उन्मुक्तता तथा उनसे उत्तरदायित्व निर्वहन की शक्ति के केंद्र बिंदु के कारण, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के उपरांत भी ये लोक सेवक की अपेक्षा राज्य अधिकारी बने हुए हैं, जिनका लक्ष्य नागरिकों को सहयोग, सहायता, मार्गदर्शन करने की अपेक्षा इन्हें शासित करना है। लोक सेवक और राज्य अधिकारी के मध्य मूलभूत अंतर इसी सिद्धांत दर्शन का है।

भ्रष्टाचार को हर स्तर से समाप्त करने के लिए 'उत्तरदायित्व' के सिद्धांत को वैधानिक कर्त्तव्य घोषित करके उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था व पीड़ित तथा आम नागरिक द्वारा अभियोजन का अधिकार होना चाहिए।

#### (2) भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवहार की परिभाषा के विस्तार का उपाय

'भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम' में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवहार की परिभाषा अपूर्ण व दूषित है। व्यवहार में प्रथम प्रकार के भ्रष्टाचार में आम नागरिक और लोक सेवक के क्रियाकलापों में तीन मुख्य तत्व भ्रष्टाचार के प्रेरक व पोषक हैं-

**प्रथम** : लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में इच्छापूर्वक देरी करना।

**द्वितीय :** लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में नियमों की अवहेलना या अपनी इच्छानुसार नियमों को तोड़–मरोड़ कर नए अवैध नियमों के पालन के लिए आग्रह।

तृतीय : देरी या नियमों की पालनहीनता या इच्छानुसार नए नियमों के गठन के विरुद्ध नागरिक को समाधान के अधिकार का न होना व धारा 195 दंड प्रक्रिया व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्रावधान।

प्रथम, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निश्चित समयावधि में नागरिकों के प्रकरणों के समाधान के प्रावधान के साथ-साथ दोषी लोक सेवक को अभियोजित करने का अधिकार नागरिकों को दिया जाना चाहिए और इच्छापूर्वक देरी को भ्रष्ट व्यवहार मानकर कठोर दंड और क्षतिपूर्ति संबंधित लोक सेवक द्वारा करने का प्रावधान होना चाहिए।

#### (3) सुरक्षा और उन्मुक्तता समाप्ति का उपाय

जनहित और पद गरिमा की आड़ में अनेक पुलिस विज्ञान वैधिक सुरक्षा व उन्मुक्तता प्रावधान लोक सेवकों को प्राप्त है, जिनका प्राय: दुरुपयोग किया जाता है। विशेषकर विधि बाध्यकरण व कर या राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा। यह स्थिति भ्रष्टाचार के प्रसार व विकास में विशेष भूमिका निभाती है और आम नागरिक को असहाय व अन्याय सहने के लिए विवश करती है। मानवाधिकारों के हनन की प्रेरणा के लिए बहुत सीमा तक वह प्रावधान जिम्मेदार है, जिनसे नागरिकों में विषमता का वातावरण बनता है।

नागरिकों को प्रत्येक दोषी के अभियोजन का अधिकार होना चाहिए, किंतु लोक सेवक के अभियोजन से पहले यह दोनों पक्षों को स्पष्ट करना चाहिए कि लोक सेवक ने नियमों के प्रतिकूल या उनकी अवहेलना करके पीड़ित व्यक्ति को क्षति पहुँचाई है या उसका कार्य स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें उसका (लोक सेवक) हित सन्निहित था या है या अन्य कोई व्यक्ति, जिसका उस कार्य विशेष में हित या रुचि थी या है, के प्रभाव में निरस्त या लंबित किया गया है।

#### (4) दंड व्यवस्था से सुधार का उपाय

वर्तमान न्याय व्यवस्था में आपराधिक दुष्कर्म के लिए शारीरिक व आर्थिक दंड का प्रावधान है जबकि दीवानी दुष्कर्म के लिए दुष्कर्मी को पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा वित्त द्वारा क्षतिपूर्ति कराई जाती है।

वर्तमान परिस्थिति में शारीरिक व आर्थिक दंड का महत्व घटकर नगण्य हो गया है। तकनीकी विकास व मुद्रा स्फीति के कारण मुद्रा का ह्रास हुआ है, अत: आर्थिक दंड का भी कोई अर्थ नहीं रह गया है। एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट पांच हज़ार तक आर्थिक दंड देने के लिए सक्षम है जबकि पांच पुलिस विज्ञान हज़ार का महत्व भूतकाल के पचास रुपये से भी कम रह गया है।

सामाजिक दंड के प्रावधान को दंड व्यवस्था का अंग बनाकर व्यक्ति की गरिमा व सामाजिक प्रतिष्ठा को पीड़ित करने का भय पैदा करके जनहित व समाज हित में दंड व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। किसी असामाजिक तत्व (गुंडा) माफिया की आम नागरिक में भय की भावना उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। किगत समय की कुछ घटनाएँ जिनमें कुछ दबंग पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय असामाजिक तत्वों को सामाजिक दंड (मुँह काला कर, गधे पर बिठाकर आम जनता में जुलूस निकालना) दिया, जिसका असर न्यायिक दंड से कहीं अधिक प्रभावी हुआ था और संबंधित गुंडों का भय आम आदमी के हृदय से निकल गया, जिससे वह शक्तिशाली बदमाश अगले ही क्षण आम आदमी की श्रेणी में आ गया और उसका आतंक समाप्त हो गया।

#### (5) असामाजिक तत्वों को 'अधिकारहीन' घोषित करने के प्रावधान का उपाय

समाज के वे तत्व, जो समाज की व्यवस्था व मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करते और दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण व हनन करते हैं तथा अपने दुष्कर्मों द्वारा उस स्थान पर पहुंच जाते हैं कि मानवता ही संकट में पड़ जाती है तो उन्हें समाज के अयोग्य घोषित कर उनके अधिकार समाप्त कर समाज च्युत कर देना न्याय संगत और जनहित में उचित है। कैंसर से ग्रस्त अंग को काट कर जिस प्रकार शरीर के अन्य भागों की रक्षा की जाती है उसी प्रकार उन्हें समाज से काट फेंकना ही उचित है।

इसके लिए उच्च न्यायालयों द्वारा आरोपित व्यक्तियों को अवांछित घोषित कर उनके वैधानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और प्राकृतिक अधिकार, संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के है। अवसर के साथ, समाप्त करने का प्रावधान किया जात जाना चाहिए। कुछ मानवताहीन व्यक्तियों को भिन्न मानवाधिकारों से च्युत करके ही मानवता को बचाया भिन्न जा सकता है। इस प्रावधान से उन तत्वों का उन्मूलन प्रभु या नियंत्रण संभव हो पाएगा जो स्वयं कानून बनकर प्राप् समानांतर प्रशासन चलाते हैं या जिनका आतंक उनके का विरुद्ध कोई गवाह या साक्ष्य अधिकारियों को प्राप्त तरक नहीं हो पाते हैं।

#### (6) चुनाव प्रक्रिया में सुधार का उपाय

राजनैतिक भ्रष्टाचार की विवेचना करते समय स्पष्ट हुआ था कि चुनाव प्रचार और राजनैतिक दलों के संचालन के लिए आवश्यक अथाह धन की आवश्यकता राजनैतिक भ्रष्टाचार का मूल कारण है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, जैसे जनता अपने क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुनकर, उसे अपना प्रतिनिधि घोषित कर अपनी प्रभुसत्ता को उसे समर्पित कर देती है और चुना गया प्रतिनिधि जनता की प्रभुसत्ता के अंश का न्यासी होता है। यह सैद्धांतिक स्थिति है। प्रयोग में सब कुछ उलट जाता है। दानवीर (जनता) निरीह असहाय होकर भिक्षुक (राजनेता) की प्रजा बन जाती है और न्यासी भिक्षुक से शासक या प्रशासक बन जाता है। जैसे ही प्रभुसत्ता का अंश किसी व्यक्ति (चुने जाने पर) को प्राप्त होता है, वह दानवीर समाज से कटकर प्रशासन का अंग बन जाता है और नागरिकों को प्रजा की तरह प्रयोग करने लगता है। दूसरे शब्दों में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंत होकर कुछ काल के लिए फिर सामंतशाही व्यवस्था स्थापित हो जाती है।

राजनैतिक भ्रष्टाचार का नियंत्रण या उन्मूलन का सीधा प्रभाव संगठित अपराध पर पड़ेगा। संगठित अपराध की जड़ राजनैतिक भ्रष्टाचार है। राजनैतिक भष्टाचार को मिटाने के लिए उपरलिखित दोनों तत्वों को समाप्त करना होगा। राजनीति के व्यावसायीकरण को समाप्त कर उसे सेवा में परिवर्तित करना होगा। विचारकों को किसी ऐसी प्रणाली के बारे में सोचना होगा, जो राजनीति से सत्ता की चमक और धन की आवश्यकता को समाप्त कर सके।

## मॉब लिंचिंग : उन्मादी भीड़ की सहज प्रवृत्ति या अपराध डॉ. जोरावर सिंह राणावत

अतिथि व्याख्याता एम.एम. विश्वविद्यालय, उदयपुर

"It may be true that the law cannot make a man love me, but it can stop him from lynching me, and I think that's pretty important."

- Martin Luther King Jr.

राज्य की उत्पत्ति के प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार, 'राज्य' नामक संस्था के उदय के पीछे मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था व शांति की स्थापना रहा है। इन सिद्धांतों में से मुख्यतः समझौता सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विचारकों, जिनमें मुख्य रूप से हॉब्स, लॉक व रूसो शामिल हैं, ने 'राज्य' नामक संस्था की उत्पत्ति से पूर्व की प्राकृतिक दशाओं का वर्णन किया है, जिसमें अन्याय, अत्याचार, अव्यवस्थाएँ और अराजकता विद्यमान थी जो कि मत्स्य न्याय की स्थिति थी। इन परिस्थितियों को समाप्त कर विधि का शासन स्थापित करने के लिए ही राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार किसी राज्य के अस्तित्व का सबसे आवश्यक तत्व विधि का शासन है। यद्यपि प्रत्येक राज्य में कई बार अविधिक प्रक्रियाएँ और कार्य भी होते हैं तथापि उनके निवारण के लिए राज्य द्वारा समय-समय पर प्रयास किया जाता रहा है। इसी प्रकार की अविधिक प्रक्रियाओं में जनसमूह द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर हमला कर उन्हें हानि पहुँचाना या उन्हें जान से मार देना भी शामिल है। इस प्रकार की क्रिया में अधिकांशतया किसी अपराध की प्रतिक्रिया में हिंसा होती है, परन्तु कई बार किसी गलतफहमी की वजह से निर्दोष भी इसका शिकार हो जाता है। यह क्रिया एक प्रकार से जंगल के न्याय की स्थिति है जो विधि की अनुपस्थिति



जैसी है। अत: इसके बहुप्रचलित होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से दण्ड देने की विधि के रूप में कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

इस प्रकार के कृत्य का कोई संगठित स्वरूप, कोई व्यवस्थित प्रक्रिया या आधार कभी भी नहीं रहा है, परन्तु इसका विभिन्न स्वरूपों, विभिन्न कालों में और विभिन्न देशों व समाजों में अस्तित्व हमेशा रहा है। पाश्चात्य समाज में रंगभेद, धर्म आदि के नाम पर इस प्रकार के कृत्य होते रहे हैं। लेखक जेम्स एच. कॉन ने अपनी पुस्तक 'दि क्रॉस एण्ड द लिंचिंग ट्री' में ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट को लिंचिंग का प्रथम शिकार बताया है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की घटनाओं का इतिहास बहुत पुराना है। वहीं भारतीय समाज में भी भीड़ द्वारा चोरों, छेड़छाड़ करने वालों, जेबकतरों आदि को पीटने की घटनाएँ आम हैं, परन्तु वर्तमान समय में इस प्रकार की घटनाओं का लगातार होना और किसी एक ही विषय पर होना चिंता का विषय बन गया है।

भारत में इस प्रकार की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने से न्यायालय और सरकार, दोनों ही चौकन्नी हो गए हैं। यद्यपि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इससे सम्बंधित आँकड़े जारी नहीं किए हैं परन्तु विभिन्न समाचार एजेन्सियों द्वारा जारी किए गए आँकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में वर्ष 2010 से 2019 तक मॉब लिंचिंग के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। यूनाइटेड किंग्डम की रॉयटर्स समाचार संस्था के अनुसार, भारत में वर्ष 2010 से 2019 तक विशेष विषय पर मॉब लिंचिंग के 81 मामले हुए हैं, जिनमें

लगभग 43 लोगों की मौत हो गई और लगभग 144 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी प्रकार एक अन्य समाचार संस्था के अनुसार, पिछले चार वर्षों में 134 घटनाएँ हुई हैं, जिनमें 68 लोगों की जान गई है और लगभग 289 लोग घायल हुए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के मुताबिक, भारत में वर्ष 2001 से 2014 तक 2.290 महिलाओं की हत्या डायन होने की आशंका में पीट-पीटकर कर दी गई। इसमें से 464 हत्याएँ अकेले झारखण्ड में हुई हैं। इसी प्रकार की हत्याएँ ओड़िशा में 415, आंध्रप्रदेश में 383 व हरियाणा में 209 हुई हैं। यह भी मॉब लिंचिंग का एक प्रकार है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुलाई, 2018 में राज्यों एवं केन्द्र सरकार को मॉब लिंचिंग के मामले में निरोधात्मक. दण्डात्मक एवं उपचारात्मक उपाय करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे तथा इनका पालन ना करने पर न्यायालय द्वारा जुलाई, 2019 में केन्द्र सरकार सहित 10 राज्यों, जिनमें मॉब लिंचिंग से सर्वाधिक प्रभावित राज्य, जैसे - उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, आंध्रप्रदेश आदि शामिल हैं, एवं मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी कर दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर जवाब तलब किया है।

#### मॉब लिंचिंग का अर्थ

एनसाइक्लॉपेडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, ''लिंचिंग हिंसा का एक प्रकार है, जिसमें किसी भीड़ द्वारा किसी परिकल्पित अपराधी को बिना सुनवाई के सज़ा देने के बहाने से यातनाएँ दी जाती है या शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता हैं। यह शब्द अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिका के वर्जिनिया प्रांत के जस्टिस ऑफ पीस चार्ल्स लिंच के नाम से उद्गृहित हुआ है जो इस क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों को सजा देने का कार्य करते थे।'' राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, ''मॉब से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है तथा लिंचिंग से धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार-व्यवहार, लैंगिक अभिविन्यास, राजनैतिक सम्बद्धता, नस्ल के आधार पर मॉब द्वारा हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की शृंखला अथवा हिंसा के कृत्य में सहायता करना, उसके लिए उकसाना या हिंसा करने का प्रयास करना, चाहे वह कृत्य स्वाभाविक हो अथवा योजनाबद्ध, अभिप्रेत है।''

## भीड़ की हिंसा के कारण

सामान्यत: यह देखा गया है कि इस प्रकार की हिंसा सुनियोजित न होकर तात्कालिक प्रतिक्रिया स्वरूप होती है, परन्तु इनके पीछे कहीं-ना-कहीं लम्बे समय से चल रही परिस्थितियाँ और माहौल जिम्मेदार होता है। कई बार इस प्रकार की परिस्थितियाँ और माहौल अफवाहों के कारण भी बन जाता है. जिससे अधिकांश, नागरिक किसी सामान्य घटना को भी किसी विशेष नजरिये से देखते हुए इस प्रकार की हिंसा कर देते हैं। इस प्रकार की घटनाओं के पीछे धार्मिक मान्यताएँ एवं परम्पराएँ भी महत्वपूर्ण कारण होती हैं जिन पर किसी प्रकार की आँच आने या उसकी संभावना या आशंका होने तक पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। पूर्व केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रकार की घटनाओं के पीछे सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक समाचारों को मुख्य कारण माना है।

लेखक हरिशंकर परसाईं ने अपनी पुस्तक 'आवारा भीड़ के खतरे' में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाली भीड़ की मानसिकता स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''दिशाहीन, बेकार, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक है। इसका उपयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है। इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है।''

#### विधिक प्रावधान

मॉब लिंचिंग से सम्बंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन दो भागों में किया जा सकता है। प्रथम भाग वह है, जिसमें मॉब लिंचिंग को परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु उस जैसी प्रकृति की घटनाओं और व्यवहार के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो कि यह प्रावधान करता है कि ''किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।'' अर्थात् किसी भी व्यक्ति को सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही प्राणों से वंचित किया जा सकता है तथा इस प्रक्रिया का पालन न्यायालय द्वारा किया जाता है और दोषी पाए जाने पर ही न्यायालय द्वारा प्राणों से वंचित करने का आदेश दिया जा सकता है। अतः किसी व्यक्ति के प्राण लेने का अधिकार सिर्फ कानून को है और अगर अन्य किसी द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाता है तो वह उस व्यक्ति के मूल अधिकारों के विरुद्ध होता है।

यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता में मॉब लिंचिंग को परिभाषित नहीं किया गया है तथापि इस जैसी घटनाओं पर कार्रवाई के लिए विभिन्न धाराएँ मौजूद हैं। इनमें धारा 302-हत्या के लिए दण्ड, धारा 307-हत्या का प्रयास, धारा 323-जान-बूझ कर घायल करना, धारा 147 व 148-दंगा-फसाद व शांति भंग करना, धारा 149-आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना, धारा 34-सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य तथा आपराधिक दंड संहिता की धारा 223ए-किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा आदि में भी इस प्रकार के अपराध के लिए उपयुक्त कानून के इस्तेमाल की बात कही गई है।

मॉब लिंचिंग से सम्बंधित विधिक प्रावधानों के दूसरे भाग के रूप में वे प्रावधान और प्रक्रियाएँ आती हैं जिनमें इसे परिभाषित किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है–

#### सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ एवं अन्य (2018) मामले में निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग के मामलों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए एक दिशा-निर्देश जारी किया जिसमें निरोधात्मक, दण्डात्मक एवं उपचारात्मक उपाय दिए हैं। निरोधात्मक उपायों के अन्तर्गत जिला पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना, ऐसे मामलों के लिए टास्क फोर्स बनाना, खुफ़िया जानकारी एकत्र कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, सी.आर.पी. सी. की धारा 129 के अन्तर्गत भीड़ को तितर-बितर करना, केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्यों में समन्वय स्थापित करना, गश्त लगाना, भड़काऊ संदेश प्रसार करने वालों पर कार्रवाई करना आदि शामिल हैं।

**उपचारात्मक उपायों** के अन्तर्गत तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करना, अन्वेषण का नोडल अधिकारी निर्देशित करना और शीघ्रातिशीघ्र चार्जशीट दाखिल करना, सी.आर.पी.सी. की धारा 357 ए के अन्तर्गत पीडि़्त परिवार को एक माह के भीतर क्षतिपूर्ति दिलाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाना, अधिकतम सज़ा दिलाना, गवाहों की सुरक्षा, मुफ्त विधिक सेवाएँ प्रदान करना आदि शामिल हैं। दण्डात्मक उपायों में यदि पुलिस या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी मॉब लिंचिंग के किसी मामले में उपर्युक्त उपायों को लागू करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध छह माह के भीतर विभाग द्वारा कार्रवाई किया जाना शामिल है।

## मॉब लिंचिंग पर उच्च स्तरीय समिति

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग के मामलों को नियंत्रित करने हेतु सुझाव देने के लिए 23 जुलाई, 2018 को तत्कालीन गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसको, चार सप्ताह में अपनी सिफारिशें देनी थीं तथा केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भी गठित किया गया, जो इस समिति की सिफारिशों पर विचार करके प्रधानमंत्री को प्रेषित करेगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मंत्री को सौंप दी है।

## द मणिपुर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस एक्ट, 2018

मणिपुर राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए देश में सबसे पहले मॉब लिंचिंग के विरुद्ध दिसम्बर, 2018 में अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में लिंचिंग के अन्तर्गत चोट पहुँचाने पर अधिकतम सात वर्ष का कारावास एवं अधिकतम एक लाख रुपये का जुर्माना, गंभीर चोट पहुँचाने पर अधिकतम दस वर्ष का कारावास एवं अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना, मृत्यु हो जाने पर आजीवन कारावास एवं अधिकतम पांच लाख रुपये का जुर्माना, गिरफ्तारी में बाधा पहुँचाने पर पांच वर्ष का कारावास एवं उचित जुर्माना, गवाहों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या डराने-धमकाने पर अधिकतम पांच वर्ष का कारावास एवं उचित जुर्माना, लिंचिंग में साथ देने पर अपराधी के समान सजा, संतापकारी सामग्री के प्रचार पर कम-से-कम एक वर्ष एवं अधिकतम तीन वर्ष का कारावास एवं अधिकतम पचास हजा़र रुपये का जुर्माना, सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर कम-से-कम एक वर्ष एवं अधिकतम तीन वर्ष का कारावास एवं नुकसान का दोगुना जुर्माना, किसी क्षेत्र विशेष पर सामूहिक जुर्माना, गलत सूचना देने पर अधिकतम दो वर्ष का कारावास एवं अधिकतम पचास हजार रुपये का जुर्माना, पुलिस अधिकारी के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल होने पर अधिकतम तीन वर्ष का कारावास एवं अधिकतम पचास हज़ार रुपये का जुर्माना, प्रतिकूल परिवेश बनाने में सहयोग देने पर छह माह का कारावास, क्षतिपूर्ति देना, राहत शिविर की स्थापना आदि शामिल हैं।

## राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण अधिनियम, 2019

मणिपुर के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है, जिसने मॉब लिंचिंग पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार कानून बनाया है। अगस्त, 2019 में पारित इस अधिनियम में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ सज़ा एवं जुर्माने के प्रावधान भी मणिपुर के अधिनियम के लगभग समान हैं, परन्तु इस अधिनियम में पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में विफल होने पर किसी प्रकार की सज़ा के प्रावधान का वर्णन नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जुलाई, 2019 में उत्तरप्रदेश के 7वें विधि आयोग ने अपनी 7वीं रिपोर्ट मॉब लिंचिंग पर प्रस्तुत की है तथा इसके साथ ही आयोग ने मॉब लिंचिंग के विरुद्ध विधेयक का प्रारूप भी सरकार को दिया है। वहीं दूसरी ओर अगस्त, 2019 में पश्चिम बंगाल ने मॉब लिंचिंग के विरुद्ध विधेयक पारित किया है, जो राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है।

#### समालोचना

देश में जहाँ एक ओर मॉब लिंचिंग की घटनाएँ बढ़ रही हैं वहीं दूसरी ओर उनकी रोकथाम के प्रयासों में भी तीव्रता आ रही है। राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार भी इसके लिए विशेष प्रावधान करने की प्रक्रिया में है। यद्यपि पूर्व में स्थित कानून भी पर्याप्त हैं और कठोर भी हैं तथा वर्तमान में बनाये जाने वाले कानून भी पर्याप्त कठोर हैं तथापि यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या सिर्फ कानूनों की कठोरता से किसी भी अपराध पर नकेल कसी जा सकती है? अगर कानूनों की कठोरता ही पर्याप्त कदम है तो देश में पूर्व में स्थित कानूनों से इन अपराधों के साथ-साथ अन्य अपराधों पर भी पर्याप्त अंकुश लगाया जा सकता है, परन्तु ये कानून अपराधों को रोकने में सिर्फ एक सीमा तक कारगर होते हैं। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएँ भौतिक कारणों की अपेक्षा मानसिक कारणों का परिणाम ज्यादा है। देश में सोशल मीडिया पर सैंकड़ों भ्रामक संदेश प्रतिदिन प्रसारित किए जाते हैं जिनमें जाति, धर्म रीति-रिवाज आदि से सम्बंधित भ्रामक जानकारियाँ और लोगों को भड़काने की मानसिकता होती है। इन संदेशों में बच्चा चोरी, अन्तर्जातीय विवाह, गौ-हत्या, डाकन प्रथा आदि जैसे विषय प्रमुख होते हैं। इन संदेशों की वजह से एक संदेह का वातावरण बन जाता है. जिसमें प्रत्येक अजनबी व्यक्ति संदेह के दायरे में आता है। भारत जैसी विविधताओं वाले देश में एक राज्य या क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे राज्य या क्षेत्र में संदेहास्पद ही लगता है और ऐसी स्थिति में भीड़ द्वारा बिना पूछताछ के मारना शुरु कर दिया जाता है। यद्यपि वर्तमान में सरकार और सोशल मीडिया संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के संदेशों की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथापि इस प्रकार के संदेशों का किसी न किसी रूप में अनवरत प्रसार जारी है।

मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की तह तक जाने पर हम यह पाते हैं कि अधिकांश घटनाओं में भीड़ को सही बात पता ही नहीं होती है, परन्तु किसी न किसी वजह से कुंठित, चाहे वह परिवार की वजह से सरकार की नीतियों की वजह से या धार्मिक भावनाओं की वजह से, व्यक्ति अपनी कुंठा को हिंसा के रूप में निकाल देता है। जागरूकता की कमी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार सबसे बडे कारणों में से एक हैं, जिनमें व्यक्ति कही-सुनी बातों पर विश्वास कर लेता है और भ्रामक मार्ग पर चल देता है। इस प्रकार की घटनाओं में कानून की लचर व्यवस्था और धीमी प्रक्रिया भी कहीं-न-कहीं अवश्य जिम्मेदार है. जिससे व्यक्तियों का इस प्रक्रिया से धीरे-धीरे विश्वास उठ रहा है और तुरन्त न्याय की प्रक्रिया में भीड द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मॉब लिंचिंग की अधिकतर घटनाओं में असामाजिक तत्व/अपराधिक प्रकृति के लोग व विद्धेष की भावना रखने वाले लोग शामिल होते हैं। पुलिस प्रशासन व सामान्य प्रशासान का संवैधानिक दायित्व है कि इस प्रकार की घटनाओं के प्रति संवेदनशील होते हुए त्वरित कार्रवाई करें।

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि एक ओर ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन कर उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए ताकि लोगों में कानून का पर्याप्त डर स्थापित हो सके वहीं दूसरी ओर लोगों में शिक्षा और जागरूकता को फैलाना आवश्यक है जिससे लोगों में सही–गलत की समझ विकसित हो सके और त्वरित न्याय की जगह कानूनी प्रक्रिया में विश्वास स्थापित हो सके।

## कानून व्यवस्था : न्यायिक दृष्टिकोण

श्री आशीष श्रीवास्तव ( शोध छात्र ) अधिवक्ता, जिला न्यायालय भोपाल

हमारे देश में प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में विधि सम्मत शासन है अर्थात् प्रत्येक कार्य कानून के अनुसार किया जाए तथा कोई भी व्यक्ति या समूह कानून से ऊपर नहीं है। इस संदर्भ में पुलिस की भी विशिष्ट भूमिका है। संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार तथा कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। एक औपनिवेशिक और सामंतवादी समाज से स्वतंत्र व समतावादी समाज, जिसमें शोषण और दमन का कोई स्थान न हो, की स्थापना का लक्ष्य भारतीय संविधान में रखा गया है। एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक एवं विकासशील समाज में पुलिस की भूमिका को समझने के लिए व्यापक सामाजिक और राजनैतिक परिपेक्ष्य को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है।

पुलिस शून्य में काम नहीं करती बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ उसकी भूमिका और कार्यशैली को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि वहाँ शान्ति व आतंरिक सुरक्षा बनी रहे। अपराध नियंत्रण व सामूहिक संघर्ष व हिंसा को सीमित रखते हुए पुलिस एक ऐसा आधार एवं वातावरण तैयार करती है जिसमें विकास की प्रक्रिया फलीभूत होती है।

पुलिस एक ऐसा संगठन है जिसके हाथ में सत्ता तथा शक्ति होती है तथा दूसरे व्यक्तियों पर वैधानिक रूप से बल प्रयोग कर सकती है। कानून और व्यवस्था के आधारभूत कर्तव्य के निर्वहन में



पुलिस को यह देखना आवश्यक होता है कि वह नागरिकों के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन न करे। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन न हो। पुलिस को कानूनी सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।

संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों तथा मूल अधिकार इत्यादि भागों में इस लक्ष्य की साकार कल्पना की गई है। इनके अनुसार, राज्य का यह संवैधानिक दायित्व बन जाता है कि वह शोषणहीन तथा समतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न करे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास में कानून की संस्थाओं, विशेषकर पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है।

पुलिस की कमियों की पहचान करने के लिए पुलिस की सही भूमिका की पहचान आवश्यक है। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा आवश्यक है। भारतीय संविधान भी इन मूल्यों की रक्षा की प्रतिबद्धता से शुरु होता है। भारतीय संविधान की उद्शिका में उल्लेखित है कि-

"हम, भारत के लोग, भारत को एक (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख़ 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारतीय संविधान एक ओर जहाँ व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों को प्रदान करता है वहाँ दूसरी ओर इसका लक्ष्य देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं सम्पूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए भारतीय संविधान में बन्धुत्व की भावना पर अधिक बल दिया गया है।

प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है यदि वह जन-जन के मन में बन्धुत्व की भावना को जागृत करने में सफल हो सके। प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि वह एक ही मातृभूमि की संतान है और उन्हें एक-दूसरे के प्रति स्नेह, साहचर्य और सहयोग की भावना के साथ रहना चाहिए।

बन्धुत्व के इन उदात्त और मानवीय सिद्वान्तों को संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र में भी समाविष्ट किया गया है।

मानवाधिकार-घोषणापत्र का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और उसे प्रतिष्ठा और अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं। वह एक विवेकशील प्राणी है और उसे प्राणी मात्र के प्रति बन्धुत्व की भावना रखनी चाहिए। बन्धुता की उदात्त भावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित किया गया है।

स्वतंत्रता समानता और बन्धुत्व, जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया पुलिस विज्ञान गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही इस 'न्याय' का मुख्य उद्देश्य है।

भारतीय संविधान-निर्माताओं के समक्ष भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना का उद्देश्य था। यद्यपि संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है तथापि उसमें अन्तर्निहित भावना में संविधान-निर्माताओं का उद्देश्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वे भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते थे, जिसका उद्देश्य 'बहुजन-हिताय बहुजन-सुखाय' (Greatest good of the greatest number) हो। जिन आदर्शो की ओर संविधान लक्ष्य करता है वे राज्य के नीति-निर्देशक सिद्वान्तों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। इन सिद्वान्तों के अनुसार कार्य करके ही एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्वप्न साकार किया जा सकता है। हमारे महान राष्ट्रनायक एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के इसी चित्र की परिकल्पना की थी।

उद्देशिका में 'वितरण-न्याय' की धारणा निहित है। विधि के क्षेत्र में इसका तात्पर्य आर्थिक असमानता तथा असमानों में संव्यवहार के मामले में असमानता को दूर करना है। कानून का प्रयोग वितरण योग्य साधन के रूप में समाज के सदस्यों में धन का उचित बँटवारा करने के लिए किया जाना चाहिये।

कानून का प्रतिपालन करने वाली संस्था के रूप में पुलिस को यह देखना आवश्यक है कि किसी नागरिक के कानूनी अधिकारों का हनन न हो तथा प्रत्येक नागरिक अधिकारों को अपनी कानून प्रदत्त सुविधाओं का बिना किसी भय या बाधा के उपयोग कर सकें। इस प्रकार पुलिस का दायित्व बन जाता है कि वह न केवल अन्य व्यक्तियों को कानून विरुद्ध या मनमाना व्यवहार न करने दे बल्कि स्वयं भी निरंकुश आचरण से बचें।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था की आधारशिला है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता को बड़ा महत्व देती है। इसके बिना जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को, जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना सम्भव नहीं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है, जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके। इस प्रकार इनमें संकेतों, अंकों, चिन्हों तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त 'अभिव्यक्ति' शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों के व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं, वे अभिव्यक्ति, पदावली के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति, की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। विचारों का प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा किया जा सकता है।

कानून सम्मत गतिशील शासन द्वारा ही वांछित सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं तथा पुलिस तथा न्यायिक प्रक्रिया ही सामाजिक व्यवस्था की इस कल्पना को साकार कर सकती है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक परिसीमा में बांधा नहीं जा सकता है। इस अधिकार का प्रयोग नागरिक के द्वारा भारत की सीमा के भीतर ही नहीं वरन् विश्व के किसी भी देश की भूमि पर किया जा सकता है। यदि राज्य किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिकार के प्रयोग पर देश की सीमा के आधार पर रोक लगाता है तो उससे अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण होगा।

आधुनिक काल में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देश की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अभिव्यक्ति से तात्पर्य है किसी व्यक्ति से विचारों का आदान-प्रदान करना, चाहे यह विश्व के किसी भी भाग में क्यों न निवास करता हो।

मेनका गाँधी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 597 के मामले में उक्त सिद्वान्त प्रतिपादित किए गए हैं। इसमें अपीलार्थी को अपना विदेश जाने का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नागरिक अनुच्छेद 19 के अधिकारों का प्रयोग केवल भारत में ही नहीं वरन् विदेश में भी कर सकता है। विदेशों में उसके अधिकार पर वे सब निर्बन्धन लगाए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित हैं। न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 19 के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, किन्तु यदि उसके ले लेने पर नागरिक के अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तो उससे अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण हो सकता है। यह तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

भारतीय संविधान में बन्द का आह्वान एवं आयोजन असंवैधानिक है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बनाम भारत कुमार और अन्य ए.आई.आर. 1998, एस. सी. 184 के वाद में ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा केरल उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

"राजनीतिक दलों द्वारा बन्द का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है'' न्यायालय ने कहा कि केरल के उच्च न्यायालय द्वारा 'बन्द' और 'हड़ताल' में किया गया भेद सही है और उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

उच्च न्यायालय ने 'बन्द' और 'हड़ताल' में भेद नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया था। उच्च न्यायालय अनुसार 'बन्द' से नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे उनके प्रयोग करने से वंचित हो जाते हैं जबकि 'हड़ताल' का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है।

विचारों की अभिव्यक्ति में वाणिज्यिक भाषण एवं अभिव्यक्ति विज्ञापन भी अभिव्यक्ति का एक साधन है, किन्तु यदि विज्ञापन व्यापारिक प्रकृति के हैं तो उन्हें देश की सामान्य कर विधि से विमुक्ति नहीं मिलेगी और सरकार उन पर यथोचित कर लगा सकती है। व्यापारिक विज्ञापनों में विचारों के प्रसार से अधिक व्यापार एवं वाणिज्य का तत्व प्रधान रहता हैं।

हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के मामले में सरकार ने औषधि और जादू उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम पारित किया इस अधिनियम का उद्देश्य औषधियों के विज्ञापन को निषिद्ध करना था। इस अधिनियम पर इस आधार पर आपत्ति उठाई गई कि विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध वाक्-स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध है। उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम को विधिमान्य घोषित करते हुए यह अवलोकन किया कि-

"यद्यपि विज्ञापन अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है तथापि प्रत्येक विज्ञापन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्बन्धित नहीं होता है। प्रस्तुत मामले में विज्ञापन विशुद्ध रूप से व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित है, विचारों के प्रसार से नहीं। निषिद्ध औषधियों का विज्ञापन अनुच्छेद 19(1) (क) के क्षेत्र से बाहर है; अत: ऐसे विज्ञापनों पर निर्बन्धन लगाए जा सकते हैं।"

टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ए.आई.आर. 1995, एस.सी. 138 में उच्चतम न्यायालय ने हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय के विस्तार को सीमित कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि

"वाणिज्यिक भाषण (विज्ञापन) अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत भाषण एवम् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक रूप है और उस पर केवल अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) में उल्लिखित आधारों पर ही निर्बन्धन लगाए जा सकते हैं।

शर्मा एम बनाम श्री कृष्ण सिन्हा ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 395 के सर्च लाइट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

"कोई समाचार-पत्र किसी सदस्य द्वारा विधान-मण्डल में दिये गए भाषण का वह भाग प्रकाशित नहीं कर सकता है जिसे स्पीकर के आदेश द्वारा कार्रवाई से निकाल दिया गया है।"

प्रदर्शन या धरना (Demonstraion or picketing) भी अभिव्यक्ति के साधन हैं किन्तु

पुलिस विज्ञान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) (क) केवल उन्हीं प्रदर्शनों या धरनों को संरक्षण प्रदान करता है जो हिंसात्मक और उच्छूंखल नहीं हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत हड़ताल करने का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है।

कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए.आई. आर. 1972 एस.सी. 1166 के वाद में यह निर्धारित किया गया कि-

"किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है। प्रदर्शन जब हड़ताल का रूप धारण कर लेता है तो वह विचारों की अभिव्यक्ति करने का साधन मात्र नहीं रह जाता है।"

चलचित्रों पर पूर्व-अवरोध संवैधानिक है क्योंकि चलचित्र-प्रदर्शन भी वाक् और अभिव्यक्ति का एक माध्यम है।

के.ए.अब्बास बनाम भारत संघ का मामला इस विषय पर पहला मामला है, जिसमें यह प्रश्न कि क्या अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत चलचित्रों पर पूर्व-अवरोध लगाया जा सकता है। चलचित्रों का प्रभाव अभिव्यक्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा मनुष्य पर तुरन्त पड़ता है और विशेषकर नवयुवकों पर। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि-

"चलचित्रों पर पूर्व-अवरोध (Pri-Censorship) अनुच्छेद 19(1) (क) और (ख) के अधीन संवैधानिक है। चलचित्रों के निर्माण एवं प्रदर्शन पर पूर्व-अवरोध लोकहित में है।"

बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओमपाल सिंह हून ए. आई आर. 1996 4 एस.सी.सी. 1 जो "बैंडिक्ट क्वीन" के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्यार्थी ने 'बैंडिक्ट क्वीन' फ़िल्म को प्रदर्शित करने के लिए सेन्सर बोर्ड द्वारा 'ए' दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने तथा उसके प्रदर्शन को रोकने के लिए एक याचिका दायर की।

प्रस्तुत फिल्म एक गाँव की लड़की फूलन देवी की कहानी है जिसमें उसके साथ बचपन में ही बलात्कार किया गया और गाँव के हज़ारों लोगों के समक्ष नग्न होकर पानी लेने के लिए जाना पड़ा। अपने विरुद्ध अमानवीय और शोषण के व्यवहार से क्षुब्ध होकर प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर बहमई गाँव के अनेक क्षत्रियों को उसने मार डाला। प्रत्यर्थी का अभिकथन था कि इस फिल्म में गूजर समुदाय, जिसका वह सदस्य है, को बलात्कारी के रूप में दर्शाना उनके प्रति अनादर है। फ़िल्म को अभिकरण के तीन सदस्यों की समिति, जिसमें तीन सदस्य महिलाएँ थीं, ने देखा और अश्लील नहीं पाया तथा 'ए' प्रमाणपत्र प्रदान किया।

## उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि

"फ़िल्म के उक्त दृश्य कहानी को ठीक रीति से दिखाने के लिए आवश्यक थे और अश्लील नहीं थे। अत: उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र को रद्द करने का आदेश अवैध है। फिल्म दर्शकों के मन में फूलन देवी के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न करती है और उसके प्रति किए गए अत्याचार के लिए अत्याचारियों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करती है। फिल्म अश्लील है या नहीं। इसका निर्धारण एक दृश्य के आधार पर नहीं बल्कि पूरी कहानी के प्रभाव के आधार पर करना चाहिए।"

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित आधारों का उल्लेख है जिसके आधार पर नागरिकों की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाए जा सकते हैं-

- (1) राज्य की सुरक्षा
- (2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में
- (3) लोक व्यवस्था
- (4) शिष्टाचार या सदाचार के हित में
- (5) न्यायालय-अवमानना
- (6) मानहानि
- (7) अपराध उद्दीपन के मामले में
- (8) भारत की प्रभुता एवं अखण्डता के हित में

राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्य की सुरक्षा के हित में नागरिकों के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाए जा सकते हैं।

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य ए.आई. आर. 1950 एस.सी. 124 के मामले में प्रश्न यह था कि क्या ऐसे कार्य, जिनसे लोक व्यवस्था भंग होती है, देश की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकते हैं। प्रत्येक लोक अव्यवस्था राज्य की सुरक्षा को ख़तरा पहुँचाने वाली नहीं होती है। लोक व्यवस्था को भंग करने वाले कृत्यों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

## "राज्य सुरक्षा" पदावली लोक व्यवस्था के गम्भीर तथा बिगड़े हुए रूप को प्रदर्शित करती है, जैसे-

- आन्तरिक विक्षोभ या विद्रोह, राज्य के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करना आदि, न कि लोक व्यवस्था तथा लोक सुरक्षा के साधारण अंगों को; जैसे-अवैध सभा या हंगामा आदि।
- ऐसे भाषण या अभिव्यक्तियाँ, जो कृत्ल जैसे हिंसात्मक अपराध को उकसाती या प्रोत्साहित

करती हैं, राज्य की सुरक्षा को ख़तरा पहुँचाने वाली समझी जाएगी।

- सरकार की आलोचना मात्र या सरकार के प्रति अनादर एवं दुर्भावना उकसाना राज्य सुरक्षा को खतरे में डालने वाला नहीं माना जाएगा।
- नागरिकों के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तभी निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं जब उससे राज्य की सुरक्षा पर आघात पहुँचने की आशंका हो।
- 5. प्रत्येक ऐसे कृत्य, जिससे लोक व्यवस्था या लोक सुरक्षा भंग होती है, किसी-न-किसी रूप में राज्य की सुरक्षा को आघात पहुँचाने वाले हो सकते हैं।

बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 884 के वाद में यह निर्धारित किया गया कि-

"लोक व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार अग्रिम कार्रवाई भी कर सकती है, ऐसे मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 को, जो मजिस्ट्रेट को जुलूसों और सभाओं पर निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्रदान करती है, को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह अनुच्छेद 19(1) (क) में दिए गए अधिकारों पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाए हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त धारा अनुच्छेद 19(1) (क) का अतिक्रमण नहीं करती है, क्योंकि इसके अर्न्तगत दिए गए आदेशों की प्रकृति बिल्कुल अस्थायी है और इसका प्रयोग उत्तरदायी मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक ढंग से किया जाता है।"

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 से लेकर 294 तक नैतिकता एवं शिष्टता के हित में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाने का उपबन्ध करती है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ये धाराएँ अश्लील प्रकाशनों को बेचने, प्रचार या प्रदर्शन करने, अश्लील कृत्यों को करने, अश्लील गानों एवं अश्लील भाषणों आदि का प्रतिषेध करती हैं, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता में अश्लीलता की कोई कसौटी नहीं दी गई है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने आंग्ल-निर्णय हिकलिन में प्रतिपादित अश्लीलता की कसौटी में स्वीकार किया है। इस कसौटी का अनेक भारतीय निर्णयों में अनुसरण किया गया है।

भारतीय दण्ड-विधान के अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों में उन शर्तों का उल्लेख है जिनकी मौजूदगी में कोई सभा गै़र-कानूनी हो जाती है।

दण्ड-संहिता की धारा 141 के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा अवैध हो जाती है, यदि उस सभा को संगठित करने वाले व्यक्तियों का समान उद्देश्य-

- किसी विधि या विधिक आदेशिका के निष्पादन का विरोध करना हो,
- 2. कोई शरारत या अतिचार करना हो,
- किसी की सम्पत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करना हो,
- 4. किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है या उसे ऐसे कार्य न करने के लिए बाध्य करना, जिसे करने के लिए वह कानूनी तौर से बाध्य है।

 सरकार के प्रति आपराधिक बल-प्रयोग की धमकी देना या किसी सरकारी अधिकारी को इस प्रकार की धमकी देना हो।

एक सभा इकट्ठा होने के बाद अवैध रूप धारण कर सकती है, यदि यह हिंसात्मक रूप धारण कर ले या उससे लोक-व्यवस्था के भंग होने की आशंका हो।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अधीन ऐसी सभा को भंग करने का आदेश दिया जा सकता है, यदि उससे लोक-शान्ति भंग होने की आशंका हो। उक्त सभा को भंग होने के लिए दिए गए आदेश की अवज्ञा करने पर सभा अवैध हो जाती है।

**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107** में भी इसी प्रकार मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वह किसी भी व्यक्ति जिससे शान्ति भंग किए जाने की आशंका हो, शान्ति बनाए रखने की जमानत ले सकता है

**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144** के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट किसी सभा, सम्मेलन करने या जुलूस निकालने को मना कर सकता है, यदि सामान्य जनता के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा को किसी प्रकार की क्षति पहुँचने की आशंका हो या लोक-शान्ति भंग होने या बल्वा या हंगामा होने की सम्भावना हो।

**दासप्पा बनाम उपायुक्त, 1907 मैसूर 57** के वाद में यह निर्धारित किया गया कि-

**पुलिस एक्ट, 1861** के अधीन पुलिस अधिकारी सभाओं और जुलूसों को संचालित करने के ढंग, समय, स्थान और उनके जाने के मार्गों के बारे में लोक-व्यवस्था के हित में उचित निर्देश दे सकता है। ब्रम्ह्यानन्द बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर. 1959 पटना 425 के वाद में यह निर्धारित किया गया कि-

पुलिस एक्ट की धारा 30 के अधीन किसी व्यक्ति को जुलूस निकालने के पहले पुलिस अधिकारी से पूर्व अनुज्ञा लेना आवश्यक है। कोई ऐसा कानून, जो मजिस्ट्रेट को किसी सभा के करने की अनुज्ञा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करता है या ऐसा कानून जो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के सार्वजनिक जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देना, न्यायालयों द्वारा वैध घोषित किया गया है।

हिम्मतलाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 87 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक मार्गों पर जुलूस निकालने के अधिकार पर विचार किया

संविधान न्यायपीठ ने बहुमत की ओर से बोलते हुए न्यायाधिपति एस. एम. सीकरी ने कहा कि-

"जुलूस निकालने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1) के उपखंड (ख) में निहित है क्योंकि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक निर्णय के आधार पर कहा, "जुलूस भी एक चलता हुआ सम्मेलन ही है।" उन्होंने कहा कि यद्यपि इंग्लैण्ड में सम्भवत: साधारण जनता को मार्गों या सड़कों पर सार्वजनिक सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, भारत में निश्चय ही स्वतंत्रता के पूर्व से ही स्थिति भिन्न रही है। यहां भी मार्गों और सड़कों का स्वामित्व अवश्य सरकार के पास रहा है, परन्तु यहां सरकार इस स्वामित्व के सम्बन्ध में जनता की न्यासी मांग रही है। जनता का मार्गों और सड़कों पर सम्मेलन करने और धार्मिक तथा अन्य जुलूस निकालने का अधिकार यहां सदैव से माना गया है और यह भी सदैव से माना जाता रहा है कि यह अधिकार समुचित अधिकारियों द्वारा समय और स्थान का नियत्रंण करने शक्ति तथा सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकताओं के अध्यधीन रहा है। मुख्य न्यायधिपति ने कहा कि यदि सार्वजनिक सभा करने और जुलूस निकालने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) (ख) और 19 (1) (घ) (जिसमें भारत राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है) से उद्भूत होता है तो यह स्पष्ट है कि राज्य उस पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं लगा सकता हैं।

"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (घ) और खण्ड (5) भारतीय नागरिकों को समस्त भारत में अबाध रूप से संचरण करने (जाने-आने) का अधिकार प्रदान करता है। वह बिना किसी निर्बन्धन के भारत संघ के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है और राज्य की सीमा के भीतर संचरण कर सकता है।

इसका उद्देश्य भारत का समस्त क्षेत्र नागरिकों के लिए एक इकाई के सदृश है। प्रान्तीयतावाद जैसी संकुचित भावना को समाप्त करके प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की सृष्टि का संचार करना है, लेकिन अनुच्छेद 19 खण्ड(5) के अन्तर्गत राज्य संचरण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकता है – जैसे साधारण जनता के हित में, किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए"।

**ए.के.गोपालन के मामले में** भारत राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता को बन्दी न बनाए जाने के अधिकार से भ्रान्त करने का प्रयत्न सफल नहीं हो सका और उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बन्दीकरण के विरुद्ध अधिकार, अनन्य रूप से, अनुच्छेद 21 और 22 में दिए गए हैं। हमारे नम्र मत में यह तो ठीक है, क्योंकि बन्दीकरण और संचरण पर निर्बन्धन लगाना एक ही वस्तु नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को मुम्बई नगर से निष्कासित कर दिया जाए और उसे दो वर्ष तक उस नगर की म्युनिसिपल सीमा के भीतर प्रवेश न करने का आदेश दिया जाए तो यह उस व्यक्ति की संचरण की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन होगा, परन्तु इसे बन्दीकरण किसी भी दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। ऐसे और भी उदहारण दिए जा सकते हैं।

भारतीय गणतंत्र के संविधान में केन्द्र तथा प्रदेशों की कार्यसूची बनाई गई। प्रदेश की सूची में सार्वजनिक व्यवस्था तथा पुलिस, जिसमें रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सम्मिलित हैं, शामिल किए गए हैं। इस प्रकार पुलिस की संवैधानिक स्थिति लगभग वही है जो स्वतंत्रता के पूर्व थी। संविधान के निर्माताओं ने यही उचित समझा कि संविधान के पूर्व पुलिस का जिस हद तक विकेन्द्रीकरण था, उतना ही सार्वजनिक नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। चूंकि पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं अत: राज्य मंत्रिमंडलों का यह पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुशल बल का गठन करें।

स्वतंत्रता के पश्चात् कई अवसर आए हैं जब केन्द्र तथा राज्यों में विरोध उत्पन्न हुआ। भाषा, आदर्शवाद, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य समस्याओं को लेकर विवाद खड़े हुए, जिससे पुलिस का कार्य अत्यंत कठिन हो गया है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच पुलिस की स्थिति दुविधाजनक बन गई है।

इंग्लैण्ड जैसे देश में, जहाँ मौसम से अधिक शांति के प्रति लोग आश्वश्त हैं, पुलिस कार्यों का विकेन्द्रीकरण केवल संभव ही नहीं, उचित भी है। डॉ. कर्वे ने कहा है– ''जब तक संम्पूर्ण रूप से अथवा सम्पूर्णता के निकट तक आंतरिक राजनीतिक सुरक्षा स्थापित न हो पुलिस के कार्यों का विकेन्द्रीकरण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता।''

पुलिस चाहे किसी एजेंसी के रूप में कार्य करती हो अथवा उस पर केन्द्र का नियंत्रण हो, ऐसे कई विकसित राष्ट्र हैं जहाँ वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है तथा अपने अधिकारियों के अधीनस्थ रहते हुए वह अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। एक स्वतंत्र अभियोजन एजेंसी होने के नाते पुलिस एक पृथक इकाई के रूप में कानून लागू करना, विवेचना करना, अपराधों को न्याय के लिए न्यायालयों में प्रस्तुत करना आदि कर्तव्यों का निर्वहन करती है।

न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का विभाजन हो जाने के पश्चात् तो पुलिस को एक पृथक् एजेंसी के रूप में पुलिस महानिरीक्षक के नियंत्रण में कार्य करने के लिए बिलकुल स्वतंत्र होना चाहिए और पुलिस महानिरीक्षक पुलिस के कार्यों के लिए प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक पुलिस के कार्यों के लिए प्रदेश शासन के प्रति जवाबदेह रहे। पुलिस के कर्तव्य हैं: कानून लागू करना, अपराधों की विवेचना करना और जब उपलब्ध तथ्यों को न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिया जाए तो गुण-दोष के आधार पर कानूनी न्याय दिलाना। इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में निहित प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुकूल होगी और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होगीं जिनसे ग़ैरकानूनी तथा यदाकदा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कानूनी प्रशासन नकारात्मक बन जाएँ

यदि पुलिस का गठन एक स्वतंत्र संस्था के रूप में किया जाता है तो वह संविधान द्वारा प्रदत्त मानव अधिकारों की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम पुलिस विज्ञान

## लार्ड चेशम ने सन् 1958 में हाउस ऑफ लॉर्डर्स में कहा थाः

पुलिस द्वारा राष्ट्र के नियमों को लागू करने में कोई भी शासक वर्ग अथवा अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी प्रमुख अधिकारी पर ही होती है। प्रमुख पुलिस अधिकारी अपने इस कर्तव्य के संदर्भ में केवल विधि के प्रति उत्तरदायी है, किसी लोक प्राधिकारी के प्रति नहीं।

## यूनाइटेड किंग्डम के रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि

"पुलिस के कार्य संचालन के लिए उसकी यह वैधानिक स्थिति उपयुक्त है और इसे जारी रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस को पक्षपात रहित और बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। यह इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि उसे अधिकतर अपने ही विवेक और विधि के ज्ञान की पृष्ठभूमि में कार्य करना पड़ता है, किसी बाहरी आदेश के अनुसार नहीं। एक पुलिस अधिकारी की पक्षपात रहित कार्य करने की स्थिति जनता की नज़रों से उस समय गिर जाती है जब उसे किसी स्थानीय प्रशासन का नौकर बनाकर रखा जाता है अथवा उस पर ग़ैरकानूनी दबाव डाले जाते है"।

भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत पक्षपात रहित व्यवहार की महत्ता प्रतिपादित की है।

## माननीय न्यायाधीशों ने 1963 के एक मामले में यह व्यक्त किया है कि-

"न्यायपालिका तथा पुलिस के कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं, परस्पर व्यापी नहीं। जब न्यायपालिका एवं पुलिस अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र रहते हैं तभी

हो सकती है। यदि पुलिस अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती है अथवा ठीक ढंग से कार्य नहीं करती तो एक ओर न्यायपालिका तथा दूसरी ओर कानून के परिपालन में जन सहयोग की मात्रा अभी विकसित नहीं हो पाई है। अत: कार्य संचालन में कठिनाई और भी अधिक महसूस की जा रही है।

वैधानिक शासन पर आधारित शासन प्रणाली में कानून को सर्वोपरि स्थान मिलना चाहिए व उसे किसी भी प्रकार के प्रभावों अथवा स्वैच्छिक अधिकारों से दूर रखा जाना चाहिए। हर व्यक्ति पर समान रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, शासन कर्ताओं को इस मौलिक अधिकार को स्वीकारना होगा।

इससे मूल उद्देश्यों, संस्थागत नियमों तथा प्रक्रियाओं का परिपालन होगा, जिसके परिणामस्वरूप स्वेच्छाचारी शासन से व्यक्ति बच सकेगा तथा उसे सम्मानपूर्वक रहने का अवसर मिल सकेगा। कानूनी शासन कतिपय मानव मूल्यों को मानकर चलता है। जब तक प्रशासक वर्ग स्वयं इन मानव मूल्यों को बिना किसी कानूनी दबाव के सार्वजनिक भोग, व्यावहारिक पंरपराओं और स्वयं के नैतिक अनुशासन के आधार पर स्वीकार नहीं करता, तब तक कोई कानून शासन-प्रणाली सफल नहीं हो सकती।

इंग्लैण्ड की पुलिस का काफी मात्रा में शासकीय नियंत्रण से मुक्त रहना इस बात से ज़ाहिर होता है कि वहाँ की पुलिस अपने आप को कार्यपालिका का नौकर न समझकर कानून का अधिकारी समझती है। कानून द्वारा ही उसे निजी अधिकार एवं ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं। इस प्रकार की अधिकार एवं ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं। इस प्रकार की प्रणाली में पुलिस को कानूनी दृष्टि से मज़बूत और सम्पन्न होना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन के नौकर की हैसियत से नहीं। कानून के परिपालन के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का ध्येय प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही धारा 491 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी मामले में न्यायालयों को यह अधिकार है कि वह दंडी प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप निर्देश दे।

## केरल जांच समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन. एच. भगवती ने भी टिप्पणी दी है कि-

"पुलिस को राज्य शासन का इस दृष्टि से नौकर नहीं कहा जा सकता कि शासन उसे इस संबंध में आदेश दे कि कानून द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों को किस रीति से और किस ढंग से पूरा करे, जबकि कानून में निश्चित निर्देश दिए गए हों। पुलिस का यह वैधानिक कर्तव्य है कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत कानूनों को अमल में लाएँ जिनमें अपराधों पर विचार, उनकी विवेचना गिरफ्तारी, चालान और न्यायालय में प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है। इसमें मंत्रिमंडलीय हस्तक्षेप को कोई स्थान नहीं है।"

केरल में ऐसी कौनसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई थीं, कि विद्वान न्यायाधीश को इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश देना पडा़। इतना कहना ही पर्याप्त है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के अधीन कार्य करते हुए भी यह आवश्यक है कि पुलिस जो भी कार्य करती है वह विधि सम्मत होता है और वह हमेशा वैधानिक दृष्टिकोण अपनाती है। इस प्रकार सभी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप में पुलिस को मुक्त रखना आवश्यक है जिससे कानून का उल्लंघन न हो सके तथा पुलिस विभाग को अनैतिकता से बचाया जा सके।

भारत जैसे संघीय शासन-व्यवस्था में ऐसी स्थिति इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विभिन्न आदर्शों वाली राजनीतिक पार्टियों का, राज्यों में तथा केन्द्र में शासनारूढ़ होने की हमेशा संभावना है। यहाँ इस बात का ब्यौरा देना संभव नहीं है कि भूतकाल में ऐसी कितनी परिस्थितियाँ आई तथा भविष्य में भी आ सकती हैं और यदि राजनीतिक दल इन आदर्शों पर नहीं चलते कि कानून के सामने सब बराबर हैं और कानून सर्वोपरि है। इस बात की गहराई में जाने के बजाय में ऐसे दो उदाहरण देना चाहूँगा जबकि राज्यों ने कानून की सर्वोच्चता में दखल दिया

केरल की सरकार ने 23 जुलाई, 1957 में पुलिस की जो नीति बनाई वह ऐसी थी कि 1959 में राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के पास यह लिखकर भेजना पड़ा कि पुलिस नीति ने कानून और व्यवस्था के ह्रास और जान-माल की वैधानिक सुरक्षा को भय पहुँचाने की नींव डाल दी है।

पश्चिम बंगाल में मार्च 1967 में भी इसी प्रकार से शासन ने पुलिस को निर्देश किए कि घेराव के मामलों में श्रममंत्री के आदेश के बिना कोई कार्रवाई न की जाएँ चूँकि घेराव पुलिस द्वारा हस्तक्षेप अपराध है, कलकत्ता उच्च न्यायालय को यह निर्देश देना पड़ा कि राज्य शासन को इस प्रकार का आदेश नहीं देना चाहिए तथा उस कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। आगे चलकर जब पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई तब उस समय की प्रदेश सरकार ने पुलिस को आदेश दिए कि वह कोई कार्रवाई न करे क्योंकि शासन राजनीतिक स्तर पर उपस्थित अव्यवस्था को दूर करना चाहेगा।

हमारी संवैधानिक व्यवस्था एवं देश में विकसित हुए राजनीतिक जागरण के संदर्भ में यह एक विचारणीय विषय है कि पुलिस के कार्य स्वातंत्र्यत तथा विधिसम्मत व्यवस्था कायम करने के वैधानिक उत्तरदायित्व के साथ ही उस पर प्रजातंत्रीय नियंत्रण रखना कहाँ तक उचित है।

पिछले दिनों कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई थीं जबकि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को अनेक दबावों का सामना करना पडा़ है।

विभिन्न क्षेत्रों की जनआकांक्षाओं में परस्पर विरोध उत्पन्न होने से उस समय पुलिस को आक्रमण का सामना करना पड़ा जब कुछ दलों ने राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और हिंसा का सहारा लिया

यह कोई असामान्य बात नहीं कि विभिन्न राज्यों में हुए अनेकों आंदोलनों के अवसर पर पुलिस को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि राज्य शासनों ने अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उपस्थित मसलों पर कुछ ओर दृष्टिकोण अपनाया

ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जबकि एक ओर तो कानून एवं व्यवस्था कायम रखने में तथा दूसरी ओर अपनी जायज़ कठिनाइयों एवं मांगों को लेकर हिंसक आंदोलनों का मार्ग अपनाने वाली जनता के साथ समझौते का व्यवहार करने में राज्य सरकारों ने दूसरी परिस्थिति में संधि करना उचित समझा है और इसके फलस्वरूप पुलिस को हिंसक भीड़ का निशाना बनना पड़ा है। आगे चलकर ऐसी परिस्थितियों के कारण कानून प्रशासन को नीचा देखना पड़ता है और शक्तिशाली प्रजातंत्रीय समाज व्यवस्था के तंतु टूटने लगते हैं।

यह समस्त बुद्धिजीवियों के लिए एक विचारणीय प्रश्न है कि किस प्रकार से पुलिस पर प्रजातंत्रीय तथा जन-आकांक्षाओं के अनुरूप नियंत्रण रखते हुए भी उसे बाहरी प्रभावों तथा राजनीतिक दबावों से मुक्त रखा जा सकता है जिससे वह कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा कर सके और न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

वर्तमान समाज विघटन और अराजकता की स्थिति की ओर बढ़ता जा रहा है। समाज के समक्ष हिंसक आंदोलनों के कारण बहुधा अवरोध उत्पन्न होते रहते हैं जिससे सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस परिस्थिति के लिए एक ओर तो वह जीवन-दर्शन ज़िम्मेदार है जो मानवता के विकास की आधुनिक प्रक्रिया से प्रभावित है और दूसरी ओर जनता और शासन के द्वारा नई और गतिशील व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयास हैं। इस प्रक्रिया में वे अनेक दल अब आगे आकर सक्रिय हो गए हैं जो अतीत में सामाजिक उत्थान के कार्यों के प्रति उदासीन रहते थे।

समाज के प्रतिष्ठित पदों पर अब उच्च वर्ग के व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं रह गया है वरन् मूल जनतंत्रवादी संरचना के अन्तर्गत अब निम्न वर्ग के व्यक्ति भी उन पदों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसी परिस्थितियाँ और अवस्थाएँ निर्मित हो गई हैं जिनसे आपसी मतभेद और दलबंदी को बढा़वा मिलता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आपसी द्वेष और अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है।

सामाजिक व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन आ जाने के कारण आपस में झगड़े होते हैं जिससे कि कानून का उल्लंघन होता है। कानून एवं व्यवस्था की अवहेलना का यह एक पहलू है।

आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था और पारंपरिक मान्यता टूट जाने के फलस्वरूप प्राचीन एवं नवीन के बीच की खाई बढ़ गई है जो कि वृद्ध एवं युवा पीढ़ी के आपसी मतभेदों द्वारा परिलक्षित हो रही है। युवा पीढ़ी ने बग़ावत का झंडा उठा लिया है। पुरानी मान्यताओं एवं मर्यादाओं को तोड़ने की जल्दी में नेतृत्वविहीन युवा पीढ़ी ने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाया है।

जनतंत्रवादी प्रगतिशील समाज में योजनाबद्ध समाजिक परिवर्तन की ओर अब सामाजिक शक्तियों का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि इस तरीके से लाया जाने वाला परिवर्तन तुरंत फलदायी नहीं रहता। फिर भी, इससे अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए लोगों का सामाजिक विवेक जाग्रत होता है, परन्तु जब इस जागृति के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन में गतिशीलता नहीं आती और पुरानी विचारधारा नई व्यवस्था के अनुकूल बनने में सफल हो जाती है तो इस परिस्थिति से हिंसक उद्वेग और विरोध भड़कता है।

असामाजिक तत्व इस विस्फोटक परिस्थिति का लाभ उठाकर अपने-आपको प्रगतिवादी घोषित करके अपने हित साधने में सफल हो जाते हैं। चूँकि ये असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर अराजकता और विद्रोह फैलाने में रुचि रखते हैं, अत: वे उपर्युक्त परिस्थिति को भड़काने में घी का काम करते हैं। वे उन वास्तविक सामाजिक शक्तियों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाने लगते हैं, जो सही माने में सामाजिक प्रगति और विकास के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है जिसमें सतत् गड़बड़ी और अस्थिरता बनी रहती है।

सर्वसाधारण व्यक्ति और साथ ही बुद्धिजीवी तथा प्रशासक वर्ग बड़ी उत्सुकतापूर्वक बाट देखते रहते हैं कि कब वातावरण सामान्य बने और शांति स्थापित हो। हर एक विकासशील समाज में, विशेषकर भारत में, मोटे तौर पर किसी-न-किसी रूप में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है।

पुलिस को इन परिस्थितियों में एक बड़ी कठिन भूमिका निभानी है, परन्तु यह संदेहास्पद है कि पुलिस प्रशासन लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावशाली ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकेगा, जबकि उसकी कार्यप्रणाली ऐसे प्राचीन ढांचे में ढली हुई है जो वर्षों पुरानी हो चुकी है। यदि उसे सामाजिक नियंत्रण की प्रभावशाली इकाई के रूप में सामने आना है तो उसे अपनी क्षमता और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन लाना होगा जो कि प्रगतिशील और उदारमना हो।

कानून एवं व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को अपने तौर–तरीकों और कार्य–प्रणाली में आधुनिकता लानी होगी और विवेकशील तथा वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करना होगा।

पुलिस कर्मचारी अक्सर अपनी कार्यपद्धति में कुछ हद तक अपरिपक्वता और असहजता का परिचय देते हैं। शोधार्थी की ऐसा कहने की यह मंशा नहीं है कि उनके द्वारा कई मामलों में की गई उत्कृष्ट कार्रवाई की हम निंदा कर रहे हैं, परन्तु हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे अच्छे उदाहरण अब बहुत थोड़े ही दिखाई देते हैं। यदि हमें कुछ हल्के ढंग से तुलना करने की इज़ाजत दी जाए तो हम कहेंगे कि

"पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति एक कुशल वैज्ञानिक सर्जन की न होकर नीम हकीम जैसी होती है। एक ऐसी धारणा सी बन गई है कि हर मर्ज का इलाज एक ही गोली से किया जाता है। इससे स्थिति में सुधार होने की जगह अक्सर बिगाड़ ही अधिक होता है। पुलिस कर्मचारी को चाहिए कि वह समाज के अनावश्यक अंग को उसी कुशलता और गंभीरता पूर्वक काटकर अलग कर दे, जैसे कि एक सर्जन करता है। उन्हें हर मर्ज़ का सही निदान करना चाहिए और उसके अनुरूप दवा देनी चाहिए। उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि सामाजिक अव्यव, व्यक्ति के अव्यव से कहीं अधिक जटिल होते हैं और सामाजिक रोक निदान के लिए काफी गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। इसी तुलनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार पुलिस प्रशासन को उपचार से कहीं अधिक रोकथाम को महत्व देना होगा"।

यहाँ यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि बहुधा पुलिस प्रशासन और नागरिक प्रशासन आपस में बहुत कम सहयोग करते देखे जाते हैं तथा दोनों में विरोधी विचारधारा बनी रहती है। पुलिस प्रशासन और नागरिक प्रशासन को परस्पर सहयोग करते हुए हर परिस्थिति पर विचार-विमर्श करना चाहिए तथा ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कानून और व्यवस्था पुनर्स्थापित हो सके। हम यह जानते हैं कि यह एक कठिन और जटिल कार्य है, परन्तु हमें यह भी विश्वास है कि यदि व्यवस्था कायम करनी है तो यही एक आवश्यक उपाय है। मेरे विचार से यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अभीष्ट कार्य है।

पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था तथा अपराध के बीच के अंतर को भी समझना होगा। जहाँ अपराध को समाप्त करने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होती है वहीं कानून तथा व्यवस्था भंग होने की परिस्थिति को उसके लक्ष्य और ध्येय के संदर्भ में देखना होगा। वैसे पूरी नियम निष्ठता की दृष्टि से कानून तथा व्यवस्था को भंग करना भी एक अपराध ही होता है, परन्तु इसे आपराधिक व्यवहार के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि पुलिस एवं नागरिक प्रशासन द्वारा सही कदम उठाए जाएँ तो इस प्रकार के अपराधों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में हमारा ध्यान पुलिस के खुफ़िया विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर जाता है। पुलिस के खुफ़िया विभाग को शोध शाखाओं से संबद्ध कर उसे उन्नत किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने अन्वेषणों द्वारा असामाजिक कार्यवाहियों का पता लगा सकें।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी अपनाना होगा, जिनके द्वारा जनता समझ सके कि कानून और व्यवस्था बनाए रखकर ही देश का व्यवस्थित विकास किया जा सकता है। ऐसा करने से समाज की हिंसक प्रवृत्ति को बहुत हद तक रोका जा सकता है।

अपराध की विवेचना और नियंत्रण की प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन की एक ओर तो परिस्थितिजन्य कारणों से तथा दूसरी ओर ऐतिहासिक रूप से मिली मान्यताओं के कारण भी कठिनाई आती है। पुलिस के प्रति लोगों के मन में जो हीन भावना बनी हुई है वह उसे पुराने ज़माने से पारंपरिक रूप में मिली है। स्वाधीनता के पूर्व के समय की पुलिस को, दुर्भाग्यवश, विदेशी शासन के तुल्य समझा जाता रहा है। इस स्थिति के लिए दोनों पक्ष दोषी हैं।

स्वाधीनता के आंदोलन के समय विदेशी शासन का विरोध और उसी के साथ पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा में कोई अंतर नहीं समझा गया इसी प्रकार पुलिस ने भी इस ओर विचार नहीं किया कि उसकी सही शूरवीरता क्या है? पुलिस प्रशासन आज की व्यवस्था के संदर्भ में भी एक प्रकार के पुराने अंधानुकरण की भावना से प्रेरित है। उस ज़माने में पुलिस कर्मी दमन और अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। जनता के मन में पुलिस की यह छवि अभी तक बनी हुई है जो पुलिस के प्रति शत्रुवत भावना को भड़काती रहती है। इससे पुलिस बल में निराशा उत्पन्न होती है जिसके परिणामस्वरूप उनके कार्य तथा कर्तव्यों के स्तर में गिरावट आती है।

पुलिस प्रशासन के स्तर को यदि हम ऊँचा उठाना चाहते हैं तो हमें उनके मनोबल को ऊँचा उठाना होगा। पुलिस प्रशासन को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह है, उसके कार्यों में विभिन्न क्षेत्रों और तबकों द्वारा किया जाने वाला अवांछनीय हस्तक्षेप।

इसका कारण है, जनतंत्रीय प्रणाली की प्रारंभिक स्थिति तथा प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण। मतपत्रों के आधार पर प्राप्त विभिन्न स्तर के राजनीतिक अधिकारों के कारण लोगों के स्वार्थसिद्धि के साधनों में वृद्धि हो गई है। निहित स्वार्थी तत्व अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पक्ष के लोगों को संगठित रखना चाहते हैं। इसके लिए वे प्रशासन की विभिन्न इकाइयों, जिनमें पुलिस प्रशासन भी सम्मिलित है, में दख़ल देते रहते हैं। इस परिस्थिति की ओर समाज का ध्यान तुरंत आकृष्ट होना चाहिए और कुछ ऐसी तरकीब निकाली जानी चाहिए जिससे कि प्रशासन में इस प्रकार के अवांछनीय हस्तक्षेप को रोका जा सके। ऐसा होने पर ही देश में स्वच्छ प्रशासन का वातावरण बन सकेगा।

## पुलिस सुधार समिति के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जे.एफ.रिबेरो का कहना है कि

सत्ताधारी राजनीतिज्ञों द्वारा पुलिस के कामकाज में जो हस्तक्षेप किया जाता है, वह बन्द होना चाहिए। यह विधि-सम्मत नहीं है, किन्तु अब तो इस प्रवृत्ति ने परम्परा का रूप धारण कर लिया है। यही कारण है कि पुलिस आम आदमी के हितों की रक्षा नहीं कर पाती, जबकि उसे जनता के प्रति अधिक-से-अधिक जवाबदेह होना चाहिए। इससे उसकी जनता के बीच क्रूर, बर्बर और शर्मनाक तस्वीर ही उभरती है।

न्यायमूर्ति श्री बी.एन. श्रीकृष्ण, बम्बई के दंगे और बम विस्फोटक घटना की जाँच आयोग के अध्यक्ष ने अभी कुछ ही समय पहले अपनी टिप्पणी में कहा है कि-

आम-आदमी की नजर में पुलिस एक हाथ में लाठी थामे और दूसरे हाथ की हथेली को फैलाए दाग़दार और बड़बोले हास्य चरित्र की तरह है। उनका यह सुझाव भी है कि पुलिस की 'पाण्डु हवलदार' की छवि बदली जानी चाहिए। वस्तुत: पुलिस की छवि एक ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए जो कानून का पालन करे। इसमें दो राय नहीं है कि समाज में अपराधी तत्व हावी होते जा रहे हैं। इसके लिए जितनी पुलिस उतने ही राजनीतिज्ञ भी जि़म्मेदार हैं।

जातिवादी और साम्प्रदायिक राजनीति भी इस बढ़ती प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इससे ही ऐसे तत्व संसद द्वारा विधानसभाओं में बड़ी संख्या में पहुँच गए हैं, जो अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर समानान्तर कानून व्यवस्था का परिचालन करते हैं।

## उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री कन्हैया लाल गुप्त ने अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि-

यह कहा जाता है कि राजनीतिक विद्रूपता से पुलिस का मनोबल गिर रहा है। नई सरकार के सत्ता में आते ही पहला प्रहार पुलिस प्रशासन पर किया जाता है। सरकार के गिरते ही पुलिस अधिकारियों को अपने बोरिया-बिस्तर समेटने पड़ते हैं। योग्यता और कार्य के आधार पर पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण के बजाय मंत्रियों के इशारे पर पुलिस अधिकारियों का भविष्य तय किया जाता है'। प्राय: देखा जाता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री गृह विभाग का प्रभार अपने अधीन रखते हैं, ताकि पुलिस प्रशासन उनकी मर्ज़ी से चलता रहे। यह परम्परा स्वस्थ नहीं है। सत्ताधारी राजनीतिज्ञों द्वारा स्थानान्तरण के हथियार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को काबू में रखने की वर्तमान परम्परा गुलत है। इसकी रोकथाम के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

विगत दिनों राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप पर गहरी चिन्ता प्रकट की गई है और इसकी रोकथाम के सुझाव भी दिए गए हैं। इस हस्तक्षेप की प्रवृत्ति के कारण न केवल पुलिस की कार्य क्षमता, दक्षता और निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ रहा है अपितु जनता में उसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता निरन्तर ह्रासमान है।

## श्री रिबरो ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप कर संकेत किया है कि-

"समिति राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से ठोस कार्रवाई करने की सिफारिश करती है। जो भी हो, पुलिस के कार्यो में पारदर्शिता होनी चाहिए, किन्तु उसकी कार्य-प्रणाली में आमूल परिवर्तन के बिना यह सम्भव नहीं होगा। पुलिस को यदि सक्षम उत्तरदायी और विश्वसनीय बनाना है तो उसे राजनीतिज्ञों के चंगुल से मुक्त करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। लोक आक्रोश प्रायः बर्बरता पर प्रकाश डालते हैं, फिर भी पुलिस पद्धति में व्यापक सुधार की मांग की जाती है। अब वह समय आ गया है, जबकि पुलिस पद्धति में सुधार की अपेक्षा की जा रही है। क्या ये सुधार अच्छी पुलिस प्रणाली स्थापित करने में उपयुक्त होंगे जबकि इसमें एकरूपता लाने में राजनीतिज्ञों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है।

इन दयनीय स्थितियों से वर्तमान पुलिस व्यवस्था पर व्यापक रूप में प्रकाश पड़ता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ ही देश को एक नए प्रकार की पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिससे नागरिकों को अपराध से सुरक्षा मिलती एवं वे अपने मूलाधिकारों के प्रति आश्वस्त होते।

भारत जैसे विकासशील देशों में औद्योगीकरण तथा शहरीकरण में हो रही वृद्धि के कारण अभूतपूर्व गतिशीलता दिखाई देती है। देहाती क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के निरंतर बढ़ते जा रहे खिचांव के कारण ऐसे क्षेत्रों का फैलाव होता जा रहा है जहाँ आपराधिक मनोवृत्ति को फूलने-फलने का अवसर मिलता है।

देहाती क्षेत्र से कुछ पढ़े-लिखे तथा समझदार लोगों के बाहर निकल जाने के कारण देहातों में एक प्रकार के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहरी जीवन के विभिन्न आकर्षण लोगों की भीड़ इक्ट्ठी करते जा रहे है जिससे आपसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इसके फलस्वरूप जहाँ एक ओर आपसी झगड़े और हिंसा बढ़ती है वहीं दूसरी ओर अपराधों में भी वृद्धि होती है। इससे पुलिस के आगे एक और समस्या खड़ी हो जाती है।

इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को अधिक सतर्क रहने की तथा उचित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ये परिस्थितियाँ इतनी विस्फोटक स्थिति में होती हैं कि तुरन्त कार्रवाई और उपचार की आवश्यकता रहती है। पुलिस प्रशासन के शीघ्र हो रहे सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्हें बदलते हुए समाज के विभिन्न पहलुओं और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी की भी आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही पुलिस सामाजिक परिवर्तन में सही रूप में प्रभावी ढंग से अपना योगदान दे सकेगी।

अंत में यह कहा जा सकता है कि-

"पुलिस प्रशासन को नए दृष्टिकोण से विचार करना होगा तथा इस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनानी होगी जिससे कि वह सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में एक प्रभावी कडी़ बन सके। पुलिस कर्मचारी को सामाजिक नियंत्रण तथा समाजीकरण के मात्र प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य नहीं करना है वरन् योजनाबद्ध परिवर्तन की इस प्रक्रिया में एक सक्रिय पुर्ज़े के समान अपनी भूमिका अदा करनी है। यह तभी संभव है जबकि एक ओर समाज और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन मिलकर इस प्रकार का संयुक्त प्रयास करें जिससे कि सामाजिक शक्तियों को संतुलित विकास की गति मिल सके। इस प्रकार हम शांति और प्रगति के नए आयाम स्थापित करने में काफी हद तक सफल हो सकेंगे।"

पुलिस विज्ञान

## अपराध के समसामयिक स्वरूप

श्री कमल सिंह निरोक्षक सी.डी.टी.आई., जयपुर

1. उद्देश्य

- भारत में समसामयिक अपराधों के नए स्वरूपों को समझ सकेंगे।
- सफेदपोश और आर्थिक अपराधों के अर्थ, अवधारणा व वर्गीकरण को समझ सकेंगे।
- सफेदपोश और आर्थिक अपराधों के अन्वेषण के विभिन्न मॉडलों एवं विधियों को जान सकेंगे।
- संगठित अपराधों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों, अवधारणा, वर्गीकरण और अन्वेषणात्मक वर्गीकरण की कार्य विधियों और दृष्टिकोण को समझ सकेंगे।
- एन.डी.पी.एस. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का परीक्षण कर सकेंगे।
- साइबर अपराधों की प्रकृति, विभिन्न प्रकार एवं विधियों के साथ–साथ उनके निस्तारण सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों का परीक्षण कर सकेंगे।

#### 1.1 प्रस्तावना

अपराध, समाज और पुलिस का अन्तर्सम्बन्ध यथार्थ है। आज भारत में पुलिस को अपार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उसके समक्ष अपराधों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति में आए बदलाव ने पुलिस विज्ञान



अपराधों की घटनाओं को प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के द्वारा आए विविध परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नगरीय पुलिस के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह व्यावसायिक रूप से विकसित हो. और नए यथार्थ या परिस्थितियों में अपने आप को इस प्रकार ढाले ताकि वे अपनी ड्यूटियाँ प्रभावी तरीके से कर सकें और लोग उनके प्रति विश्वास बनाए रख सकें। गतिशील संचार व्यवस्थाओं और तीव्र यातायात संसाधनों के फलस्वरूप दुनिया और भी सिमट गई है। अब कोई भी देश अलग-थलग नहीं रह सकता है। एक समाज से दूसरे समाज के साथ निकट सम्पर्क से उनकी मूल्य व्यवस्था में बदलाव के फलस्वरूप नए प्रकार के अपराध उत्पन्न होंगे। राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों के बीच की सांत-गांत से नगरीय क्षेत्रों के अपराध और अधिक संवेदनशील और गम्भीर हो जाएँगे। ऐसी आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध अपनी पारम्परिक विधि और व्यावसायिक दूष्टि के साथ पुलिस को संघर्ष करना कठिन होगा। भारत बहुत विशाल देश है, जिसमें अत्यन्त ही नगरीय और ग्रामीण इलाकों में बदले हुए आयामों, डिग्री और प्रकार के अपराध घटित होते हैं। यहाँ हिंसक, व्यक्तिगत अपराध, कभी-कभार के आर्थिक अपराध और राजनैतिक. सामाजिक, आर्थिक अपराध, संगठित व्यावसायिक-पारम्परिक और कम्प्यूटर अपराध, यौन अपराध, जन व्यवस्था, दहेज और न्यायिक अपराध होते हैं।

57

#### 1.2 सफेदपोश अपराध

भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ने वैश्विक अपराधों का ताना-बाना बुना है। अन्तर्राष्ट्रीय, नॉरकोटिक्स, अवैध हथियारों की बिक्री और आतंकी समूहों को विविध तरीकों से हवाला धन उपलब्ध कराना इत्यादि से धन का प्रवाह बढ़ा है। इन सब अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते हुए ख़तरों से निपटने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर नए प्रकार की व्यवस्था को विकसित किया जाए।

#### 1.2.1 सफेदपोश अपराध की अवधारणा

ऐसे अपराध, जिसका पूरा उद्देश्य धन, सम्पत्ति अथवा अवैध लाभ इकठ्ठा करना, व्यवस्था की कमियों का शोषण करके दूसरे को नुकसान पहुंचा कर और उन अवसरों का दुरुपयोग करके, जिन्हें राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को आर्थिक समृद्धि के लिए दिया गया हो और जो स्थापित नियमों और वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं को मोटे तौर से सफेदपोश अपराध अथवा आर्थिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। सफेदपोश अपराध उन जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाते हैं, जिनकी ऊंची सामाजिक स्थिति है। सफेदपोश/आर्थिक अपराध में वे अपराध हैं, जिसमें ठगी, धोखाधड़ी, आपराधिक हेर-फेर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार एवं नकली मुद्रा बनाना इत्यादि शामिल है।

## 1.2.2. सफेदपोश अपराधों का वर्गीकरण

आर्थिक अपराधों अथवा सफेदपोश अपराधों को मोटे तौर पर निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है—

• आय/कॉर्पोरेट/सम्पत्ति/ब्याज की कर चोरी।

- एक्साईज़/कस्टम ड्यूटी (उत्पाद/सीमा शुल्क)
   की चोरी/प्रतिबन्धित वस्तुओं की तस्करी, निर्यात/आयत के फ्रॉड (हेराफेरी) बैंक फ्रॉड, स्केम, कम्पनी एक्ट/सेवी एक्ट के अन्तर्गत कॉरपोरेट फ्रॉड/अपराध।
- बीमा सम्बन्धी फ्रॉड ।
- विदेशी मुद्रा नियम अतिक्रमण/उल्लंघन (हवाला)।
- मनी लॉण्ड्रिंग।
- मादक द्रव्यों की तस्करी।
- भू–सम्पत्तियों का बेनामी हस्तान्तरण।
- औद्योगिकी गुप्तचरी और नाजायज़ व्यापारिक प्रचार कार्य।
- बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन।
- क्रेंडिट कार्ड फ्रॉड/पासपोर्ट फ्रॉड/जाली प्रमाण–पत्र।
- पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टाचार।
- नकली शेयर/बॉण्ड/करेन्सी या मुद्रा।
- अधिकांश पब्लिक फ्रॉड, धोखाधड़ी और फोर्जरी के मामले।
- भू और भवन सम्बन्धी घपले।
- नकली प्लेसमेंट एजेन्सी विदेशी नौकरी।
- कर माफ़ी घपले।
- नकली वस्तुओं का उत्पादन और उनकी भूमिका।
- पब्लिक फण्ड के लिए फ़र्ज़ी कम्पनियाँ बनाना और गुम हो जाना।
- नॉन-बैंकिंग फायनेंशियल कम्पनियों को बाज़ार में उतारना और पब्लिक से झूठे वादों के साथ फ्रॉड करना और फिर कालान्तर में उसको घपला करके हड़प जाना।

 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उँचे ऋण/कर्ज़ प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्टों की कीमत बढ़ा–चढ़ाकर बताना और बढ़ाई कीमत के हिस्से को पदाधिकारियों में बांटना ताकि वे ऋण अग्रिम को प्रोजेक्ट की बढ़ी कीमत के अनुसार स्वीकृत करा सकें।

#### प्रमुख क्षेत्र

आर्थिक अपराध और लोक सेवक घनिष्ठ रूप से मिले-जुले हैं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अधिकांश आर्थिक अपराध लोक सेवकों की सक्रिय साठ-गांठ के बिना घटित नहीं हो सकेंगे। चरित्रहीन उद्यमी, अपराधों में चरित्रहीन या अनैतिक लोक सेवकों को अपना भागीदार या सहयोगी बना लेते हैं।

## 1.2.3.1. आयात-निर्यात फ्रॉड (चालबाज़ी कपट)

प्राय: लोक सेवकों की संलिप्तता नकली और अस्तित्वहीन पार्टियों को लाइसेंस देने, उनके द्वारा झूठे संविदापत्र प्रस्तुति को स्वीकृत करने और लाइसेंस की वैधता में पाई जाती है। इन दिनों अनैतिक ऑपरेटरों के द्वारा मूल्याधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्यात मूल्य को कम मूल्यांकन करके मनी लॉण्ड्रिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे है। काला बाजा़रियों और काला धन रखने वालों के लिए मनी लॉण्ड्रिंग सबसे पसंदीदा रास्ता बन गया है।

## 1.2.3.2 यात्रा दस्तावेज़ों में धोखाधड़ी

वर्तमान में गम्भीर और बहुप्रचलित पासपोर्ट एक्ट सम्बन्धित अपराध जिसमें नौकरी दिलाने जैसे षडयन्त्र शामिल हैं, बढ़ रहे हैं। पासपोर्ट रैकटों से सुरक्षा सम्बन्धी उलझनें स्पष्ट हैं क्योंकि ये मुख्यत: पुलिस विज्ञान सीमा पर अपराधियों तस्करों और मादक द्रव्य लाने एवं ले जाने वालों के द्वारा अवश्य होते हैं। ऐसे मामलों में सामान्य कार्य पद्धति निम्न प्रकार होती है-

- (क) फोटो का बदलना।
- (ख) पृष्ठों का बदलना और जाली किताब।
- (ग) जाली आगमन/प्रस्थान मुहरों को लगाना,
   विशेषकर बच्चों के संबंध में की गई प्रविष्टियों
   को बदलना।
- (घ) झूठी/छिपाई सूचनाओं के आधार पर पासपोर्ट हासिल करना।
- (ङ) झूठे/गड़बड़ी वाले वीजा और हज परमिट को
   प्राप्त करना।

प्राय: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के लोक सेवक और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी इन मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मशीन द्वारा पढ़ा जाने वाला पासपोर्ट और वीजा, विशिष्ट वॉटर मार्क (चिन्ह), जटिल प्रिंटिंग तकनीक, चारित्रिक वृत सम्बन्धी ऑंकड़े की स्थायी छाप, उच्च गुणवत्ता की स्याही की सील और अग्रिम यात्री सूचना व्यवस्था।

## 1.2.3.3. बैंक संबंधी धोखाधड़ी

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बैंकों को समय-समय पर उनके ऑपरेशन, संचलन संबंधी विविध क्षेत्रों के विषय में दिये गए निर्देशों के अनुरूप विस्तृत कार्य प्रणाली नियमावली/व्यवस्था को बनाया गया है। उक्त वर्णितानुसार कार्य प्रणालियों को कड़ाई से लागू किया जाए तो बहुत हद तक दुराचरण की संभावना से बचा जा सकता है या उन्हें सीमित किया जा सकता है। इन धोखाधड़ी के मामलों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है-

- (क) फ़र्ज़ी उपकरणों के माध्यम से जमा खातों से धन निकासी।
- (ख) फ़र्ज़ी/छद्म नाम से खोले गए खातों के द्वारा हस्तांतरणीय (उपकरण चैक, ड्राफ्ट, जमा रसीदें इत्यादि)।
- (ग) खाता पंजिकाओं में हेर-फेर करके धोखाधड़ी
   करना।
- (घ) नकदी के लेन-देन के माध्यम से धोखाधड़ी
   करना।

#### 1.2.3.4. बीमा संबंधी धोखाधड़ी

सामान्यतः बीमा सम्बन्धी धोखाधड़ी दो प्रकार को होती हैं, जैसे बीमा क्षेत्र के अन्दर की और क्षेत्र के बाहर की। प्रथम प्रकार की धोखाधड़ी निश्चित रूप से लोक सेवकों की साठ-गांठ से होती है। उदाहरण के लिए, पार्टी के द्वारा बिना क्लेम या दावा किए और बिना किस्त को चुकाए बीमा राशि स्वीकृत कर लेना, दुर्घटना अथवा नुकसान सम्बन्धी बीमा धन को उपलब्ध करा देना, बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए दावों को मान लेना।

दूसरे प्रकार की धोखाधड़ी के उदाहरण अनेक हैं, जिसमें से कुछेक निम्न प्रकार के हैं-

- (क) एक ही दुर्घटना के आधार पर दावों को बार-बार संस्थित करना।
- (ख) बिना कोई मरम्मत कराए अथवा कोई पुर्ज़ा ख़रीदे बिना मरम्मत सम्बन्धी फ़र्ज़ी बिलों के आधार पर दावा प्रस्तुत करना।
- (ग) वस्तुओं के भेजे जाने सम्बन्धी प्रमाण की
   झूठी ट्रक रसीदों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं
   के न प्राप्त होने का दावा प्रस्तुत करना।
- (घ) जहां पर भेजे गए सामान की तुलना में प्राप्त सामान की कीमत अनुपात से अधिक है, वहां

## पर वस्तुओं को कम कर देना और क्षति का झूठा दावा प्रस्तुत करना इत्यादि।

#### 1.2.3.5 कारपोरेट सम्बन्धी धोखाधड़ी

कारपोरेट सम्बन्धी धोखाधड़ी में बड़ी तादाद में व्यापारिक लोगों/घरानों द्वारा एक-दूसरे के प्रति धोखाधड़ी, निवेशकों के प्रति धोखाधड़ी, उपभोक्ताओं के प्रति धोखाधड़ी कर प्राधिकारियों और कम्पनियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की गतिविधियाँ शामिल हैं। मोटे तौर से कर्मचारियों के द्वारा गुबन, प्रबन्धन की धोखाधड़ी, निवेश से सम्बन्धित घपले और ग्राहक सम्बन्धी धोखाधड़ी इत्यादि इसकी श्रेणियां हैं।

#### 1.2.3.6 नकली मुद्रा⁄नोट

मुद्रा विभाग संहिता के अन्तर्गत कोषागारों एवं बैंकों में नकली करेन्सी नोटों के प्राप्त होने पर उन्हें उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों में जांच-पड़ताल के लिए भेजा जाता है। जब भी बैंक के द्वारा नकली मुद्रा का पता चलता है, तो यह एक अपराध का घटित होना मान लिया जाता है और पुलिस इस सम्बन्ध में मामला पंजीकृत कर उसका अन्वेषण कर सकती है। यह सिद्धान्त उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जिसमें जनता का कोई सदस्य जाली नोटों के प्रचलन के विषय में सीधे पुलिस स्टेशन को सूचना देता है। नकली नोटों के प्रचलन में तुरन्त बाद ही प्रत्येक मामले में सी.आई.डी. को स्पेशल रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए और करेन्सी ऑफिसर को भी सूचना देनी चाहिए। यह रिपोर्ट निम्न विवरणों के साथ देनी चाहिए–

- (क) नोटों की श्रेणी और संख्या।
- (ख) मूल्य।
- (ग) वह किनके द्वारा और किन परिस्थितियों में प्राप्त किए गए, तथा उनकी प्राप्ति की तिथि।

- (घ) नोट प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम।
- (ङ) यदि मामला दर्ज नहीं किया गया है, तो ऐसा न करने का कारण।
- (च) ज़ब्त किए गए नोटों को रिपोर्ट के साथ करेन्सी अधिकारी के पास भेज देना, चाहिए जब मामले में अन्वेषण के लिए नोट की ज़रूरत हो, तब नोट को अन्वेषण पूर्ण होने के बाद मुद्रा अधिकारी के पास उसकी संख्या और मूल रिपोर्ट की तिथि को दर्ज करते हुए भेजना चाहिए।

## 1.2.3.7 मनी लॉण्डरिंग ( हवाला )

मनी लाण्डरिंग अर्थात् गैर कानूनी माध्यमों से अर्जित किए गए काले धन को व्हाइट मनी या वैध धन में परिवर्तित करना वह प्रमुख तरीका है, जो आर्थिक अपराधियों की मदद करता है।

## 1.2.4. आर्थिक अपराधों/सफेदपोश अपराधों का अन्वेषण

#### 1.2.4.1 प्राथमिक जाँच

वित्तीय अपराधों में दी गई रिपोर्ट में अन्वेषण के अनुरोध के साथ कुछ निश्चित ब्यौरे दिये जाते हैं। रिपोर्ट में किसी संज्ञेय अपराध के विषय में और साथ ही किसी भी प्रकार की धोखाधडी की सूचना का स्पष्ट खुलासा नहीं भी किया गया हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में उसकी प्राथमिक जांच किया जाना अनिवार्य हो जाता है। जांच अधिकारी को उसके विषय में की गई प्राथमिक जांच की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कम्प्यूटर अनुप्रयोग, विदेशी मुद्रा विनिमय, आयात-निर्यात, उत्पाद, और सीमा शुल्क इत्यादि की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

## 1.2.4.2 प्राथमिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीयन

किसी सूचना के विषय में प्राथमिकी दर्ज करने और उसका अन्वेषण करने से पूर्व प्राथमिक जांच करना अनुमन्य है। जैसे ही जांच से एक संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा होता है, तो इसका पंजीकरण और अन्वेषण होना चाहिए।

## 1.2.4.3 दस्तावेज़ की भूमिका

आर्थिक अपराध का अन्वेषण ज़्यादातर दस्तावेज़ों और लेन-देन के माध्यमों या उपकरणों पर आधारित होता है। जांच अधिकारी को सभी सम्बन्धित फ़ाइलों और दस्तावेज़ों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और कार्यविधि के अनुसार प्राप्त करके सुरक्षित कर लेना चाहिए। दस्तावेज़ों की खोज और उनकी जांच अत्यन्त ही महत्व का विषय है। सरकारी संस्थाओं की संलिप्तता के मामलों में सम्बद्ध पत्रावलियाँ को अपने कब्ज़े में करने में समय नहीं लगाना चाहिए। इनमें दस्तावेज़ और पत्रावलि भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कम्प्यूटर में संकलित किया गया हो।

#### 1.2.4.4 गवाहों अथवा साक्षियों का परीक्षण

साक्षियों का परीक्षण और विशेष तौर से उनका जो दस्तावेज़ों से जुड़े हैं, दूसरा कदम है जो जांच अधिकारी को लेना चाहिए। अभिलेख के सन्दर्भ में एक प्रश्नावली तैयार कर लेनी चाहिए और साक्षियों के बयान दर्ज करना चाहिए। यदि दस्तावेज़ जांच अधिकारियों के पास हों तो गवाहों के द्वारा गुमराह करना अथवा तथ्यों को नकारना कठिन होगा।

#### 1.2.4.5 अभियुक्तों का परीक्षण

जांच के दौरान कब्ज़े में लिए गए रजिस्टरों और साथ ही अन्य दस्तावेज़ों में किए गए विभिन्न दर्ज साक्ष्यों के महत्व को जानने के लिए आरोपी व्यक्ति का विस्तृत परीक्षण आवश्यक है। जांच अधिकारी द्वारा अन्य गवाहों से पूछे जाने वाले प्रश्नों और बिन्दुओं का हवाला देते हुए विस्तृत प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए। प्रश्नावली को बनाने में जांच अधिकारी की निपुणता का परिचय मिलता है। चूंकि आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में अन्वेषण एक लम्बी प्रक्रिया होती है, अत: यह आवश्यक हो जाता है कि अभियुक्त को पुलिस रिमाण्ड में देने के प्रावधान का उपयोग किया जाए ऐसे मामलों में जहॉँ आवश्यक हो, लाई डिटेक्टर के द्वारा परीक्षण किया जाना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

#### 1.2.4.6 सहयोग एवं समन्वय

साक्षियों अथवा दस्तावेज़ों की स्थिति का पता लगाने के बाद सम्बन्धित दस्तावेज़ों को प्राप्त करने और साक्षियों की उपस्थिति के विषय में सम्बन्धित प्राधिकारियों का सहयोग बहुत जरूरी है। कोई भी कर्मी, भले विभाग में ही पदस्थापित हो अथवा कहीं और कार्यरत हो और उसे विशेषीकृत ज्ञान हासिल है तो उसकी पहचान कर लेना चाहिए और उसकी सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए।

#### 1.3 संगठित अपराध : अवधारणा

संगठित अपराध का अर्थ है, किसी व्यक्ति के द्वारा लगातार गै़र कानूनी गतिविधियों को करना, चाहे वह इसे अकेला अथवा किसी के साथ मिलकर करे चाहे वह एक संगठित अपराधी सिडींकेट के सदस्य के रूप में अथवा गुटों की ओर से ऐसा करें।

#### 1.3.1 विशेषताएँ

कुछ गुट तो इतने अच्छे रूप से संगठित हैं, कि वे बिना पकड़े जाने अथवा दण्डित हुए अपराधों को अंजाम देने में समर्थ हो चले हैं। इसका अर्थ है, उनमें एक निश्चित आचार संहिता, योग्यता, हथियार, समूह के अन्दर आसूचना तथा मनमानी करने की शक्ति है।

## 1.3.2 अन्वेषण का दृष्टिकोण

इस प्रकार संगठित अपराध का अन्वेषण करने के लिए एक अत्यन्त ही व्यावसायिक दृष्टिकोण, आसूचना और अन्वेषण की निपुणता और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित समन्वय की आवश्यकता है। अत: जांच अधिकारी कानून के उन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित हो।

#### 1.3.3 विविध प्रावधान

अपराध से प्राप्त धन को जब्त करने से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान सी.आर.पी.सी. की धाराओं 102,452 कस्टम एक्ट की धारा 111 से 121, एन.डी.पी.एस.एक्ट की धारा 68 में दिया गया है।

#### 1.3.4. संगठित अपराधों के गैंग या समूह

ये सामान्यतया उन यात्रियों का शिकार करते थे, जो घने जंगलों से गुज़रने वाले एकाकी रास्तों से जाते थे। यदा-कदा जो गॉंवों और कस्बों में भी सुनसान जगह पर हमला करते थे। जनता के प्रति जवाबदेही की दृष्टि से उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उपयुक्त युक्तियुक्त कार्रवाई की महती आवश्यकता है।

## 1.3.5. अपराधी गुटों की विशेषताएँ

निम्नलिखित समस्याओं के विषय में एक सांझा दृष्टिकोण भी विकसित कर लेते हैं:-

- 1. कार्य करने का भौगोलिक क्षेत्र।
- कौन सा अपराध किया जाएगा, उसके विषय में निर्णय।
- 3. नए सदस्यों को अंगीकृत करना।

पुलिस विज्ञान

- पकड़े जाने पर गैंग के सदस्य को बचाने की विधि।
- 5. शक्तिशाली लोगों का सहयोग प्राप्त करना।
- समूह को एक सांझी संस्कृति, एक सामूहिक संहिता होती है।

#### 1.4 संगठित अपराधों से निपटना

संगठित अपराधों से निपटने के लिए निम्नांकित कार्य योजना और रणनीति की महती आवश्यकता है-

(क) पुलिस के ढांचा तथा साज़ो सामान सम्बन्धी
 आधुनिकीकरण।

संगठित अपराधियों की बहुमुखी प्रतिभा, ऑपरेशनल तकनीकों का लचीलापन उनके पास उपलब्ध संसाधनों की प्रचुरता, आधुनिक तकनीक नवप्रतनों के साथ उनकी सरल पहुँच, कार्रवाई के दौरान उनकी निर्दयता, राजनैतिक, नौकरशाह और शासन का कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को भ्रष्ट करने और प्रभावहीन करने की क्षमता। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि पुलिस कार्मिको को एक-दूसरे के पारस्परिक सहयोग और समर्थन के साथ इस ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए।

(ख) विशेष कार्यबल गठित किया जाना चाहिए, जो संगठित अपराधों से निपट सके।

(ग) सहयोग एवं समन्वय की दृष्टि से इसमें एक अत्यन्त ही उच्च श्रेणी के पुलिस बलों के बीच में और पुलिस बल के अन्दर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता का तारतम्य स्थापित किया जाना चाहिए।

(घ) व्यापक दृष्टिकोण।

(ड) क्षमता और प्रभाविकता।

- (च) विधिक अनुदान की सहायता।
- (छ) आपराधिक आसूचना : सामान्य सन्दर्भ।

## 1.5 मादक पदार्थो का दुष्प्रयोग ( ड्रग अब्यूज़ )

1.5.1 कुछ परिप्रेक्ष्य

नॉरकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ मानव और जानवरों के लिए आवश्यक हैं। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयों को बनाने में आधारभूत घटकों के रूप में किया जाता है। कानून लागू करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में पुलिस से यह अपेक्षा है कि वह मादक द्रव्यों की तस्करी और उनके दुरुपयोग की पहचान और रोकथाम के क्षेत्र में प्रभावी और दक्ष भूमिका अदा करे।

## 1.5.2. एन.डी.पी.एस. अधिनियम और अन्य प्रयास

नॉरकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एन.डी.पी.एस) अधिनियम 1965 के अन्तर्गत किए जाने वाले अपराध गम्भीर प्रकृति के होते हैं। इस अधिनियम में 20 साल की जेल और दो लाख रुपयों के अर्थ दण्ड के प्रावधान के द्वारा दण्ड व्यवस्था है।

#### 1.6 सारांश

आज भारत में पुलिस को अपार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अपराधों में अधिक वृद्धि हुई है। संगठित अपराध ऐसे नेता और उसके सदस्यों, जो उसके प्रति बहुत बफ़ादार होते हैं, के द्वारा सम्पत्ति, व्यक्तियों और मानव कल्याण के विरुद्ध किए जाते हैं। संगठित अपराध कानून और व्यवस्था तथा लोक शान्ति को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। इसमें पुलिस और दूसरी कानून लागू करने वाली एजेन्सियों के समक्ष एक नई चुनौती प्रस्तुत की है कि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि

की पहचान, निवारण और उपचार व रोकथाम के लिए किया जाता है। कानून लागू करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में पुलिस से यह अपेक्षा है कि वह मादक द्रव्यों की तस्करी और उनके दुरुपयोग की पहचान और रोकथाम के क्षेत्र में प्रभावी और दक्ष भूमिका अदा करे।

कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करने वाले कम्प्यूटर या साइबर अपराध के शिकारी न बनें और साथ ही वे आवश्यक सक्षमता और व्यावसायिक दृष्टि के साथ नए उत्पन्न होने वाले अपराधों का अन्वेषण भी कर सके। नॉरकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों का प्रयोग मानवों और जानवरों, दोनों की ही बीमारियों



भारतीय समाज में स्वार्थ से प्रेरित गुणा-भाग का बाज़ार सदैव गर्म रहता है। इस प्रकार की गतिविधियों में यथार्थ प्रतिभा का हनन होता है। ऐसी विध्वंसक क्रिया-प्रणाली का परिणाम यह होता है कि जिस प्रतिभा को कुर्सी पर होना चाहिए वह सड़क पर होता है तथा सड़कछाप व्यक्ति प्रतिष्ठा के साथ कुर्सी पर विराजमान होकर महिमा मण्डित होता रहता है। भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में भी कम घाममेल नहीं है। अभिजात्य वर्ग का व्यक्ति शिक्षा से जुड़े विविध फ़ायदों का उपयोग करता है तथा निर्बल एवं निर्धन वर्ग का व्यक्ति साधारणतया समस्या के समाधान में ही अपनी अस्मिता तक गँवा बैठता है।

विकासोन्मुख समाज में बेरोज़गारी अपराधजन्य व्यवहार को प्रोत्साहित करने में एक सशक्त आधारशिला का कार्य करती है। कार्योजित व्यक्ति साधारणतया उचित-अनुचित का स्पष्ट बोध रखता है तथा अनुचित कार्यों को प्रतिपादित करने से पहले बहुत सोच-समझकर अग्रसारित होता है, परन्तु बेरोज़गार व्यक्ति अपने जीवन-पथ का कोई विकल्प न प्राप्त कर सकने के कारण अपराध-पथ का पथिक बनने के लिए विवश हो जाता है। इन्हीं अपराधों में महिलाओं के साथ होने वाला अपराध एवं हिंसा प्रमुख है। महिलाओं एवं अवयस्क बालिकाओं के साथ होने वाले अपराध के कारण विश्व में हमारे देश के सम्मान को क्षति पहुँँची है। महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कई बार राजनीतिक गलियारों से

# पुलिस की कार्य-प्रणाली एवं भयमुक्त समाज

प्रो. ए.एल. श्रीवास्तव सेवानिवृत प्रोफ़ेसर

भयमुक्त समाज को परिकल्पना कर्णप्रिय तो है, परन्तु यथार्थ से काफ़ी दूर है। पुलिस द्वारा आपातकालीन प्रबन्ध में अपनी सक्रिय भूमिका प्रतिपादित करना एक सराहनीय कार्य है, परन्तु इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे कितने कुठाराघातों का सामना करना पड़ता है यह एक विचारणीय एवं शोचनीय प्रश्न है। ऐसे विषय पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी से लेकर विविध प्रकार के समसामयिक नेता कपोल कल्पनायुक्त भाषण तो दे देते हैं, परन्तु उनमें यथार्थ की सुगन्ध का आभास नहीं होता।

भारत एक विकासोन्मुख देश है जहाँ विविध प्रकृति की समस्याओं की भरमार है। देश में विभिन्न समस्याओं के अन्तर्गत जातिवाद, वंशवाद, अशिक्षा, बेरोजगारी. महिला-अपराध. यौन शोषण आदि की बहुलता रहती है। इस देश में निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले अपनी सुबह-शाम की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं कर पाते। जातिवाद का कोढ़ तो ऐसा व्याप्त है जो भारतीय समाज में सामाजिक दूरी का प्रसार करते हुए सियासत के बाजार को सदैव गरिमा प्रदान करता रहता है। इसी जातिवाद की मोह-माया में कई ऐसे नेता सत्ता के उच्च पदों पर विराजमान हो जाते हैं, जो बड़े-बड़े गम्भीर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए खूब वाहवाही लूटते हैं। वंशवाद की समस्या हमारे देश में एक चिरकालिक रोग की तरह है जिसकी छत्र छाया में साधारणतया निर्धन परिवार के लोग कभी भी पुष्पित एवं पल्लवित नहीं हो पाते।

बुलन्द आवाज़ उठाई गई, महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, विविध प्रकार की योजनाएँ बनाई गई लेकिन समय के अन्तराल में सब विलीन हो गईं। महिलाओं के प्रति बहाए गए घड़ियाली आँसू थम गए। महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए उन्हें जागरूक एवं सजग बनाना अपेक्षित है। महिलाओं पर होने वाले अपराधजन्य व्यवहार को तभी कम किया जा सकता है जब समाज में 'जेंडर संतुलन' हो। जेंडर संतुलन तभी होगा जब दहेज प्रथा ख़त्म होगी। इसी दहेज प्रथा के चलते लोग लड़कियों को पैदा नहीं करते वरन् उनकी गर्भ में ही इहलीला समाप्त कर दी जाती है। पितृसत्तात्मकता की इससे अच्छी विशेषता कहीं और दूष्टिगोचर नहीं होती।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में विविध प्रकार की समस्याएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में समाज में व्याप्त विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस के पास गुहार होने लगती है और उसके गुण-दोष का विश्लेषण होने लगता है तथा उसकी समस्याओं के निदान की चुनौतियों का ताना-बाना प्रस्तुत होने लगता है।

## अपराध के पथ पर युवा वर्ग के बहकते कदमः

भारतीय समाज में व्याप्त विविध प्रकार की समस्याओं के परिणामस्वरूप औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्बन्धों का जाल ध्वस्त होने लगा है। ऐसी स्थिति में लोगों की उन्मुखता पुलिस की ओर होना स्वाभाविक है। पुलिस के प्रति यह अवधारणा सर्वविदित है कि वह समाज की सशक्त प्रहरी होती है। पुलिस की कार्य-शैली को दबाव की राजनीति से दूर रखा जाए तो यह भी सम्भव है कि वह अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने में सफल भी हो। समाज के सन्दर्भ में पुलिस की भूमिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि पुलिस अपराध की जाँच-पड़ताल तथा अपराध की रोक-थाम में विशेष क्रियाशील होती है। समाज के प्रति पुलिस की भूमिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि पुलिस तब क्रियाशील होती है जब अपराध घटित हो जाता है। परिवर्तित परिवेश में पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों की अपेक्षाओं को महत्व देते हुए अपने सीमित साधनों में ही त्वरित कार्रवाई करे। समाज के लोगों में व्याप्त उससे सम्बन्धित रूढ़ियुक्तियों को दूर करने का सार्थक प्रयास करे।

साधारणतया पुलिस अपनी भूमिका से सम्बन्धित लोगों की अधिकांश अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाती है। समाज के लोग भी उन्हें 'पुलिस' से अधिक समझने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी नहीं अपना पाते। व्यवहारवादी धरातल पर इनकी भूमिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि पुलिस मिथ्यावादी अहं भाव से ग्रसित होती है।

विविध प्रकार के आरोपों से विभूषित पुलिस, समाज के सदस्यों के विश्वास एवं 'अपनेपन' को अंगीकृत करने में सफल नहीं हो पाती है। समसामयिक परिस्थितियों में पुलिस 'सक्रिय' होने की अपेक्षा 'प्रतिक्रियात्मक' होती जा रही है।

जन समुदाय में अधिकतर लोग आपराधिक घटना को पुलिस को इसलिए सूचित नहीं करते क्योंकि उन्हें पुलिस से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं रहती और सामान्य लोग पुलिस की प्रताड़ना से बचने के लिए अपने को उससे दूर रखते हैं। पुलिस के प्रति लोगों की यह सोच समाज और

कानून व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। पुलिस विज्ञान

के मनोविज्ञान का ठीक से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। अपराधियों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने में तथा अपराधविहीन समाज के निर्माण में न्याय व्यवस्था के कदम डगमगाने लगे हैं।

महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के मामले बहुत ही शोचनीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। महिलाओं से सम्बन्धित विविध प्रकार के अपराध के मामलों में हम अनेक रूढियुक्तियों से प्रभावित होते हैं। महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के मामलों को लोक-लाज एवं परिवार की प्रतिष्ठा पर कुठाराघात के भय से पंजीकृत नहीं किया जाता। आँकड़ों के परिप्रेक्ष्य में यदि अपराधियों की संख्या पर गौर करें तो पता चलता है कि इनमें से 93 प्रतिशत ने पहली बार अपराध किया है। ऐसी स्थिति में अपराध के उभरते इन पौधों को बहुत बढ़ने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए। समाज के प्रशासन एवं कर्णधारों को यह प्रयास करना चाहिए कि उपर्युक्त प्रथम प्रयास वाले अपराधी आदतन अपराधी न बने। सामाजिक-आर्थिक असमानता, महँगी एवं गुणवत्ताहीन शिक्षा, युवा वर्ग को बहुत सरलता से अपराध की तरफ ढकेल देती है. जिसे रोकने की नितांत आवश्यकता है और इसके सार्थक प्रयास अपराध के साम्राज्य को बढ़ने से रोक सकते हैं।

## भूमिका द्वन्द्व की प्रतिच्छाया में पुलिस

भयमुक्त समाज का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके समाधान में साधारणतया 'पुलिस' को केन्द्र बिन्दु माना जाता है। समाज के रक्षक के रूप में पुलिस को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज के सशक्त खेवनहार कभी यह नहीं सोचते कि समाज को भयमुक्त बनाना सिर्फ पुलिस का ठेका नहीं है, वरन् यह समाज के प्रत्येक सदस्य का

साधारणतया पुलिस प्रभावशाली तथा सफेद्पोश अपराधी को पकड़ने में सफल नहीं हो पाती है। कानून उल्लंघन करने वालों को पुलिस पकड़ने में इसलिए भी असफल होती है क्योंकि पुलिस की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली राजनीतिज्ञ एवं नौकरशाह अपनी कारगुज़ारियों से हतोत्साहित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस जनाक्रोश का शिकार होती हैं। इस प्रकार की स्थितियों के प्रभाव के कारण पुलिस का प्रतिक्रियावादी हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। युवा वर्ग समाज में इन्हीं विशिष्टताओं से प्रभावित होकर अपराध के दिशाहीन पथ को अपनाने में अधिक क्रियाशील हो जाता हैं।

#### अपराध संबंधी विविध आँकड़ों की स्थिति

अपराध से सम्बन्धित विषम परिस्थितियों के अन्तर्गत पुलिस अपनी छवि सुधारने का हर सम्भव-असम्भव प्रयास कर रही है। अपराध से सम्बन्धित आँकड़े चौंकाने वाले हैं और उनके विश्लेषण से अपराध के ग्राफ का सही आकलन नहीं हो पाता है। 'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' के आँकडे अपराध के सन्दर्भों को समझाने का सार्थक प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 2015 के अन्त में भारतीय दंड संहिता के तहत कुल 90,13,983 मामले लंबित थे। इसी प्रकार राज्य की कानून व्यवस्था के अन्तर्गत 64,98,999 मामले लम्बित थे। इन आंकडों के अन्तर्गत 33 लाख 40 हजार ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार अपराध किया था। यह अत्यन्त भयावह परिस्थिति की ओर संकेत करता है। आँकडों के अनुसार, भारत में आदतन अपराधी कुल 8 प्रतिशत के आस-पास हैं और प्रत्येक वर्ष नवीन अपराधियों की एक अच्छी फौज तैयार हो रही है। आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपराधियों परम कर्तव्य है। भयमुक्त समाज की प्रतिस्थापना में पुलिस को विभिन्न प्रस्तरों पर अपनी भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

पुलिस के कर्त्तव्य अथवा भूमिका की विवेचना विभिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है, जिसमें प्रशंसा कम तथा आलोचना अधिक होती है। पुलिस बलों द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों के अन्तर्गत की गई कार्रवाई का विश्लेषण रूढ़ियुक्तियों से पूर्ण पृष्ठभूमि में नहीं करना चाहिए वरन् उसकी परिस्थितिजन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सामान्यतया इस मत के हैं कि पुलिस सामान्य जनों से डाँट-फटकार के साथ ग़लत व्यवहार करती है। ऐसी स्थिति में पुलिस के प्रति एक स्वस्थ छवि का निर्माण कैसे हो सकता है? साधारणतया पुलिस स्वयं को जनता का सेवक न समझकर अभिजात वर्ग का समझने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यवहार में सद्भावना की बयार कैसे बह सकती है, परन्तु पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारी इस दृष्टिकोण को विशेष महत्व देने लगे हैं कि मीठी जुबान से कानून तोड़ने वालों को भी सदाचार का पाठ पढ़ाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक 'सहानुभूति और सम्मान, यू.पी. पुलिस की शान' जैसे नारे को चरितार्थ करने पर दृढ़ता से जुड़े हैं। पुलिस के प्रति सम्मान बढ़ाने हेतु यह आवश्यक है कि पुलिस को व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यद्यपि यह मात्र परिकल्पना ही होगी, परन्तु उसमें यथार्थ की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। थाने से सम्बन्धित प्रत्येक पुलिस कर्मी अपने सद्व्यवहार से लोगों से दृष्टिकोण को बदलते हुए

एक स्वस्थ परम्परा की स्थापना कर सकता है।

# भयमुक्त समाज की संरचना में 'खाकी' के टूटते अनुशासन का मनोविज्ञान

यह सर्वविदित तथ्य है कि 'खाकी' की बुनियाद सशक्त अनुशासन के अनुसरण का प्रतिफल है। परन्तु ऐसे सुदृढ़ अनुशासन पोषित संगठन में यदि किसी प्रकार के विद्रोही उन्मुखता की झलक देखने को मिले तो निश्चित रूप से इसे 'आन्तरिक अराजकता' की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। यह भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इसमें 'कुछ तो गड़बड़ है'। इस प्रकार की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि जिस पुलिस संगठन में अनुशासन से परे किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसमें अनुशासनहीनता कैसे झलक रही है?

मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रस्तरों के अधिकारी, कार्यक्षेत्र एवं एक-दूसरे के पदों की भूमिका एवं कार्यानिष्पादन की गिरफ्त में फॅंसते जाते हैं और लक्ष्य उनसे दूर होता जाता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को प्रतिमानों, आदर्शों एवं मूल्यों के मकड़ जाल से पलायनवादी बना देती है। यह स्वीकार्य तथ्य है कि पुलिस अधिकारियों की राजनीतिक पहुँच उन्हें 'बेलगाम पदाधिकारी' की श्रेणी में ला देती है। पुलिस विभाग की प्रशिक्षण प्रक्रिया ऐसी है जिसमें किसी पदकम के कर्मचारी को विरोध करने की इजाज़त नहीं है। विचारणीय स्थिति है कि 'कार्मिक' कब तक अपनी अभिशक्त भावनाओं को दबाए रखेगा? भावनाओं का विस्फोट कभी-कभी भयावह स्थिति का निर्माण कर देता है। अत: शीर्ष अधिकारियों को अनुशासन की जादुई छड़ी से परे हटकर भी सोचने का प्रयास करना चाहिए। इसी सन्दर्भ में कभी भी पदाधिकारियों को अपने निजी मसलों को लेकर सोशल मीडिया पर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस के प्रति उसके अधिकारियों का व्यवहार संवेदना से परे होता है। पुलिस के ऊपर कार्य दबाव का इतना जोखिम भरा असर होता है कि वह विवेकहीन हो जाती है तथा असामान्य व्यवहार कर बैठती है। ऐसी स्थिति में वैयक्तिक एवं सामूहिक आधार पर वह किस प्रकार सृजनात्मक कार्य कर पाएगी? परिणाम यह होता है कि 'पुलिस' वैचारिक द्वन्द्व का शिकार हो जाती है और 'भयमुक्त समाज' की परिकल्पना उसके लिए एक कहानी बन जाती है।

कर्त्तव्यनिष्ठा एवं भावुकता में ताल-मेल नहीं बैठता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भूमिका प्रत्याशा एवं भूमिका प्रतिपादन में सहसम्बन्ध का न होना कई विकट स्थितियों को जन्म देती है जिससे समाज की उप-व्यवस्थाएँ प्रभावित होती हैं। भयमुक्त समाज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान पुलिस से सम्बन्धित अनुशासन का है, परन्तु क्या कभी यह सोचने का अथवा विश्लेषण करने का प्रयास किया गया कि पुलिस 'अनुशासन हीनता' की गिरफ्त की ओर आकर्षित क्यों होती है? तथ्यगत



माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह, द्वारा गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, ब्यूरो के महानिदेशक श्री वी.एस.के. कौमुदी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 'पुलिस विज्ञान' पत्रिका का विमोचन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, एन.एच. ८, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

🈏 BPRDIndia 💿 bprdindia f officialBPRDIndia 💶 Bureau of Police Research & Development India 🌐 www.bprd.nic.in